हिमाचल प्रदेश

ECONOMIC REVIEW

आर्थिक समीक्षा

1991

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS
CHAL PRADESH SHIMLA-1

हिमाचल प्रदेश

की

आर्थिक समीक्षा

1991

(आर्थिक स्थिति व विकास कार्यक्रम)

NIEPA DC
D06052

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6052
Date 29/4/91

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा एक बजट प्रलेख है जो सरकार की उसके विभागों की समस्त आर्थिक गतिविधियों को विस्तार से प्रस्तुत करता है । वर्ष 1990-91 में राज्य की आर्थिक मुख्य विशेषताएं प्रथम भाग, प्रगति की समीक्षा में जबकि सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं ।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं । इस समीक्षा के लिये इतनी विशाल तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवं संख्या विभाग ने किया । मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए कड़े परिश्रम की प्रशंसा करता हूं ।

कंवर शमशेर सिंह
आयुक्त एवं सचिव (वित्त, योजना तथा अर्थ एवं संख्या),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय सूची

भाग—1 वर्ष 1990–91 की प्रगति की समीक्षा

		पृष्ठ
1.	सामान्य समीक्षा	1
2.	जनसंख्या	3
3.	राज्य आय	5
4.	कृषि	7
5.	उद्योग	17
6.	विद्युत	19
7.	रोजगार	22
8.	भाव की स्थिति	27
9.	नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवायें	29
10.	व्यापार एवं वाणिज्य	39
11.	परिवहन तथा संचार	41
12.	सहकारिता	43
13.	स्थानीय निकाय	44
14.	विशेष अध्ययन	45

भाग-I

वर्ष 1990-91 की प्रगति की समीक्षा

1. सामान्य समीक्षा

देश की आर्थिक स्थिति

1.1 वर्ष 1990-91 में देश की अर्थ व्यवस्था का व्यवहार कुछ मिश्रित सा रहा । कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की सम्भावना है जबकि औद्योगिक वृद्धि पिछले वर्ष से कम होने की सम्भावना है । वर्ष 1988-89 के 11.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1989-90 में शुद्ध घरेलू उत्पाद में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1988-89 में कृषि उत्पादन में 21 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 1989-90 में केवल 1.0 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । वर्ष 1990-91 में कृषि उत्पादन में 2 प्रतिशत और वृद्धि होने की सम्भावना है । औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 1989-90 की 8.6 प्रतिशत विकास दर की तुलना में चालू वर्ष के दौरान लगभग 6 से 7 प्रतिशत विकास दर आने की सम्भावना है । वर्ष 1990-91 में (19-1-91 तक) थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 10.1 प्रतिशत रही क्योंकि मूल्य सूचकांक जोकि मार्च, 1990 के अन्तिम सप्ताह में 171.1 था, 19 जनवरी, 1991 को बढ़कर 188.3 हो गया । पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति की दर 7.3 प्रतिशत थी ।

1.2 वर्ष 1989-90 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 17.06 करोड़ टन हुआ और 1990-91 में इसके 2 प्रतिशत और बढ़ जाने की सम्भावना है । वर्ष 1988-89 में सकल घरेलू उत्पाद में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 1989-90 में केवल 5.2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इस आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की वार्षिक औसत दर 5.6 प्रतिशत रही । राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1989-90 में प्रति व्यक्ति आय 4,252 रुपये रही। गत वर्ष प्रति व्यक्ति आय केवल 3,875 रुपय थी ।

1.3 वर्ष 1990-91 में आयात में अधिकता व ई0 एफ0 एफ0 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य निधि को अधिक भुगतान के कारण भारत की भुगतान सन्तुलन स्थिति पर बहुत अधिक दबाव रहा । रुपयों के रूप में निर्यात में अप्रैल से नवम्बर, 1990 तक 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि गत वर्ष की इसी अवधि की 38 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1990 से नवम्बर, 1990 तक आयात 28.6 प्रतिशत बढ़ा जोकि अप्रैल, 1989 से नवम्बर, 1989 की इसी अवधि के 20.7 प्रतिशत से काफी अधिक है । इसके परिणाम स्वरूप इस समय व्यापार घाटे में 2,648 करोड़ रुपये की और अधिकता आई क्योंकि अप्रैल-नवम्बर, 1989 में यह घाटा 4,533 करोड़ रुपये था, इसी अवधि में बढ़कर 7,181 करोड़ रुपये हो गया।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.4 औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण, हिमाचल प्रदेश की अर्थ व्यवस्था अधिकतर कृषि पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन अभी तक भी समय पर वर्षा होने तथा मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में अधिकता लाने के बावजूद भी उत्पादन का स्तर 1985-89 में 11-12 लाख टन के पास रहा। वर्ष 1987-88 में भंयकर सुखा पड़ने तथा मौसम की स्थिति अनुकूल न रहने के कारण खाद्यान्न उत्पादन 8.87 लाख टन गिर गया था । सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये है :—

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)
1985-86	12.01
1986-87	11.77
1987-88	8.87
1988-89	11.37
1989-90 (अस्थाई)	13.69
1990-91 (पूर्वानुमानित)	13.80

1.5 हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थित रूप से फल उत्पादन कार्य स्वतन्त्रता पश्चात् ही आरम्भ किया गया । सेब सहित सभी फलों के उत्पादन में क्रमिक सुधार हो रहा है तथा वर्ष 1989-90 में यह 4.60 लाख टन रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया। दिसम्बर, 1990 तक 4.10 लाख टन फल उत्पादन हो चुका है तथा 1990-91 में 4.25 लाख टन उत्पादन होने सम्भावना है । सब्जियों के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है और वर्ष 1990-91 में 3.68 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होने की आशा है। हिमाचल प्रदेश का आलू का बीज जोकि रोग मुक्त गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध है पिछले कुछ समय तक समस्त भारत में इसकी बहुतमांग थी । अब

यह मांग धीरे-धीरे घट रही है क्योंकि अधिकतर राज्य अपनी आवश्यकता के लिये बीज आलू का उत्पादन स्वयं करने लगे हैं जबकि पंजाब में तो बीज आलू की उत्पादन कीमत भी कम है । ऐसा होते हुए भी प्रदेश ने वर्ष के दौरान 31,200 टन बीज तथा खाने का आलू देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया।

1.6 वर्ष 1989-90 में प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसतन वार्षिक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत हुई । वर्ष 1989-90 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 4,005 रुपये आंकी गई है।

1.7 ग्रामीण विद्युतिकरण के क्षेत्र में वैसे तो शतप्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है फिर भी बहुत कुछ करना अभी शेष है क्योंकि बचे हुए हैमलेटस को भी इसके अन्तर्गत लाना है । दिसम्बर, 1990 तक 146 पम्प सैटों को चालू किया गया । चालू वर्ष में दिसम्बर 1990 तक 1190.24 मिलियन यूनिटस बिजली उत्पादन हुआ। वर्ष 1989-80 में 935.51 मिलियन यूनिटस बिजली उत्पादन हुआ था ।

1.8 वर्ष की प्रथम तिमाही जनवरी-मार्च 1990 के अन्त में कुल 2.71 लाख लोग रोजगार में लगे थे । अक्तूबर, 1990 के अन्त में सभी रोजगारकार्यालियों के जीवित पंजीयकों में बेरोजगारों की संख्या 4.47 लाख थी। सरकार ने अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु कई कार्यक्रम शुरू किये हैं । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 1990 तक 14.33 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गए तथा 1,758 सामुदायिक सम्पतियों का सृजन किया गया । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान दिसम्बर, 1990 तक 5,932 नये तथा 6,963 पुराने परिवारों को सहायता प्रदान की गई जबकि "ट्राईसम" कार्यक्रम के अन्तर्गत 926 युवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया जिसमें 317 को स्व:रोजगार व 190 युवकों को वैतनिक रोजगार प्रदान किया गया । इसके अतिरिक्त 1,146 युवकों को विभिन्न व्यवसायों में योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

1.9 वनीकरण कार्यक्रमों को सशक्त ढंग से लागू करने तथा ग्रामीण लोगों को इस में शामिल करने के उद्देश्य से एक नई योजना "वन लगाओ, रोजी कमाओ" शुरू की है । इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा अन्य गरीब परिवारों को सरकारी भूमि पर पेड़ लगाने तथा उनकी देख-रेख के लिए मजदूरी दी जायेगी । उपज में से भी उनको कुछ हिस्सा मिलेगा।

1.10 वर्ष 1989-90 में कृषि समितियों द्वारा 7.9 लाख सदस्यों को 1,674.60 लाख रुपये के ऋण दिए गये जबकि 1988-89 में 7.7 लाख सदस्यों को 2,265.32 लाख रुपये के ऋण दिए गये थे। कृषि समितियों द्वारा औसतन प्रति सदस्य 1989-90 में 212 रूपये का ऋण दिया गया जबकि यह ऋण 1988-89 में 294 रूपये था।

1.11 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार क्षमता है। यहा के बर्फ से ढ़के पर्वत, सुन्दर मनोहर घाटियां, झरनें, हरे-भरे जंगल, प्राचीन संस्कृति इत्यादि सभी कुछ पर्यटकों को आकर्षित करने वाले हैं। पंजाब के क्षेत्रों के पुनर्गठन के पश्चात पर्यटन की अपार क्षमता वाले क्षेत्र जैसे कुल्लू, मनाली कांगड़ा, धर्मशाला, शिमला, कसौली, चैल, तथा डलहौजी प्रदेश में मिलाये गए। परिणामस्वरूप हिमाचल पर्यटन विकास की क्षमता किसी से पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1972 में केवल 857 बिस्तरों की संख्या से कार्य आरम्भ किया। निगम के अपने होटलों तथा तम्बू आवासों में दिसम्बर, 1990 तक इन बिस्तरों की संख्या बढ़कर 3,000 हो गई । पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी उद्यमियों द्वारा भी प्रदेश में होटल चलाये जा रहें हैं। इसके साथ-साथ स्कीइंग तथा अन्य पर्वतीय क्रीड़ाएं जैसे ट्रैकिंग, उच्च ऊंचाई वाले पर्वत पर चढ़ना इत्यादि विकसित की गईं । इस विकास से न केवल पर्यटन की अनेक गतिविधियों में विविधता लाने में सहायता मिलेगी बल्कि ऐसी सुविधाऐं जो कि बैमौसम में पूरी तरह से प्रयोग में नहीं लाई जाती का भी विकास होगा।

1.12 सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले प्रदेश में केवल एक हवाई पट्टी कुल्लू घाटी के भुन्तर नामक स्थान में थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो हवाई पट्टियां शिमला में जुब्बड़-हट्टी तथा कांगड़ा में गग्गल का कार्य शुरू किया गया। शिमला हवाई अड्डा मई, 1987 में चालू किया गया तथा गग्गल हवाई अड्डा मई, 1990 में चालू हुआ। इन हवाई अड्डों से शिमला तथा कांगड़ा घटियां देश के अन्य भागों से वायुमार्ग द्वारा जुड़ गई हैं। इसके अतिरिक्त डोडराक्वार, काजा, किलांग, किलाड़, रोहड़ू, वानकूफर, तावो, छरावड़ा तथा रामपुर में हैलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। भरमौर तथा चम्बा में हैलीपैड निर्माण कार्य प्रगति पर है। शिमला हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा इस पर अधिक क्षमता वाले हवाई जहाजों को उतारने की सम्भावना है ।

1.13 नंगल डैम से ऊना तक 16 किलोमीटर की बड़ी रेलवे लाईन के चालू हो जाने से वर्ष 1990-91 में हिमाचल प्रदेश भारतीय रेलवे के बड़ी लाईन वाले मानचित्र पर उभर गया है ।

2. जनसंख्या

2.1 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जोकि 1981 की जनगणना के अनुसार 42.81 लाख थी बढ़कर 1 मार्च, 1990 को 50.26 लाख होने का अनुमान है । जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के लिए (व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0) 77 था और समस्त भारत के लिए यह 216 था । निम्न तालिका में प्रदेश व देश की जनसंख्या से सम्बन्धित मुख्य विशेषताएं दर्शाई गई हैं—

जनसंख्या आंकड़े (1981 की जनगणना के अनुसार)

मद	हिमाचल प्रदेश	भारत
1	2	3
1. जनसंख्या (लाखों में)		
(क) पुरुष	21.70	3,544.0
(ख) स्त्री	21.11	3,307.8
कुल	42.81	6,851.8
2. दस-वर्षीय वृद्धि दर (1971-81) (प्रतिशत)	23.71	25.00
3. घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0)	77	216
4. लैंगिकअनुपात (1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या)	973	933
5. साक्षरता (प्रतिशत)	42.48	36.23
6. शहरी जनसंख्या (योग से प्रतिशत)	7.61	23.31

जनसंख्या की वृद्धि

2.2 वर्ष 1971 से 1981 के दौरान जनसंख्या में दस वर्षीय वृद्धि दर 23.71 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 1961 से 1971 के दौरान वृद्धि दर 23.04 प्रतिशत थी । राष्ट्रीय स्तर पर दस वर्षीय वृद्धि दर 1971-81 व 1961-71 के दौरान क्रमशः 25.00 प्रतिशत और 24.80 प्रतिशत थी ।

परिवार का आकार

2.3 प्रदेश में 1981 जनगणना के अनुसार परिवारों की संख्या 7.84 लाख थी और परिवार का आकार 5.5 था ।

लैंगिक अनुपात

2.4 लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या इस शताब्दी के आरम्भ से प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है जोकि 1901 में 884 से 1981 में 973 हो गया । राष्ट्रीय स्तर पर लगिक अनुपात 1901 में 972 तथा 1981 में 933 था ।

नगरीय

2.5 नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता देश में राष्ट्रीय स्तर से हमेशा कम रही और प्रदेश की प्रतिशतता 1981 जनगणना के अनुसार भी 7.61 रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 23.31 थी । शिमला जिला के अतिरिक्त जिसकी शहरी जनसंख्या 15.69 प्रतिशत थी, अन्य जिले जहां पर शहरी जनसख्या की अधिक प्रतिशतता रही वह सोलन (10.76), सिरमौर (8.74), ऊना (7.72), मण्डी (7.33), कुल्लू (7.09) तथा चम्बा (6.84) है ।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की संख्या

2.6 प्रदेश में 1981 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10,53,958 और जन-जातीय जनसंख्या 1,97,263 थी । अनुसूचित जाति जनसंख्या की कुल जनसंख्या से प्रतिशतता 24.62 तथा जन-जातीय जनसंख्या की प्रतिशतता 4.61 थी । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता 94.6 और जन-जातीय जनसंख्या 98.4 थी । अनुसूचित-जाति और जन-जाति जनसंख्या का दस वर्षीय वृद्धि दर क्रमशः 36.95 तथा 39.30 प्रतिशत था जबकि प्रदेश का दस-वर्षीय

वद्धि दर 23.71 प्रतिशत था । अत्याधिक गरीबी, सामान्यत: कम साक्षरता और रहन-सहन ठीक न होना अनुसूचित जाति व जन-जाति की जनसंख्या में अधिक वृद्धि के कारण हैं।

धर्मानुसार जनसंख्या

2.7 प्रदेश में 4 मुख्य धर्म थे । वास्तव में सबसे अधिक हिन्दू जोकि 40,99,706 थे (95.8 प्रतिशत), उसके बाद मुसलमान 69,613 (1.6 प्रतिशत), बौद्ध 52,629 (1.2 प्रतिशत) और सिख 52,209 (1.2 प्रतिशत) आते थे। ईसाई कुल जन-संख्या का केवल 0.1 प्रतिशत तथा जैन 0.02 प्रतिशत थे।

आयु वर्गों के अनुसार जनसंख्या

2.8 प्रदेश की जनसंख्या का आयु वर्गीकरण दर्शाता है कि 1981 में 0—14 वर्ष के आयु वर्ग में 17.0 लाख बच्चे (39.7 प्रतिशत), 15—59 वर्ष के आयु वर्ग में 22.6 लाख व्यक्ति (52.8 प्रतिशत) तथा 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग में 3.2 लाख व्यक्ति (7.5 प्रतिशत) थे।

3. राज्य आय

राज्य घरेलू उत्पाद

3.1 राज्य आय अथवा राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदंड है । वर्ष 1980-81 के आधार पर स्थिर भावों पर वर्ष 1988-89 में प्रदेश का घरेलू उत्पाद 943.72 करोड़ रुपयों से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 1047.47 करोड़ रुपये हो गया । वर्ष 1989-90 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर 11.0 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह विकास दर 5.2 प्रतिशत है । राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रदेश की अधिक विकास दर का मुख्य कारण प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन तथा सेब उत्पादन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि है । खाद्यान्न उत्पादन जो कि वर्ष 1988-89 में केवल 11.4 लाख टन था वर्ष 1989-90 में बढ़कर 13.7 लाख टन हुआ और सेब उत्पादन भी वर्ष 1988-89 में 1.65 लाख टन की तुलना में वर्ष 1989-90 में 3.95 लाख टन हुआ । हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है । इस वर्ष भी कुल राज्य आय का लगभग 32 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है । सम्भावित अनुमानों के आधार पर वर्ष 1990-91 में विकास दर लगभग 4 से 5 प्रतिशत आने की सम्भावना है ।

3.2 सांतवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में औसत विकास दर 7.6 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय विकास की 5.6 प्रतिशत दर से काफी अधिक है । इस योजना के दौरान प्रति वर्ष आर्थिक विकास दर नीचे सारणी में दी गई है :—

वार्षिक आर्थिक विकास दर

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
1985-86	13.2	4.8
1986-87	7.3	3.6
1987-88	(–) 0.9	3.5
1988-89 (अस्थाई)	7.4	11.1
1989-90 (द्रुत)	11.0	5.2
औसत सांतवी योजना ..	7.6	5.6

प्रति व्यक्ति आय

3.3 राज्य आय के द्रुत अनुमानों के अनुसार 1989-90 मे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 4,005 रुपये है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 4,252 रुपये है ।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

3.4 वर्ष 1989-90 में प्रदेश की राज्य में सबसे अधिक अनुदान प्राथमिक क्षेत्रों का था जो कि 40.76 प्रतिशत है । गौण क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 21.38, सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का 20.61, वित्त एंव स्थावर सम्पदा का योगदान 8.97 तथा परिवहन संचार एवं व्यापार का 8.28 प्रतिशत रहा ।

3.5 इन मुख्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सांतवी योजना की अवधि में हुए आर्थिक विकास का विवरण निम्न प्रकार से है :—

प्राथमिक क्षेत्र

3.6 प्राथमिक क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक विकास दर 7.7 प्रतिशत रही। कृषि एवं फल उत्पादन में आई वृद्धि अथवा कमी के अनुसार इस क्षेत्र की प्रगति में भी काफी उतार चढ़ाव रहे ।

गौण क्षेत्र

3.7 गौण क्षेत्रों के अधीन सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत विकास दर 8.6 प्रतिशत रही ।

परिवहन संचार एवं व्यापार

3.8 सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के अधीन औसत विकास दर 6.8 प्रतिशत रही । वर्ष 1987-88 में इस क्षेत्र के विकास दर में भी 2 प्रतिशत की कमी आ गई क्योंकि व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र का विकास काफी सीमा तक खाद्यान्न उत्पादन व सेवों के उत्पादन से प्रभावित होता है ।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

3.9 इस क्षेत्र में बैंक व बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें सम्मिलित हैं । सातवीं पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्र की विकास दर 7.8 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 1989-90 में इस क्षेत्र की विकास दर केवल 7 प्रतिशत है ।

सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएं

3.10 सातवीं पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्र की औसत वार्षिक विकास दर 8.7 प्रतिशत रही ।

खाद्यान्न उत्पादन

('000 टन में)

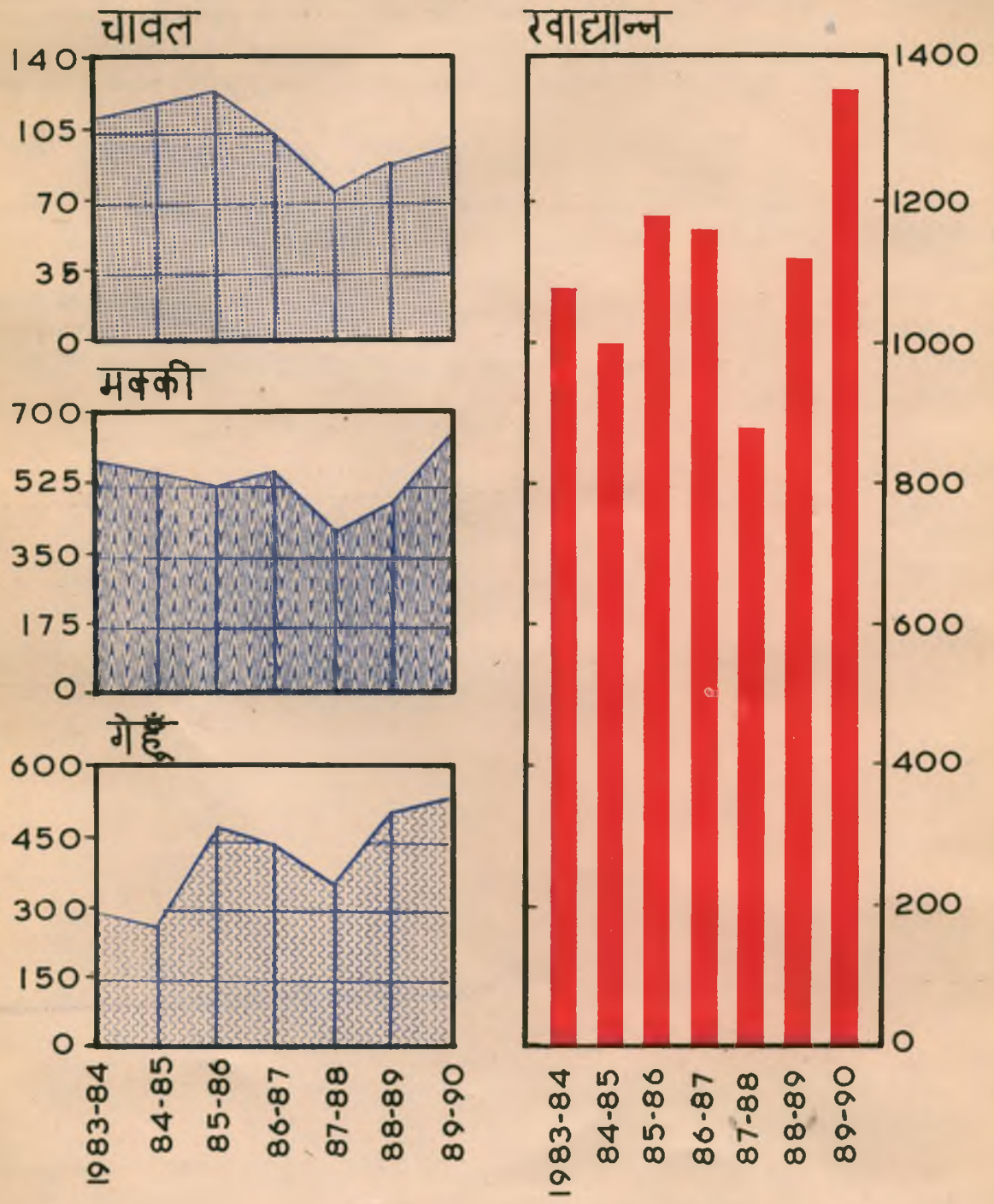

4. कृषि

4.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है अतः यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे प्रदेश में लगभग 71 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध होता है । प्रदेश के कुल 55.7 लाख हैक्टयर भौगोलिक क्षेत्र म से 6.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र खेती के अन्तर्गत आता है । इसमें मुख्यतः लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा खेती की जाती है । कृषि विभाग यहां के कृषकों के लिये उन्नत तकनीकी के साथ-साथ समय-समय पर कृषि सम्बन्धी उपकरण जैसे कि उन्नत बीज उर्वरक, पौध संरक्षण तथा उन्नत कृषि औजार आदि भी उपलब्ध करवाता है । बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क खेती, तिलहन और दालों के बीज के विकास, बायोगैस संयन्त्र लगाना जो कि ऊर्जा स्रोत का एक विकल्प है के विकास पर बल दिया जा रहा है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में की गई उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित है :--

सूत्र--1 सिंचाई स्त्रोतों का विकास तथा शुष्क खेती को उत्पादन सामग्री की आपूर्ति और तकनीकी जानकारी के प्रसार में वृद्धि लाना

4.2 हिमाचल प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है । परन्तु वर्षा की बौछार प्रदेश में समान रूप से नहीं पड़ती है। फसलों के उत्पादन हेतु कृषि विभाग कृषकों को शुष्क कृषि प्रणाली अपनाने की प्रेरणा देता है जो काफी लोकप्रिय हो रही है । इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों को खरीफ की फसल के बाद भूमि में नमी बनाये रखने, फसलों की उचित किस्में, उन्नत बीज की किस्में तथा उर्वरकों का उचित उपयोग, खरपतवारों का विनाश तथा आपात के समय खेती इत्यादि के विषय म प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कृषकों को इन विषयों सम्बन्धी शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये।

4.3 वर्ष 1990-91 में 95 लघु जलाशय शैड गहन विकास के लिये चुने गये तथा दिसम्बर 1990, तक 93 लघु जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया था । इन लघु जलाशयों से 9,500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सम्भावना है तथा 71,500 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई इसके बाहर कराने का लक्ष्य है । वर्ष के दौरान 17,500 सुधरे कृषि यंत्र वितरित किये जायेंगे ।

सूत्र—2 दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हेतु विशेष प्रयत्न करना

4.4 वर्ष 1990-91 के दौरान 30,000 टन दालों तथा 21,500 टन तिलहनों का उत्पादन होने की आशा है । वर्ष 1990-91 में दालों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये दिसम्बर, 1990 तक लगभग 3000 क्विंटल दालों तथा 803 क्विंटल तिलहनों के बीज कृषकों को दिये गये ।

सूत्र--7 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों का विकास

4.5 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये विशेष घटक योजना द्वारा अनुदान पर कृषि उत्पादन सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ तकनीकी जानकारी भी प्रदान की गई । इसके साथ-साथ इनको कृषि की नई तकनीकी जानकारी सम्बन्धी प्रदर्शन दिये गए ।

सूत्र—12 बायोगैस का विकास

4.6 वर्ष 1990-91 म 3,200 बायोगैस संयन्त्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से दिसम्बर, 1990 तक 1,834 बायोगैस संयन्त्र लगाये जा चुके थे। वर्ष 1991-92 के दौरान 3,500 बायोगैस संयन्त्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है । प्रदेश ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है ।

खाद्यान्न उत्पादन

4.7 वर्ष 1990-91 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 13.80 लाख टन रखा था जबकि वर्ष 1991-92 के लिये 14.40 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होने की सम्भावना है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे है :—

(1) अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों का कार्यक्रम

4.8 कृषि विभाग अधिक क्षेत्र को ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत लाकर उत्पादन बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयास

कर रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :--

फसल का नाम	इकाई	उपलब्धियां		संभावित लक्ष्य
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1. मक्की	'000 है0	100.00	102.00	120.00
2. धान	'000 है0	91.25	92.00	92.00
3. गेहूं	'000 है0	337.00	340.00	360.00

(2) उर्वरक

4.9 रासायनिक खाद कृषि उत्पादन को बढ़ाने, में विशेष भूमिका निभाती है विशेषकर जब उसे अधिक उपज देने वाले बीजों के स. प्रयोग में लाया जाये तथा खाद का उसी मात्रा में उपयोग किया जाये जिस मात्रा की सिफारिश की गई हो । रासायनिक खाद को लोकप्रिय बनाने के लिये किये गए प्रयासों के कारण कृषक वर्ग में इस खाद की मांग काफी बढ़ रही है तथा प्रदेश में उर्वरकों की खपत बढ़ी है जैसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :--

(पौष्टिक रूप में खपत)
('000 मीट्रिक टन)

मद	उर्वरक की खपत			
	1989-90	1990-91 लक्ष्य	सितम्बर,90 तक की उपलब्धियां	1991-92 लक्ष्य
नाईट्रोजन (एन)	23.62	24.44	17.04	28.25
फासफोरस ($पी_2ओ_5$)	5.27	5.50	2.14	5.50
पोटाश ($के_2ओ$)	3.81	3.75	0.83	4.25
योग	32.70	33.69	20.01	38.00

उर्वरक के प्रयोग के अतिरिक्त, हरी खाद को प्रयोग करने पर भी जोर दिया जा रहा है ।

(3) पौध संरक्षण

4.10 फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि फसलों को इन में लगने वाली बिमारियों, कीट व कीट-नाशकों से बचाया जाये । वर्ष 1990-91 में 4.24 लाख हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र विभिन्न पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जबकि वर्ष 1989-90 में कुल 4.18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र इन उपायों के अधीन आने की सम्भावना है । 1990-91 के दिसम्बर, माह तक 3.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाया जा चुका था।

मिट्टी की जांच

4.11 वर्ष 1991-92 में सितम्बर, 1990 तक 41,335 मिट्टी के नमूनों को एकत्र किया गया तथा प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में इनका विश्लेषण किया गया । वर्ष 1991-92 के लिये 68,500 मिट्टी के नमूनों का प्रयोगशालाओं में विश्लषण करने का लक्ष्य है।

वाणिज्य फसलें

(1) आलू

4.12 आलू हमारे प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिस पर विशेषत: जिला शिमला तथा लाहौल-स्पिति के कृषकों को आर्थिक स्थिति निर्भर करती है । उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए तथा ग्राहकों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध

करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में "हिमाचल प्रदेश बीज आलू नियन्त्रण आदेश" लागू किया ताकि ग्रेडिंग का स्तर बीज की शुद्धता आदि को सुनिश्चित किया जा सके । बीज प्रमाण एजन्सी ने 16,400 टन आलू के बीज प्रमाणित किए तथा 31,200 टन आलू का बीज तथ खाने के आलू का देश के अन्य आलू उत्पादक राज्यों को निर्यात किया ।

(2) **सब्जियां**

4.13 प्रदेश का विशेष जलवायु बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिये अनकूल है । इन सब्जियों को उगाने के लिये कृषकों को तकनीकी सहायता तथा आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध करवाये जात हैं । वर्ष 1991-92 में 3.68 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होने की आशा है ।

(3) **अदरक**

4.14 अदरक मुख्यत: प्रदेश के जिला सिरमौर, सोलन, बिलासपुर तथा शिमला में उगाया जाता है । वर्ष 1989-90 में 2,100 टन सूखा अदरक उगाया गया तथा वर्ष 1991-92 में 2,750 टन सूखा अदरक पैदा करने का प्रस्ताव है ।

कृषि विपणन

4.15 किसानों को उन की उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु "हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन ऐक्ट, 1969" प्रदेश में लागू रहा । समस्त प्रदेश को इस एक्ट के अन्तर्गत लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । जिला कांगड़ा में चक्की ब्रिज तथा सोलन जिला में परवाणु में नियन्त्रित मण्डियां बनाने का निर्माण कार्य प्रगति पर रहा । उसी प्रकार कोटी, पलांगी, जगजीतनगर, भून्तर, टकौली, खैरी, बैजनाथ तथा जैसूर में सब-मार्किट यार्डस बनाने का निर्माण कार्य भी जारी रहा । वष 1991-92 में 2 मार्किट यार्डस तथा 8 मार्किट सब-यार्डस का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

4.16 वर्ष 1990-91 में कृषि सम्बन्धी सूचनायें कृषि आंकड़े, बीज जांच व प्रमाणीकरण, कृषि प्रशिक्षण केन्द्र तथा कृषि इजीनियरिंग जैसी उपयोगी सेवाएं भी किसानों को उपलब्ध करवायी गई ।

4.17 उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाएं उत्पादन तथा क्षेत्र के अनुमानों को तैयार करने की समयबद्ध प्रतिवेदन योजना तथा फसल सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार वर्ष 1990-91 में इसके साथ ही केन्द्र द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय तिलहन बीज विकास प्रोजैक्ट" के अधीन रबी तिलहन बीजों की 4,741 मिनि किटस और इतनी ही किटस खरीफ तिलहन बीजों की दिसम्बर 1990 तक वितरित की गई । इस योजना के अन्तर्गत किसानों को विभिन्न प्रदर्शनों द्वारा तिलहनों की उन्नत तकनीकों को अपनाने तथा भू-संरक्षण तरीकों को अपनाने के लिये शिक्षित किया जाता है । इसी प्रकार से "दालों के विकास" की केन्द्र द्वार प्रायोजित योजना क अधीन दालों की 526 मिनि किटस दिसम्बर, 1990 तक बांटी गई ।

भू-संरक्षण

4.18 कृषि क्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की 50 प्रतिशत का अनुदान और 50 प्रतिशत के ऋण देती है । वर्ष 1990-91 में 1800 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण उपायों के अधीन लाने की संम्भावित उपलब्धि की तुलना में वर्ष 1991-92 में 2200 हैक्टयर क्षेत्र इन उपायों के अधीन लाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना के अधीन 1991-92 में 1,730 हैक्टयर क्षेत्र भू-संरक्षण के अधीन लाने का प्रस्ताव है जबकि जनवरी, 1991 तक 1,120 हैक्टेयर क्षेत्र इन कार्यक्रमों के अधीन लाया जा चुका है ।

उद्यान

4.19 हिमाचल प्रदेश में विभिन्न फल/फसलों को उपजाने के लिए यहां की जलवायु तथा वनस्पति स्रोत बहुत उचित हैं । अधिक उत्पादन तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादक से अधिक आय होने के फलस्वरूप प्रदेश में उद्यान ग्रामीण लोगों की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है । सेब का उत्पादन अभी भी फल उत्पादन में मुख्य स्थान रखता है । साथ ही साथ अन्य फसलें भी जैसे नीम्बू प्रजाति के फल, आम, गूटलीदार फल आदि का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है ।

वर्ष 1990–91 में उद्यान क्षेत्र में हुई मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख निम्नलिखित है :—

फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

4.20 वर्ष 1990-91 में फल पौधों के अन्तर्गत 7,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य था परन्तु माह दिसम्बर, 1990 के अन्त तक लगभग 3,215 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल फल पौधों के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष के अन्त तक पूरा लक्ष्य प्राप्त

करने की सम्भावना है। फल पौधे शीत ऋतु में लगाये जाते हैं। 17.50 लाख फल पौधों के वितरण के लक्ष्य के स्थान पर माह दिसम्बर, 1990 तक 7.76 लाख फल पौधों का वितरण किया गया ।

फलोत्पादन

4.21 वर्ष 1989-90 के दौरान 4.60 लाख टन फलों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 1990-91 में सभी प्रकार के फलों के उत्पादन की क्षमता 4.83 लाख टन है जबकि दिसम्बर, 1990 तक प्रदेश में 4.10 लाख टन फलों का उत्पादन हो चुका है और वर्ष 1990-91 के दौरान 4.25 लाख टन फल उत्पादन होने की सम्भावना है।

4.22 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में दिसम्बर, 1990 तक 1.57 लाख फल पौधों को तुलना में 0.74 लाख पौधों की कलमबन्दी की जा चुकी है। इसमें जंगली पौधों को शीर्ष कलमबन्दी द्वारा उत्तम किस्मों में बदल कर उनसे अधिक लाभ उठाया जाता है क्योंकि सामान्यतया शीर्ष कलमबन्दी का कार्य बसन्त ऋतु में किया जाता है अतः चालू वर्ष के अन्त तक लक्ष्य प्राप्त कर लेने की सम्भावना है।

पौध संरक्षण

4.23 वर्ष 1990-91 में 1.40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य था। दिसम्बर, 1990 तक लगभग 0.94 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाया गया जिसके वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है, क्योंकि पौध संरक्षण कार्य शीत व बसन्त ऋतु के महीनों में किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 60,000 हैक्टेयर क्षेत्र को स्कैब रोग की रोकथाम के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य में से लगभग 31,000 हैक्टेयर सेब के बागीचों का क्षेत्र स्कैब रोग रोधक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है। इसके साथ-साथ बागवानों को फल पौधों पर कीटों और बिमारियों को रोकथाम के लिए दिसम्बर, 1990 तक लगभग 1.42 मीट्रिक टन कीटनाशक एवं फफूंद नाशक दवाईयां, जिनकी कीमत 1.36 करोड़ रूपय थी, वितरित की गई।

उद्यान उद्योग में विविधता लाना

4.24 उद्यान उद्योग में विविधता लाने के लिए प्रदेश में अन्य फलों जैसे कि जैतून, अंजीर, होप्स, खुम्ब, पिस्ता इत्यादि की खेती को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यान सम्बन्धित सहायक उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैतून के विकास के लिए प्रदेश में इटली सरकार की सहायता से एक परियोजना बजौरा (कुल्लू जिला) में कार्यान्वित की जा रही है जिसका तीन वर्ष अवधि का प्रथम चरण नवम्बर, 1984 से दिसम्बर, 1987 की अवधि में पूर्ण कर लिया गया तथा इसके अन्तर्गत इटली से लगभग 60 उद्यानपतियों का बजौरा में परिचय करवाया गया जिसमें 17 उद्यानपति केवल जैतून की बागवानी में ही कार्यरत थे। इस तीन वर्षीय योजना का द्वितीय चरण 1990-91 से आरम्भ किया जा चुका है। होप्स उत्पादन जो आजकल केवल लाहौल घाटी तक सीमित है, की किन्नौर तथा पांगी के क्षेत्रों में भी उगाये जाने के प्रयत्न किय जा रहे हैं। दिसम्बर, 1990 तक होप्स की खेती के अन्तर्गत 1.25 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है तथा 41.3 टन हरा कोन्स उत्पादित हुआ। पालमपुर में भारत-डच खुम्ब विकास परियोजना जो कि खुम्ब के उत्पादन में डच तकनीकी लाने के लिए 1985-86 में शुरू की गई थी। लगभग पूरी हो चुकी है तथा इस वर्ष के अन्त तक इस परियोजना के पूर्ण रूप से आरम्भ हो जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1990 तक 346 टन खुम्ब का उत्पादन हुआ तथा इसके अतिरिक्त खुम्ब उत्पादकों को 2,014 टन पासचराईड़ खाद तथा 830 सपान की बोतलें दी गई। मधु पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 227 मौन वंश बागवानों को वितरित किए गये तथा वर्ष 1990-91 में दिसम्बर, 1990 तक 62 टन मधु का उत्पादन किया गया।

फलों का विपणन एवं विधायन

4.25 वर्ष 1990-91 की अवधि में प्रदेश से दिसम्बर, 1990 तक लगभग 3.32 लाख टन फलों का निर्यात किया गया। जिसमें से 3.07 लाख टन सेब निर्यात हुआ। फल उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त करवाने के उदेश्य से प्रदेश सरकार ने मण्डी मध्यस्थता स्कीम के अन्तर्गत कुछ फलों जैसे सेब, संगतरा, किनू तथा मालटा पर समर्थन मूल्य दिया।

4.26 उद्यान विभाग द्वारा इस वर्ष दिसम्बर, 1990 तक 1,209 बागवानों को फलों के वर्गीकरण तथा पेटियों में पैक करने की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण दिया गया तथा 10,000 पेटियों में प्रदर्शन के रूप में पैकिंग की गई। उद्यान विभाग की 9 फल विधायन इकाईयों द्वारा 1,240 बागवानों को घरेलू स्तर पर फल पदार्थ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 114 टन फल का उत्पादन हुआ तथा सामूदायिक फल विधायन सेवा के अन्तर्गत 32 टन फल पदार्थ तैयार किये।

कमजोर वर्गों के लिए उद्यान विकास

4.27 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रदेश में बागवानी विकास के अन्तर्गत 1,066 अनुसूचित जाति तथा 66 अनुसूचित जनजाति के परिवारों की लाभान्वित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों की विशेष अपदान सहायता प्रदान की जाती है।

उद्यान उत्पादन

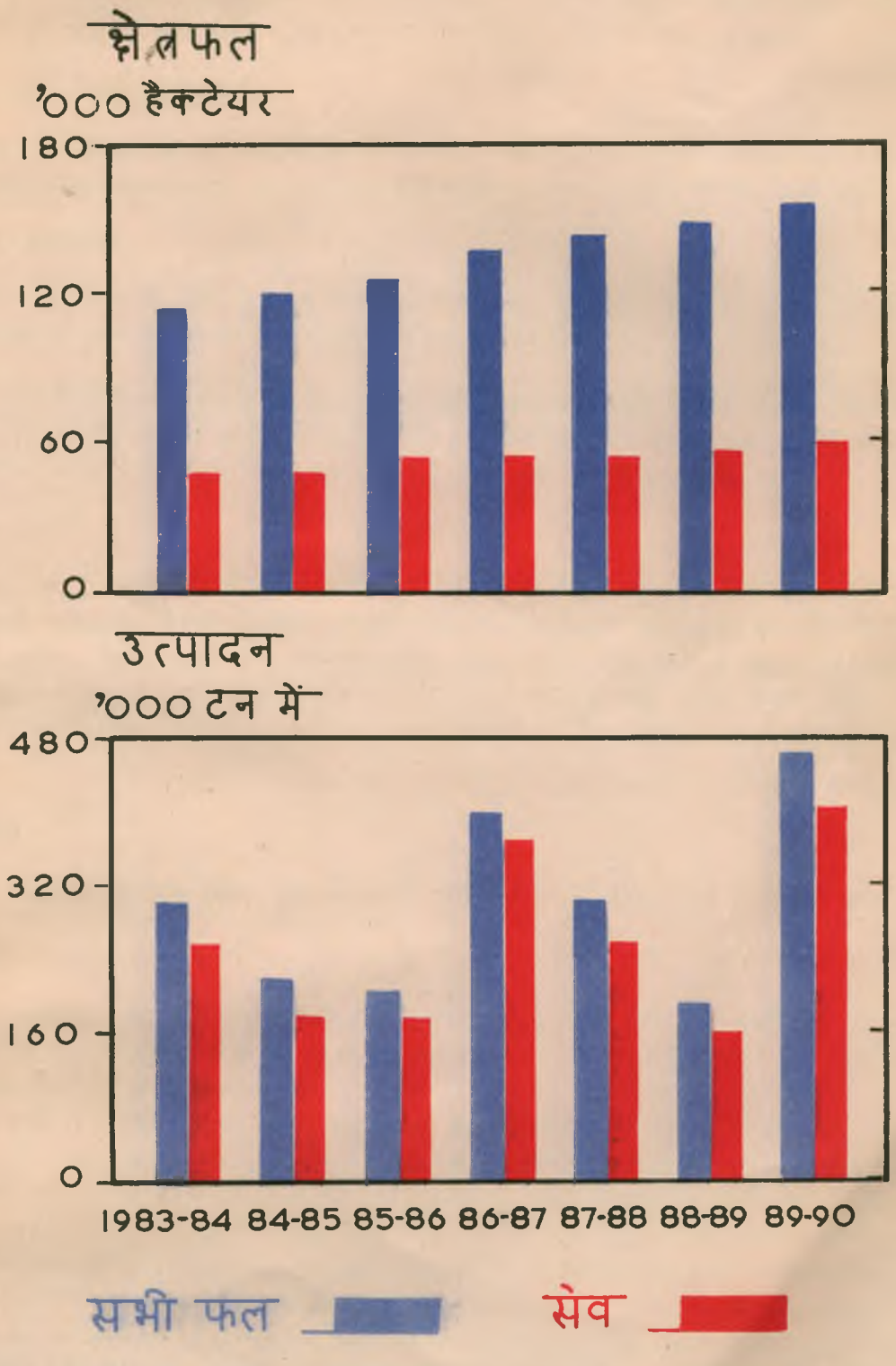
क्षेत्रफल
'000 हैक्टेयर
180
120
60
0
उत्पादन
'000 टन में
480
320
160
0
1983-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
सभी फल
सेव

सिंचाई

4.28 हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55.7 लाख हैक्टेयर है। इसका बहुत बड़ा भाग निरन्तर बर्फ से ढका हुआ या वनों के अधीन अथवा बंजर, ढलानों का क्षेत्र है। इन प्राकृतिक कारणों से प्रदेश में अत्याधिक सिंचाई कठिन है, फिर भी ग्रामों के खण्डों मे और पहाड़ी ढलानों के साथ बोया गया क्षेत्र लघु सिंचाई के मूलरुप से अनुकूल है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर अत्याधिक निर्भर है। खेती के उन्नत उपाय, सिंचाई और सुधरे बीज खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। धरती के ऊपर तथा नीचे पानी के काफी स्रोत हैं जिनके उपयोग से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्राप्त क्षमता से कुल बोये क्षेत्र का 3.35 लाख हैक्टेयर मुख्य मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचित किया जा सकता है।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजना

4.29 मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में वर्ष 1990-91 की अवधि में 250 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 270 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है तथा इस वर्ष के अन्त तक पूरा करने की आशा है।

लघु सिंचाई परियोजना

4.30 वर्ष 1990-91 के लिए 795.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है जिससे 250 हैक्टेयर भूमि लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाने की योजना है तथा चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा करने की आशा है।

4.31 यू0 एस0 ऐंड प्रोजैक्ट के अन्तर्गत 18.32 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिससे 4,300 हैक्टेयर भूमि के सिंचाई के अन्तर्गत लाने और 6,750 हैक्टेयर भूमि का चक विकास करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के अन्तर्गत 39.22 करोड़ रुपये की लागत से 9,981 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया तथा 1,002 हैक्टेयर भूमि का चक विकास किया गया।

जल वितरण क्षेत्र

4.32 पहले ही से सर्जित सिंचाई सम्भावनाओं का सदुपयोग करने हेतु यह जरुरी है कि जल वितरण कार्यक्रम लागू किया जाए। इसके सही उपयोग के लिए फील्डचैनल, बराबन्दी इत्यादि का होना अत्यन्त जरुरी है। इस कार्य को मध्यम सिंचाई योजनाओं जैसे गिरी सिंचाई योजना, भवौर साहिब तथा बल्ह घाटी (प्रथम चरण) के लिए लागू किया जा रहा है। इन कार्यों के लिए राज्य क्षेत्र में वर्ष 1990-91 में 40 लाख रुपय का प्रावधान रखा गया है। इतनी ही राशि भारत सरकार केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रदान करेगी। वर्ष 1990-91 के लिए 1,000 हैक्टेयर में फील्ड चैनल तथा 1000 हैक्टेयर में बराबंदी का निर्माण करन का लक्ष्य रखा गया है।

बाढ़ नियन्त्रण

4.33 वर्ष 1990-91 म 250 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने के लिए 90.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि गणना

4.34 वर्ष 1985–86 की कृषि गणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 7.53 लाख जोतें थी जो कि वर्ष 1980–81 पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। इन जोतों का वर्ष 1985-86 तथा वर्ष 1980-81 में कुल क्षेत्र लगभग 9.80 लाख हैक्टेयर ही रहा। इसके परिणाम स्वरूप औसत जोत जो कि 1980–81 में 1.53 हैक्टेयर थी वर्ष 1985–86 में घटकर 1.30 हैक्टेयर हो गई। वर्ष 1985–86 में सीमान्त जोतों (1 हैक्टेयर) की संख्या 4.63 लाख हो गई जबकि वर्ष 1980–81 में 3.52 लाख थी जबकि लघु जोतों (1.0 से 2.0 हैक्टेयर) वर्ष 1980–81 में 1.40 लाख थी, वर्ष 1985–86 में बढ़कर 1.55 लाख हो गई। 0.5 हैक्टेयर तक की जोतें जो 1980–81 में 2.23 लाख थी वर्ष 1985–86 में बढ़कर 2.96 लाख हो गई और 0.5 से 1.0 हैक्टेयर तक की जोतें जो वर्ष 1980–81 में 1.29 लाख थी 1985–86 में बढ़कर 1.67 लाख हो गयी। लघु जोतों की तुलना मे 10.0 हक्टेयर व उससे अधिक जोतों की संख्या जो वर्ष 1980–81 में 6,954 थी वर्ष 1985–86 में घटकर 5,643 रह गई। सीमान्त व लघु जोतों (2.0 हैक्टयर और उससे कम की जोतें) के सम्बन्ध में वह प्रतिशता जो वर्ष 1980–81 में 77.2 थीं 1985-86 में बढ़कर 82.2 हो गई और उनके अधीन क्षेत्र की प्रतिशतता जो वर्ष 1980–81 में 35.4 थी बढ़कर 1985–86 में 43.2 हो गई। इसके विपरीत 10.0 हक्टेयर व इससे अधिक बड़ी जोतों की प्रतिशतता जो वर्ष 1980–81 में 1.1 थी वर्ष 1985–86 में घटकर 0.7 रह गई और उनके अधीन क्षेत्र जो वर्ष 1980–81 में 12.7 प्रतिशत था वर्ष 1985–86 में घटकर 9.7 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त 1985–86 की कृषि गणना के अनुसार 7.53 लाख जोतों में से 1.80 लाख व 0.32 लाख जातें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की थी कुल जोतों का 23.9 प्रतिशत व 4.3 प्रतिशत है। जहां तक उनका क्षेत्र में हिस्से का सम्बन्ध है वह 1.34 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति

व 0.38 लाख हैक्टयर अनुसूचित जनजाति का है जोकि कुल 9.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का 13.7 प्रतिशत व 3.9 प्रतिशत है । यदि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों की जोतों व क्षेत्र में प्रतिशतता ली जाए तो वह 28.2 प्रतिशत व 17.6 प्रतिशत होती है ।

भूमि सुधार

4.35 भूमि सम्बन्धी तरीकों में सुधार नीति प्रदेश में वर्ष 1990--91 में भी लागू रही इस नीति के अन्तर्गत, (क) काश्तकार किसानों को भूमि का स्वामित्व दिलाना, (ख) भूमि जोतों में भिन्नता को कम करना, (ग) भू-एकत्रीकरण द्वारा जोतों के विभाजन को रोकना, (घ) भूमि रिकार्डस को बन्दोबस्त कार्यवाही द्वारा संशोधित करना और (ङ) परती भूमि/शामलात भूमि को भूमि हीनों और पात्र व्यक्तियों में आंबटन करना ।

स्वामित्व के अधिकार देना

4.36 हिमाचल प्रदेश काश्तकार एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 गैर-स्वामित्व काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देता है । प्रदेश में 4.34 लाख गैर-स्वामित्व काश्तकार थे (1.03 लाख शिमला मण्डल में, 1.07 लाख मण्डी मण्डल में व 2.24 लाख कांगड़ा मण्डल में) । जिनमें से 3.96 लाख को स्वामित्व के अधिकार दिये गये हैं (शिमला मण्डल में 0.97 लाख, मण्डी मण्डल में 0.92 लाख व कांगड़ा मण्डल में 2.07 लाख) । शेष 38,000 काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास संरक्षण वर्ग जैसे बच्चे, विधवा, सेना में कार्यरत और अपंग व्यक्तियों के स्वामित्व की भूमि है ।

हिमाचल प्रदेश अधिकतम जोत भूमि अधिनियम, 1972

4.37 हिमाचल प्रदेश अधिकतम जोत भूमि अधिनियम, 1972 राष्ट्रीय मार्ग दर्शन रेखा के आधार वर्ष 1972 में लागू किया गया था । भूमि की सीमा तथा ऐसी अन्य शर्तों को छोड़कर विशेषकर लघु जोत के भूमि आकार आदि इस अधिनियम की शर्तें लगभग देश के दूसरे राज्य के समान ही हैं । दिसम्बर, 1990 तक शिमला मण्डल में 1,022 मामलों में से 1,016 मामलों को निपटाया गया तथा शेष 6 मामले शिमला मण्डल की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन थे तथा कांगड़ा मण्डल ने 48,059 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित करके इसमें से 2,069 एकड़ भूमि अधिशेष भूमि उपयोग के अन्तर्गत आंवटित की, 24,818 एकड़ भूमि वन विभाग तथा 6,929 एकड़ भूमि मुजारों को हस्तान्तरित की गई तथा 1,793 एकड़ भूमि आंवटन योग्य है परन्तु इसमें खुदरों द्रखतान मलकीयत सरकार है । शेष 12,450 एकड़ भूमि चरान्द/घासनी या कृषि अयोग्य है ।

हिमाचल प्रदेश शामलात भूमि (निहित और उपयोग अधिनियम, 1974)

4.38 इस अधिनियम के अधीन धारा तीन के अन्तर्गत गांव की कुल शामलात भूमि भूमिहीनों और पात्र व्यक्तियों को सर्व कल्याण कार्य हेतु प्रदान की जा रही है । जहां कहीं भी आंवटन के लिए भूमि उपलब्ध है भूमि हीनों को दी जा रही है । शिमला मण्डल में सभी भूमिहीन तथा अन्य योग्य व्यक्तियों को भूमि दी जा चुकी है । अन्य योग्य व्यक्तियों तथा भूमिहीनों का पता लगाने के लिए नये सर्वेक्षण किये जा रहे हैं तथा ठीक पाए गए भूमिहीन तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भूमि दी जा रही है । मण्डी मण्डल में 5,037 भूमिहीन तथा 28,999 अन्य योग्य व्यक्तियों जिनकी पहचान की गई, में से अभी तक 5,037 भूमिहीन तथा 28,020 अन्य योग्य व्यक्तियों को भूमि दी गई । जहां तक शेष 979 योग्य व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने का प्रश्न है वह वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने के कारण नहीं दी जा सकी । कांगड़ा मण्डल में दिसम्बर, 1990 तक 2,125 भूमिहीनों तथा 578 बेघरों को जिनका 1981 व 1983 के सर्वेक्षण में पता लगाया था, कृषि के लिए व घर बनाने के लिए भूमि दी गई । शेष चिन्हित व्यक्तियों को कृषि योग्य अथवा घर निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि नहीं दी जा सकी है ।

किसान पास बुकों का वितरण

4.39 किसान पास बुकों के वितरण का कार्य वर्ष 1990-91 में जारी रहा । प्रदेश में सितम्बर, 1990 तक 10.13 लाख पास बुकों को वितरित किया गया ।

भूमि एकीकरण

4.40 पुराने सर्वेक्षण की रिर्पोट के अनुसार कुल 49 लाख एकड़ भूमि भू-एकीकरण के योग्य है । इसमें से मार्च, 1990 तक 17.81 लाख एकड़ भूमि एकत्रित की जा चुकी है । भू-एकत्रिकरण कार्य कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी और सोलन जिलों में प्रगति पर है । वर्ष 1990--91 में दिसम्बर, 1990 तक 46,727 एकड़ भूमि एकत्रित की गई जबकि लक्ष्य 77,250 एकड़ भूमि का है । वर्ष 1991--92 का लक्ष्य 77,250 एकड़ भूमि एकत्रित करने का है ।

पशुपालन

4.41 प्रदेश में पशु पालन के विकास कार्यक्रम में (1) पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण, (2) मौजातीय पशु विकास,

(3) भेड़ प्रजनन एवं ऊन का विकास, (4) कुक्कुट विकास, (5) पशु आहार तथा चारा विकास, (6) दुग्ध विकास/घी वितरण योजना, और (7) पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा सम्मिलित है। इन क्षेत्रों की 1990-91 की सम्भावित उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण

4.42 इस समय राज्य में 230 पशु चिकित्सालय, 514 औषधालय तथा 83 वाह्य औषधालय हैं जो पशु चिकित्सा और छूत के रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 चलते-फिरते औषधालय भी कार्य कर रहे हैं जो कि महामारी को फैलाने से रोकने के अतिरिक्त पशु चिकित्सा सुविधा शीघ्र पहुंचाते हैं। प्रदेश में 4 क्लोनिक प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं जिनस पशुओं के विभिन्न रोग लक्षणों की तुरन्त जांच की जाती है। राज्य मुख्यालय में एक संनिरीक्षण इकाई कार्य कर रही है जिसके द्वारा पशुओं के रोग की जांच व रोगों का नियन्त्रण किया जाता है। वर्ष 1990-91 में पशु महामारी (रिडरपैस्ट) जो छूत की बिमारी है कि रोकथाम के लिए 4 चैकपोस्ट पंडोगा तथा मांदली जिला ऊना में, स्वारघाट जिला बिलासपुर में तथा मिलवा जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं। इनकें द्वारा वर्ष 1990-91 में 50,000 आने-जाने वाले पशुओं को टीके लगाने का अनुमान है।

4.43 वर्ष 1990-91 में पशु चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद्	1990-91 की सम्भावित उपलब्धियां ('000)
1	2	3
1.	छूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व वाह्य रोगी)	50.00
2.	अछूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व वाह्य रोगी)	1,905.00
3.	रोग ग्रस्त पशुओं को दवाई दी गई जो कि चिकित्सालय औषधालय आदि में नहीं लाए गए	23.00
4.	टीके लगाए गये	35.00
5.	वधियाकरण किया	102.00
6.	परिभ्रमण में दी गई चिकित्सा सुविधा	—
	(क) छूत	19.50
	(ख) अछूत	487.00
7.	परिभ्रमण वाधियाकरण	104.10
8.	परिभ्रमण में लगाए गए टीके	618.00

गोजातीय विकास

4.44 प्रजनन के लिए जर्सी नसल की सब जातियों से उचित माना गया है, इसलिऐ पहाड़ी गायों को जर्म प्लाजम वाले जर्सी से प्रजनन पर विशेष बल दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर जहां पशु आहार तथा चारा अधिक मात्रा में मिलता है, होलस्टेनफ्रिजियन नसल से प्रजनन का प्रबन्ध है। भैंसों को बिना वर्णित नसल सुधारने हेतु जमें हुए वीर्य से किन्नौर, कुल्लू तथा लाहौल स्पिति जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त गाय तथा भैंसों की प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। गोजातीय विकास कार्यक्रम की कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं :—

(क) **ग्राम सम्बर्धन योजना.**— इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सम्बर्धन ब्लाक तथा 51 ग्राम सम्बर्धन केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर बिलासपुर तथा ऊना जिलों में कार्यरत है।

(ख) **पहाड़ी पशु विकास कार्यक्रम.**— यह कार्यक्रम शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा चम्बा जिलों में चलाया जा रहा है।

(ग) **सघन गोजातीय विकास परियोजना.**— यह परियोजना घनाहट्टी में स्थित वीर्य बैंक से शिमला जिले की शिमला व सुन्नी तहसील में तथा सोलन जिला की तहसील अर्की में 22 केन्द्र/उपकेन्द्रों में चलाई जा रही है।

(घ) **चिकित्सालयों/औषधालयों तथा सांड केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं.**—प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 306 चिकित्सालयों तथा औषधालयों द्वारा दोगली जाति के प्रजनन व कृत्रिम गर्भाधान द्वारा सुविधायें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) **कृत्रिम गर्भाधान.**—उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सालयों तथा औषधालयों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं वहां 49 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा प्रजनन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

4.45 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद्द	वर्ष 1990–91 की सम्भावित उपलब्धियां	
		गाय	भैंस
1	2	3	4
1.	कृत्रिम गर्भाधान	1,80,000	27,000
2.	प्राकृतिक गर्भाधान	1,000	2,000
3.	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	73,000	8,500
4.	प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	800	1,700

4.46 प्रदेश में शुद्ध व अच्छी नस्ल के सांडों की आवश्यकता को शुरू करने के लिए 5 गोजातीय पशु प्रजनन फार्म कमान्द व भंगरोटू (मण्डी), कोठीपुरा (बिलासपुर), पालमपुर (कांगड़ा), तथा बागथन (सिरमौर) में कार्यरत हैं। इन सभी पशु प्रजनन फार्मों में पशुओं की कुल संख्या 491 है। ये फार्म विदेशी नस्ल के पशुओं के प्रबन्ध की समस्याओं के अध्ययन में भी सहायता करते हैं। तीन वीर्य कोष जिनमें एक गहरी जमी हुई प्रयोगशाला तथा 6 तरल नाईट्रोजन संयन्त्र हैं, राज्य में सांडों का जमा हुआ वीर्य विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में आपूर्ति कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करने से वर्ष 1990-91 में 540 हजार टन दूध के उत्पादन की सम्भावना है। इस वर्ष 3 लाख गाय व 25,000 भैंसों के स्ट्रा बनाए गए तथा इसके अतिरिक्त 1,20,000 लिटर तरल नत्रजन के उत्पादन की सम्भावना है।

भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास

4.47 भेड़ों तथा ऊन में सुधार लाने के लिए सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), सरोल (चम्बा), नंगवाई (मण्डी), ताल (हमीरपुर), कड़छम (किन्नौर) और भेड़ और ऊन केन्द्र चूरा (चम्बा) राज्य में किसानों को उन्नत भेडें देते हैं। इन फार्मों में 2,237 भेड़ें थी। वर्ष 1990-91 में लगभग 850 उन्नत भेड़ें, किसानों को वितरित की जाने की सम्भावना है। भेड़ों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए तथा सोवियत मैरीनों और अमरिकन रैमबुलेट की ख्याति को देखते हुये सरकार ने वर्तमान सरकारी फार्मों पर प्रजनन कार्य शुरू कर दिया है। चार भेड़ प्रजनन केन्द्र कोठी कोहर (कांगड़ा), सरार (मण्डी), बागीपुल (कुल्लू), तथा डोडरा क्वार (शिमला) में कार्यरत हैं। भेड़ों के विकास के लिए विशेष पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को कम दर पर ऋण प्रदान करने की परियोजना जिला सिरमौर में चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सघन भेड़ विकास कार्यक्रम जो चम्बा जिले की भरमौर, चम्बा व भटियात तहसीलों में लागू है, के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेडें दी जाती हैं तथा डिपिंग व डरेंचिंग की सुविधाओं के साथ चारागाहें उन्नत की जाती हैं। भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया गया है। वर्ष 1990–91 में 14.20 लाख टन ऊन उत्पादन की सम्भावना है।

कुक्कुट विकास

4.48 सुधरी किस्म के कुक्कुट पक्षी वितरित करने तथा अण्डों से बच्चे निकालने के लिए प्रदेश में 14 कुक्कुट फार्म/केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1990–91 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद्द	वर्ष 1990–91 की सम्भावित उपलब्धियां
1	2	3
1.	सरकारी फार्मों पर अण्डे देने वाली मुर्गियों की औसत संख्या	4,609
2.	अण्डों का उत्पादन	9,00,900
3.	चूजों का उत्पादन	2,05,200
4.	चूजे निकालने के लिए रखे गए अण्डे	2,68,500
5.	खाने के लिए अण्डों का विक्रय	6,17,000
6.	चूजे निकालने के लिए अण्डों का विक्रय	8,600
7.	प्रजनन के लिए पक्षियों का विक्रय	2,15,000
8.	खाने के लिए पक्षियों का विक्रय	86,000

4.49 विशेष पशुधन (कुक्कुट) उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो शिमला, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लघु एवं सीमान्त किसानों के लाभ के लिए हैं, वर्ष 1990-91 में 100 कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पशु आहार तथा चारा विकास

4.50 उच्च वर्ग के पशुओं का उत्पादन तथा संरक्षण उचित मात्रा में पौष्टिक पशु आहार तथा उन्नत चरागाहों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रदेश में चरागाहों व घासनियों तथा बीजों के विकास व वितरण और उन्नति के उद्देश्य हेतु सरकार अपने कार्यक्रमों को राज्य में पशु आहार के साधनों की उन्नति की ओर केन्द्रित कर रही है। अच्छी किस्म की घास को पौध किसानों तथा बागीचे वालों को कम मूल्य पर दी जा रही है।

डेयरी विकास तथा दुग्ध वितरण योजना

4.51 दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू तथा नाथपा झाखड़ी में चार दुग्ध वितरण योजनायें विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। वर्ष 1990-91 में इन योजनाओं के द्वारा 18.00 लाख लीटर दूध इक्ट्ठा करने का लक्ष्य है।

मत्स्य

4.52 हिमाचल प्रदेश विशाल एवं विभिन्न प्रकार के मत्स्य स्त्रोतों से सम्पन्न राज्य है जिससे ठण्डे जल से नदी-नालों और जलाशयों का जाल बिछा है जिसमें उष्ण कटिबन्धीय टैम्परेट व सब-टैम्परट की मत्स्य प्रजातियां हैं। मुख्यत: नदीय लक्यूस्ट्राईन, रिक्रीएशनल और पौंड़ फिशरिज में वर्गीकृत राज्य के जलों में मत्स्य विकास की काफी सम्भावना है। वर्ष 1990-91 के अन्तगत जहां एक ओर प्रदेश के जलाशयों में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर रहा है वहां दूसरी ओर विदेशी सहायता से स्थापित की जा रही व्यवसायिक ट्राऊट परियोजना कुल्लू के निर्माण कार्य को समापन करने के विशेष प्रयत्न कर रहा है। प्रदेश में लगभग 10,000 मछुआरे अपनी रोजी मछली पकड़ने द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। गोबिन्द सागर से इस वर्ष दिसम्बर, 1990 तक 574.97 मी0 टन मछली का उत्पादन किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक इस जलाशय से 565.38 मी0 टन मछली का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार पौंगडैम जलाशय से दिसम्बर, 1990 तक 301.79 मी0 टन मछली का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इस जलाशय से 294.73 मी0 टन मछली का उत्पादन हुआ था व गोबिन्दसागर जलाशय से प्रति वर्ष प्रति हैक्टेयर 80 कि0 ग्राम मत्स्य उत्पादन होने की आशा है। विभागीय फार्मों में अत्यन्त वाणिज्यिक किस्म की भारतीय मैजर कार्प मछली का उत्पादन करवाया गया। प्रदेश में दिसम्बर, 1990 तक कुल 3,146 मी0 टन मछली उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,916 मी0 टन मछली उत्पादन हुआ।

4.53 अनुसूचित जातीय विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 327 माहिगिर परिवारों को अनुदान दिया गया तथा फिश बीज फार्म, सांगला में 70,500 ट्राऊट ओवा का उत्पादन किया गया। विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नतालिका में दिया गया है :—

क्रमांक	मद्द	लक्ष्य 1990-91	उपलब्धियां दिसम्बर, 1990 तक	उपलब्धियां मार्च, 1991 तक सम्भावित
1	2	3	4	5
1.	मत्स्य उत्पादन (टन)	5,500	3,146	5,500
2.	मत्स्य बीज उत्पादन-मिरर व मैजर कार्प, ट्राऊट (मिलियन)	25.00	18.00	22.00
3.	पंजीकृत मछुआरे (संख्या)	11,000	11,292	12,000
4.	अवैध मत्स्य आखेट के पकड़े गए मामले (संख्या)	—	1,076	1,150

वन

4.54 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 67.5 प्रतिशत अर्थात् 37,591 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इन वनों से अखबारी कागज, रेयोन ग्रेड पल्प, आर्ट पेपर, गत्ता तथा कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के अतिरिक्त ऐसी जड़ी

बूटियां जो औषधियां तैयार करने के काम आती हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके साथ-साथ वन, भू-संरक्षण तथा नदियों में पानी का बहाव उचित मात्रा में बनाये रखने में भी सहायता करते हैं जिसके फलस्वरुप बहुउद्देशीय विद्युत परियोजनाओं को भी संरक्षण मिलता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति में विद्यमान साधनों के संरक्षण, प्रबन्ध कार्य समुचित तरीके से चलाना तथा साथ-साथ इसकी नींव का विस्तार करना सम्मिलित है।

वन रोपण

4.55 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सितम्बर, 1990 के अन्त तक 1,273 हैक्टेयर क्षेत्र में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों जैसे चिल-गोजा के पेड़ लगाने, चरागाहों का सुधार इत्यादि कार्य किए गये जबकि लक्ष्य 1990–91 में 2,438 हैक्टेयर का रखा गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1990–91 में 27,343 हक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले सितम्बर, 1990 तक 10,244 हैक्टेयर क्षेत्र में 6.38 करोड़ रूपये खर्च कर सामाजिक वाणिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वन रोपण किया गया, साथ ही साथ ग्रामीण ईधन, सामाजिक वन रोपण योजना के अधीन सितम्बर, 1990 के अन्त तक 361 हैक्टेयर क्षेत्र 3.59 लाख रुपये की लागत से लाया गया।

भारत-जर्मनी इको-विकास परियोजना (चंगर क्षेत्र परियोजना)

4.56 जबकि धौलाधार प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना 31-3-89 को अपनी अवधि पूर्ण कर चुकी है इसी से मिलती-जुलती एक अन्य परियोजना को पालमपुर उप-मण्डल के चंगर क्षेत्र के लिए संम्भावित 18.71 करोड़ रूपये की लागत से जर्मनी के सहयोग से अप्रैल, 1991 से चलाये जाने की संभावना है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विभाग जैसे वन, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग एक दूसरे के तालमेल से काम करेंगे।

विश्व बैंक की सहायता से हिमालय पहाड़ियों के लिये वाटर-शैड विकास परियोजना (कनडी परियोजना)

4.57 एकीकृत वाटर शैड परियोजना (हिल्ज कनडी परियोजना) विश्व बैंक की मदद से 1990-91 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य पांच नदियों मारकण्डा (सिरमौर), घग्घर व सरसा (सोलन) स्वां (ऊना) तथा चक्की (कांगड़ा) के जल ग्रहण क्षेत्रों का इकोलोजिकल पुनर्वास करना है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों का सामाजिक व आर्थिक उद्धार हो सके।कण्डी क्षेत्र इन पांच नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है तथा जो सूखे से वर्ष भर अत्याधिक प्रभावित रहता है व यहां भूमि का कटाव भी अधिकहोता है। इस परियोजना के अधीन वन, कृषि बागवानी, पशु पालन विभाग एक दूसरे के ताल मेल से काम करेंगे।

वन्य प्राणी तथा प्राकृतिक संरक्षण

4.58 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों से सम्बन्धित क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उदेश्य आखेट स्थलों व शूटिंग खण्डों में सुधार लाना है ताकि लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके। वर्ष 1990–91 में 105.00 लाख रुपये लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 1990 तक 23.55 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गई।

वन सुरक्षा

4.59 वनों को अग्नि, अवैध गिरान तथा अतिक्रमण आदि खतरों का सामना प्राय: करना पड़ता है इसलिए आवश्यक है कि उपर्युक्त स्थानों पर चैक पोस्टस की स्थापना की जाये। अग्नि शमन उपकरणों का प्रावधान व दूरभाष यन्त्रों की स्थापना की गई तथा सभी वन मण्डलों को उपलब्ध करवाये गये। इस वर्ष भी यह योजना जारी रखी गई जिसके अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में सितम्बर, 1990 तक 15.00 लाख रुपये लक्ष्य के मुकाबले ३.91 लाख रुपये की धन राशि व्यय की गई।

वन लगाओ, रोजी कमाओ

4.60 वनीकरण कार्यक्रमों को सशक्त ढंग से लागू करने तथा ग्रामीण लोगों को इसमें शामिल करने के उद्देश्य से एक नई योजना 'वन लगाओ, रोजी कमाओ' शरू की है। इस योजना के अन्तर्तगत अन्त्योदय तथा अन्य गरीब परिवारों को सरकारी भूमि में पेड़ लगाने तथा उनकी देखरेख के लिए मजदूरी दी जाएगी। उपज में से भी उनको कुछ हिस्सा मिलेगा।

5. उद्योग

5.1 हिमाचल प्रदेश में जल/जल विद्युत, खनिज, वन तथा धूल रहित जलवायु का बहुत अधिक भण्डार है । यह सभी कारण ऐग्रो-अधारित, वन-अधारित, खाद्य विधायन, पेय पदार्थ तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित करने के लिए उचित स्थिति जुटाते हैं ।

5.2 जब से देश में योजनायें बनती आ रही हैं प्रदेश के आर्थिक विकास ने बहुत प्रगति की है । पहले कुछ वर्षों में मूलाधारों के विकास जैसे सड़कें, लिंक-सड़कें, पुल तथा कृषि व उद्यान को उन्नत करने पर अधिक महत्व दिया गया । इसके साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था के माध्यमिक तथा टरशियरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पग उठाये ताकि लोगों, विशेषकर बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार सम्बन्धी नये तथा वैकल्पिक तरीके उन्नत हो सके । शुरू में पुराने कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों को विकसित तथा आधुनिकरण किया गया । इस समय प्रदेश में उद्योग विभाग के साथ 20,173 लघु इकाईयां पंजीकृत ह जिसमें 250 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश है । इससे लगभग 75,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए । 130 बड़े एवं माध्यम पैमाने की इकाईयों ने प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रगति की हैं । इस समय प्रदेश में 130 बड़े एवं माध्यम पैमाने की परियोजनायें कार्यरत हैं जिनमें लगभग 15,000 व्यक्ति रोजगार पर लगे हैं तथा लगभग 350 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश किया गया है । हाल ही में प्रदेश के औद्योगिक विकास को इलक्ट्रोनिकस से नई दिशा मिली है तथा इसको बढ़ावा देने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिकस विकास निगम स्थापित किया गया ।

औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं समीक्षा प्राधिकरण (आई0–पारा0)

5.3 इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य उद्यमियों की उनकी परियोजनाओं के कार्यन्वयन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं/एजेंसियों से जो सम्बन्धित हों उनके साथ समन्वय स्थापित करना है । माध्यम एवं बड़े उद्योगों के लिये आई0-पारा0 की स्वीकृति अनिवार्य है । दिसम्बर, 1990 तक आई0 पारा0 ने 10 नई परियोजनाओं का अनुमोदन किया जिसमें पूंजी निवेश 279.52 करोड़ रुपये और रोजगार सम्भावनाएं 3,161 व्यक्तियों के लिये हैं ।

जिला उद्योग केन्द्र

5.4 प्रदेश के सभी जिलों में कुटीर तथा लघु उद्योगों को उन्नत करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है । वर्ष 1990 में 537 लघु उद्योगों का स्थाई पंजीकरण किया गया, इनमें 2,937 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गए जिनमें 531 अनुसूचित जाति, 75 अनुसूचित जनजाति तथा 2,331 अन्य वर्गों के लोग सम्मिलित थे । इसी अवधि के दौरान 26 औद्योगिक प्लांट व 18 औद्योगिक शैडस आबंटित किये गए । इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा 582 लघु औद्योगिक इकाईयों तथा 177 दस्तकार इकाईयों को सहायता प्रदान की गई ।

औद्योगिक क्षेत्र

5.5 उद्यमियों म साधन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए (1) परवाणू, बरोटीवाला, बद्दी, पांवटा-साहिब, मैहतपुर, शमशी, नगरोटा बगवां, बिलासपुर, रिकांग पिओ तथा संसारपुर टैरस में औद्योगिक क्षेत्र, सोलन में (चम्बाघाट) मण्डी, काला अम्ब, हमीरपुर, शोघी, चम्बा और अम्ब में इलेक्ट्रोनिक कम्पलैक्स तथा (2) सोलन, धर्मपुर, कांगड़ा, ज्वाली, देहरा-गोपीपुर में औद्योगिक सम्पदा स्थापित किए । इसके अतिरिक्त प्रदेश में और औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदाएं विकसित किये जा रहे हैं ।

कला एवं प्रदर्शनी

5.6 राज्य की विभिन्न इकाईयों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मेलों, उत्सवों तथा प्रर्दशनियों में भाग लिया । वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, दशहरा मेला कुल्लू तथा लवी मेला रामपुर में राज्य ने भाग लिया ।

उद्यमी विकास कार्यक्रम

5.7 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमी विकास पाठ्यक्रम जिसमें संस्थान संयक्त और बाहरी सवक्षण में प्रशिक्षण कोर्स भी सम्मिलित हैं आयोजित किये गए । इसके अतिरिक्त एक पखवाड़े के पाठ्यक्रम उद्यमियों को सम्वेष्ट सूचना देने तथा औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताएं तथा कार्य पद्धतियों से अवगत करवाने के लिये आयोजित किए गए हैं । वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत 5 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई0डी0पी0) के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत 117 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया ।

रेशम उद्योग

5.8 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है । रेशम के कीड़ों को पालने तथा कोकून को बेचने से वे अपनी आय में वृद्धि करते हैं । वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत 58,000 किलोग्राम कोकून जिसकी कीमत 29 लाख रुपये है का उत्पादन किया गया ।

सरकारी उपक्रमों में निवेष

5.9 उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले विभिन्न निगमों तथा बोर्डों में निवेश के लिये वर्ष 1990-91 में निम्नलिखित प्रावधान है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं0	निगम का नाम	1990-91 (बजट प्रावधान)
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम	220.00
2.	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	220.00
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	8.00
4.	हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	10.00
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम	15.00
6.	हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम	15.00

चाय उद्योग

5.10 चाय का उत्पादन कांगड़ा एवं मण्डी जिलों में समुद्र तल से 1,000 से 1,500 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है । इस समय प्रदेश में 1,385 चाय सम्पदाएं कार्यरत हैं जो 3,212 हैक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं । वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत 30.00 लाख रुपये का प्रावधान चाय उद्योग के विकास के लिये रखा गया है।

खनिज विकास

5.11 वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत खनिज एवं पेयजल योजनाओं पर निम्नलिखित अन्वेषण उद्योग विभाग के भू-सर्वेक्षण शाखा द्वारा किए गए :—

(1) कशलोग-अर्की-कराड़ाघाट क्षेत्र (जिला सोलन).—अर्की व इसके समीप वर्ती क्षेत्रों में चूने के पत्थर का पता लगाया गया । इन खनिज भण्डारों को इस्पात तथा सीमेंट बनाने के प्रयोग में लाया जायेगा । इस्पात प्लांट भारत के एक उपक्रम (एन0एम0डी0सी0) द्वारा तथा सीमेंट प्लांट अर्की क्षेत्र में लगाया जा रहा हैं।

(2) मूलक मदान-भोजपुर क्षेत्र सुन्दरनगर (जिला मण्डी).—इस क्षेत्र के चूने के भण्डारों की विस्तृत जानकारी के लिए कार्य प्रगति पर है और इस क्षेत्र में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की सम्भावना है।

(3) बागा-मांगल क्षेत्र (जिला सोलन).—चूने की श्रेणी व आर्थिक जीविणुता जानने हेतू विस्तृत मेपिंग नमूने तथा ड्रीलिंग का कार्य प्रगति पर रहा ताकि इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए किया जा सके ।

(4) द्रंग-गुम्मा क्षेत्र (जिला मण्डी).—नमक की आगामी निकासी हेतू सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर है ताकि नमक पर आधारित उद्योगों में इस खनिज घोल का प्रयोग किया जा सके।

(5) हुरला क्षेत्र (जिला कुल्लू).— इस क्षेत्र में चूने के भण्डारों का पता लगाने के लिए विस्तृत मेपिंग एवं नमूना परीक्षण किए गए ।

5.12 इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग की भू-सर्वेक्षण शाखा द्वारा प्रदेश में पेयजल, सिंचाई तथा मत्स्य पालन सम्बन्धी योजनाओं का सर्वेक्षण करके विस्तृत जानकारी प्राप्त की । इस शाखा द्वारा इस वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न पुलों व सड़कों के निर्माण के लिए भौमिकीय रिपोर्टस तैयार की गई।

6. विद्युत

6.1 हिमाचल राज्य विद्युत परिषद् ऐसी अनेक परियोजनाओं की खोज व कार्यान्वयन का प्रयास कर रहा है जो कि आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत/मितव्ययी सिद्ध हो सके । इसके साथ-साथ शीघ्र औद्योगिकरण के लिए विद्युत संचारण की अति तीव्रता से प्रदेश भर में विस्तार किया जा रहा है । यह बहुत ही संतोषजनक बात है कि अत्याधिक कठिन पहाड़ी क्षेत्र के बावजूद प्रदेश के सभी आबाद गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है ।

6.2 प्रारम्भिक जल विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों से जल विद्युत उत्पादन बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बनाकर सम्भावित क्षमता 12,700 मैगावाट आंकी गई है । इसके अतिरिक्त प्रदेश के नदी क्षेत्रों में अभी ऐसे स्थानों की पहचान बाकी है जिन पर लघु व सूक्षम परियोजनाओं के साथ-साथ मध्यम, और बड़ी परियोजनाएं बना कर विद्युत क्षमता में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है । थरमल व अणुशक्ति-जन्य के उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण बहुत सी चिन्हित परियोजनाएं जिनको उत्पादन की अस्थिर अधिक लागत के कारण उपरोक्त जल-विद्युत क्षमता में शामिल नहीं किया गया था, भी भविष्य में आर्थिक दृष्टि से कार्यान्वयन योग्य हो जायेंगे । इन दो पहलुओं को देखते हुए हिमाचल की कुल जल-विद्युत क्षमता का अनुमान 20,000 मैगावाट व इससे भी अधिक आंका जा सकता है । कुल क्षमता में से अभी तक केवल 3,363 मैगावाट क्षमता का दोहन किया गया है जिसमें से हिमाचल प्रदेश के अधीन केवल 272 मैगावाट है, क्योंकि बड़े भाग का दोहन केन्द्रीय सरकार व अन्य अभिकरणों ने किया है । राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता उत्तर भाग के विद्युत विकास कार्य. में प्रमुख भूमिका निभा सकती है जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी ।

6.3 प्रदेश में छठी पंच वर्षीय योजना से जल विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इससे न केवल राज्य की बढ़ती मांग पूरी होगी बल्कि उत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी । इन तथ्यों को मद्द नजर रखते हुए बड़े, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म परियोजनाओं को सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान आरम्भ करने का राज्य में चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया तथा साथ ही साथ पहले से आरम्भ की गई परियोजनाओं को भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जायेगा ।

6.4 जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए पर्याप्त विद्युत संचारण तथा वितरण पर अधिक ध्यान देने की आवष्यकता है ताकि राज्य में इन परियोजनाओं द्वारा विद्युत औद्योगिकी की जा सके तथा उपयोग के लिये विद्युत का वितरण किया जा सके । इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संचारण तथा वितरण योजनाएं तैयार की गई हैं तथा कुछेक पर कार्य आरम्भ भी किया जा चुका है । राज्य में विभिन्न औद्योगिक परिसरों की बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष विद्यत संचारण तथा वितरण योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है ।

6.5 ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश ने आसाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं । इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य देर से आरम्भ किया था तथा इसका कठिनपहाड़ी क्षेत्र है यह एक बहुत सन्तोषजनक बात है कि जनगणना 1981 के अनुसार प्रदेश के सभी 16,807 आबादी वाले गांव जून, 1988 के अन्त तक विद्युतीकृत किये जा चुके हैं । हिमाचल प्रदेश में जहां पर कुल जनसंख्या की 93 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रह रही है । ग्रामीण विद्युतीकरण की एक एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे न केवल रोशनी मिलती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए कुटीर उद्योगों को भी सहायता मिलती है । फिर भी ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूर्ण करने के लये वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर अधिक महत्व दिया जा रहा है ।

(क) उत्पादन

चालू परियोजनाएं

थिरोट विद्युत परीयोजना (4.5 मैगावाट)

6.6 4.5 मैगावाट क्षमता वाली यह परियोजना जिला लाहौल एवं स्पिति में लाहौल की जनजातीय घाटी में चालू है । इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 26 करोड़ रुपये है । इस परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत लाहौल एव पांगी के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में उपयोग की जायेगी तथा अधिशेष विद्युत को जिला कुल्लू के मनाली क्षेत्र में उपयोग में लाया जायेगा । इस परियोजना को सांतवीं योजना में आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव था परन्तु पिछले वर्षों में अप्रयाप्त धन की वजह से इसे समय पर पूरा न किया जा सका । अब इस परियोजना के अक्तूबर, 1993 की चालू होने की संभावना है ।

बनैर विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

6.7 वर्ष 1981 में 6 मैगावाट क्षमता रखने वाली यह परियोजना स्वीकृत की गई थी जो कि बाद में बढ़ा कर 12 मैगावाट कर दी गई है । इसकी नवीनतम अनुमानित लागत 35.02 करोड़ रुपये है । अप्रयाप्त धन के कारण इस परियोजना पर कार्य समय पर पूरा न किया जा सका । अब इस परियोजना के मार्च, 1993 को चालू होने की संभावना है ।

गज विद्युत परियोजना (10.5 मैगावाट)

6.8 यह परियोजना वर्ष 1982 में स्वीकृत की गई थी। इसकी नवीनतम अनुमानित लागत संशोधित करके 33.25 रुपये कर दी गई थी। पिछले वर्षों में अप्रयाप्त धन की वजह से इस परियोजना पर कार्य समय पर शुरु न किया जा सका और अब इसक मार्च, 1993 को चालू होने की संभावना है।

भावा बिकास योजना

6.9 जून, 1987 में योजना आयोग द्वारा भावा विकास योजना की अनुमानित लागत 9.64 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है जबकि बाद में इसकी अनुमानित लागत संशोधित करके 16.33 करोड़ रुपये कर दी गई है। भावा विद्यत गृह से इस योजना के अन्तगत 54 एम. यू. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जायेगा। इस परियोजना का कार्य 1992-93 में शुरू हो जायेगा।

किल्लार विद्युत परियोजना (300 किलोवाट)

6.10 राज्य बिजली बोर्ड ने इस योजना के लिए 1.73 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है तथा इसे राज्य योजना के अन्तर्गत शरू किया गया है तथा इसके मार्च, 1993 से शुरू होने की संभावना है।

उहल चरण-III परियोजना (70 मैगावाट)

6.11 यह परियोजना मण्डी जिला में स्थित है जिस पर लगभग 162 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना 1997-98 म काम करना शुरू कर देगी। इस परियोजना को जापान से ओ0ई0सी0 एफ0 ऋण सहायता मिलना भी विचाराधीन है।

लारजी विद्युत परियोजना (126 मैगावाट)

6.12 इस परियोजना को जिसकी विद्युत क्षमता 126 मैगावाट है मण्डी जिले में व्यास नदी पर निर्मित किया जाना है। इस परियोजना पर नवीनतम अनुमानित लागत 335 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के संरचना कार्य शुरू किये जा चुके हैं ताकि इस पर धन जुटाया जा सके। द्विपक्षीय अनुबन्ध के अन्तर्गत जापान से ओ0ई0सी0एफ0 ऋण सहायता के लिये भारत सरकार से अनुमति मांगी जा चुकी है।

नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम (एन0 जे0 पी0 सी0) द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से)
नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना (1,500 मैगावाट)

6.13 नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना जिसकी 1,500 मैगावाट क्षमता है का कार्य संयुक्त रूप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम के माध्यम किया से जायेगा। भारत सरकार द्वारा निगम के लिए स्वीकृत ज्ञापन तथा सहचार्य अनुच्छेद के अनुसार ऋण ईक्विटी अनुपात 1:1 किया गया। उत्पादन कार्य हेतु इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 437 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया गया। यह ऋण सीधा नाथपा-झाखड़ी निगम को आबंटित किया जायेगा तथा ईक्विटी वाला भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,678 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की वित्त योजना में प्रतिशत लागत के आधार पर नाथपा-झाखड़ी निगम को विश्व बैंक से 17 प्रतिशत ऋण एवं 33 प्रतिशत ईक्विटी भारत सरकार द्वारा तथा 37 प्रतिशत ऋण व 13 प्रतिशत ईक्विटी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा है।

कोल डैम परियोजना (800 मैगावाट)

6.14 कोल डैम परियोजना जिसकी विद्युत क्षमता 800 (मैगावाट) को भी नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम द्वारा ही कार्यन्वित किया जाना है। इस परियोजना के लिये भी वही शर्तें होंगी जो नाथपा-झाखड़ी परियोजना के लिए मानी गई हैं। इस परियोजना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु रूस तथा भारत सरकार में प्रोटोकोल समझौता हुआ है। नाथपा-झाखड़ी परियोजना के आधार पर ही राज्य सरकार इस परियोजना में धनराशी का योगदान देगी।

6.15 वर्ष 1989-90 के दौरान विद्युत उत्पादन 935.51 मिलियन यूनिट था जबकि चालू वर्ष में दिसम्बर, 1990 तक 1,190.24 मिलियन यूनिट था। दिसम्बर, 1990 तक 146 पम्पसैटों का उर्जयन किया गया।

ख--संचार तथा वितरण

6.16 राज्य में बिना रूकावट के विद्युत आपूर्ति तथा नई योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन को शुरू करने के लिए संचारण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न अन्तर्राजीय तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से भी विद्युत आपूर्ति का हिस्सा

विद्युत उपभोग

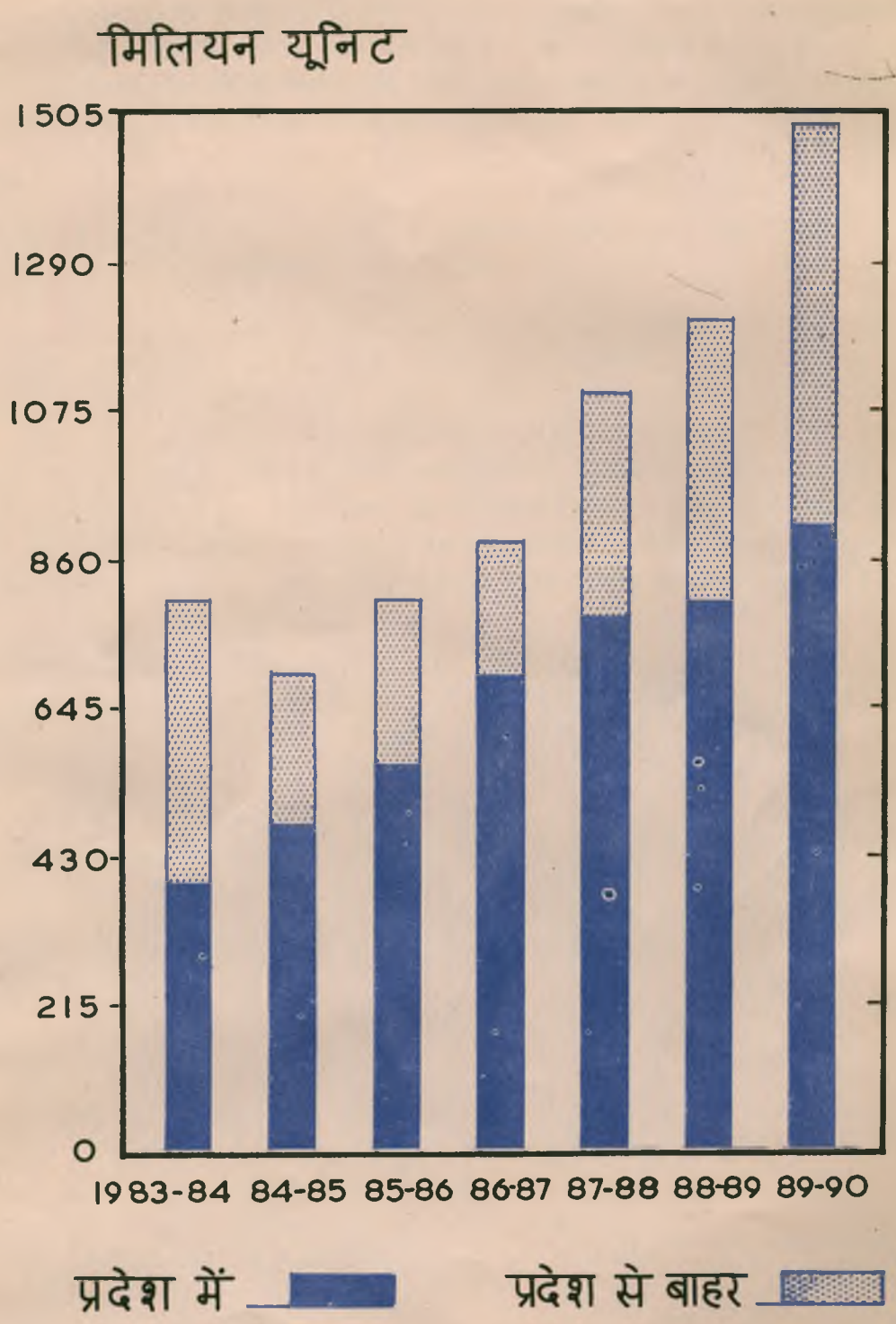
मिलियन यूनिट
1505
1290
1075
860
645
430
215
0
1983-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
प्रदेश में
प्रदेश से बाहर

भी प्राप्त करना है। अत: राज्य बिजली बोर्ड ने सारे राज्य में 220/132/66/33 के0वी0 संचारण लाइनों को बिछाने के कार्य को आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त 132 के0वी0 संचारण लाईनें/सब-स्टेशन भी बिजली बोर्ड द्वारा शुरू करने की संभावना है जिसके लिए विश्व बैंक ने 43 मिलियन डालर ऋण की स्वीकृति दी है।

ऊर्जा के अन्य नये तथा नवीकरण साधनों का विकास

6.17 आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ, तेजी से उद्योगीकरण अच्छे रहन-सहन के स्तर तथा इनफरास्ट्रक्चरल नेटवर्क में बढ़ोतरी के कारण ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ी है। पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों में कमी होने के कारण गैर पारम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे सौर जल तापीय संयन्त्र, पवन चक्की तथा अन्य ऊर्जा संयत्रों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है। गैर पारम्परिक और नवीकरण ऊर्जा स्त्रोतों के विकास पर प्रदेश में "हिमऊर्जा" की गतिविधियों पर अधिक महत्व दिया जायेगा।

सौर ऊर्जा

6.18 नये तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उपयोग में अधिक महत्व रखते हैं। सौर थर्मल संयत्र जैसे सोलर कुकर, सोलर स्टिल्स, सौर जनतापीय संयन्त्र को अधिक लोकप्रिय बनाने पर बल दिया जा रहा है।

6.19 साधारण गर्म पानी प्रणाली द्वारा जिसमें फलेट प्लेट कोलेक्टर्स तथा इससे संबन्धित यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है को अस्पतालों/पी0एच0सीज0/परिवारों को 60-80 डीग्री सैल्सियस तापमान पर गर्म पानी उपलब्ध करवाया जाता है। अभी तक 1,02,000 एल0पी0डी0 सौर जल तापीय संयन्त्र लगाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 100 लिटरस प्रतिदिन क्षमता वाले 479, घरेलू जल तापीय संयन्त्र रियाती दरों पर लगाये। 102 फोटोवोल्टिक प्रणाली द्वारा हैमलेटों / गांवों में स्ट्रीट लाईटिंग उपलब्ध करवाई है तथा 3 सामुदायिक लाईटें (8 प्वांइटस) भी लगाई गई। उपदान के अन्तर्गत 4,970 सोलर कुकर बांटे गये। इसके अतिरिक्त 10 सामुदायिक सोलर कुकर होटल/संस्थानों को दिए। इसके साथ-साथ 7 सोलर फोटो वोल्टियक पम्प सिंचाई उद्देश्य के लिए तथा 1 सोलर टी0वी0 सामुदायिक प्रयोग के लिये लगाया गया। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पारम्परिक खाना पकाने की रोजमर्रा की जरूरत के अलावा घरों में सौर ऊर्जा द्वारा गर्म रखने वाले संयन्त्रों के प्रयोग को अधिक लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

पवन ऊर्जा

6.20 छ: पवन पम्प सिंचाई तथा पेयजल उद्देश्यों के लिये पानी उठाने हेतु लगाने के अतिरिक्त दो 25 किलोवाट "पवन जनरेटरस" लगाये गये तथा दो 1 किलोवाट "एयरों जनरेटरस" भी लगाये गये। "पवन मैपिंग प्रौजेक्टों" के लिए 30 स्थानों का पता लगाया गया।

ऊर्जा संरक्षण

6.21 "हिम ऊर्जा" ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए अधिक प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य से 13,311 धुआं रहित चूल्हे तथा 4,175 आसानी से उठाये जाने वाले चूल्हे बनाये और 24,653 प्रैशर कुकर व 4,754 नूतन स्टोव वितरित किए ताकि पता लगाये गये गावों में ईधन की खपत में कमी हो। इसके अतिरिक्त 5 उन्नत किस्म की भट्टीयां लगाई। प्रदेश के 40 उन्नत किस्म के श्मशान दाह जिसमें 40 से 50 प्रतिशत कम लकड़ी की आवश्यकता होती है लगाई गई।

7. रोजगार

7.1 1981 जनगणना के अनुसार प्रदेश में लगभग 42 प्रतिशत व्यक्ति कामगार थे । कुल कामगारों में 53 प्रतिशत पुरुष तथा 32 प्रतिशत स्त्रियां थी उनमें से 19 प्रतिशत सीमांत कामगार थे जिन्होंने उल्लेखित वर्ष में 6 मास से कम कार्य किया । प्रदेश की कुल जनसंख्या का 34 प्रतिशत मुख्य कामगार थे, जिन्होंने उल्लेखित वर्ष में 6 मास तथा उससे अधिक काय किया और पुरुषों की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत तथा स्त्रियों की जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत मुख्य कामगार थे । कुल मुख्य कामगारों में लगभग 71 प्रतिशत काश्तकार व कृष्य श्रमिक, 2 प्रतिशत घरेलू उद्योगों, विधायनों, सेवाओं एवं मुरम्मत की दुकानों में काम करने वाले थे जब कि केवल 27 प्रतिशत अन्य कामगार थे ।

जनशक्ति तथा रोजगार योजनाएं

7.2 रोजगार सेवा परियोजना मे निम्नलिखित शामिल हैं (क) उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करवाना, (ख) छटनी व फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाना, (ग) रोजगार देने वाले को उपयुक्त उम्मीदवार भेजना, (घ) रोजगार अवसरों तथा प्रशिक्षण अवसरों का पता तथा (ङ) युवकों व रोजगार ढूंढने वालों की समस्याओं में समीक्षा तथा प्रशिक्षण व पाठ्यक्रमों को दोबारा से समायोजित करने हेतु बाजार की जरूरतों के मुताबिक कामगारों को उनके सम्बन्धित प्रशिक्षण देना । 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 35 उप-रोजगार कार्यालयों, एक राज्य रोजगार विपणन सूचना इकाई, 12 जिला स्तरीय रोजगार विपणन सूचना इकाईयों, 3 व्यावसायिक सुझाव इकाईयों, विकलांगों के लिए एक विशेष इकाई तथा हिमाचल वासियों को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों, संस्थाओं तथा निजि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के द्वारा राज्य में रोजगार सहायता सूचना दी जा रही है ।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

7.3 पिछले वर्ष की अपेक्षा साधारणतया 31 अक्तूबर, 1990 तक जीवित्त पंजीयका में प्रार्थियों की संख्या 5.0 प्रतिशत ज्यादा थी जबकि विभिन्न कार्यालयों द्वारा सूचित खाली स्थानों की संख्या में 12.8 प्रतिशत की कमी हुई तथा 22.5 प्रतिशत कम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया । जनवरी, से अक्तूबर, 1990 तक की अवधि में कुल 76,338 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 5,426 व्यक्तियों को रोजगार मिला । विभिन्न कार्यालयों द्वारा अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 4,787 थी । सभी रोजगार कार्यालयों में 31 अक्तूबर, 1990 तक जीवित पंजीका में संख्या 4.47 लाख थी ।

रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम

7.4 वर्ष 1960 से ई0एम0आई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर इकट्ठे किए जा रहे हैं । प्रथम त्रिमास में अर्थात् जनवरी से मार्च, 1990 तक प्रदेश में कुल कर्मी 2.71 लाख (सार्वजनिक क्षेत्र 2.41 लाख और निजि क्षेत्र 0.30 लाख) थे । सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार का केन्द्र की सेवाओं में 6.71 प्रतिशत, राज्य की सेवाओं में 67.37 प्रतिशत केन्द्रीय अर्ध सरकारी क्षेत्र में 6.80 प्रतिशत, राज्य अर्ध सरकारी क्षेत्र में 17.74 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों में 1.38 प्रतिशत कर्मी काम कर रहे थे ।

व्यवसायिक सुझाव कार्यक्रम

7.5 व्यावसायिक सुझाव एवं रोजगार सलाह जैसे कार्यक्रम उनके लिए बनाए गये हैं जो कि इस प्रकार की सहायता चाहते हैं, व्यावसायिक सुझाव का सही अर्थ है युवा जबकि रोजगार परामर्श केवल व्यस्कों की सहायता के लिए है । राज्य रोजगार निदेशालय इस कार्य को राज्य के शिक्षा विभाग की सहायता से व्यवस्थित करता है । राष्ट्रीय नीतियों तथा तरीकों मे सम्बन्धित मसले, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, समान व औजारों को तैयार करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल रखने के लिए महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की केन्द्रीय वैकल्पिक इकाई, राज्य में निदेशक रोजगार निदेशालय की सहायता कर रही है। रोजगार कार्यालय में प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक के नियन्त्रण में यह कार्यक्रम कार्यन्वित किया गया है । इस कार्यक्रम को विस्तार से फैलाने के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुए नवीनतम व्यावसायिक साहित्यिक चार्ट, पैम्फलैटस तथा शैक्षणिक संस्थाओं व कालिजों

को प्रौस्पैक्टस दिये गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में नवम्बर, 1990 तक निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं :—

(संख्या)

मद	नवम्बर, 1990 तक की उपलब्धियां
(क) वैयक्तिक कार्यक्रम :	
1. व्यक्तियों का वैयक्तिक मार्ग-दर्शन ..	11,373
2. व्यक्तियों का पंजीकरण के समय वैयक्तिक मार्गदर्शन ..	1,009
3. व्यक्तियों को वैयक्तिक सूचना दी गई :	
(क) डाक द्वारा सूचना मिली ..	2,250
(ख) आदमियों द्वारा सूचना ..	9,123
(ग) पुराने मामले जीवित पंजीका से प्राप्त हुए ..	1,373
(ख) सामूहिक कार्यक्रम :	
1. सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया गया ..	1,132
2. स्कूल व कालेजों में जीवनवृति/सामूहिक निदेशन पर भाषण दिये गये ..	593
3. व्यक्तियों द्वारा सामुहिक चर्चाओं में भाग लिया गया ..	11,131
4. व्यक्ति जो कैरियर सूचना कक्ष में गये ..	10,537
(ग) समन्वय गतिविधियां :	
1. स्कूलों, कालेजों में जीवनवृति के लिए मार्ग-दर्शन गतिविधियां तथा सम्मेलनों/प्रदर्शनियों को आयोजित करने के लिए निदेशन इकाईयों को बढ़ावा देना ..	301
2. रोजगार अवसरों/प्रशिक्षण सुविधाओं पर सूचना एकत्रित करने के लिए रोजगार संस्थाओं में जाना ..	118

इसी वर्ष पूरे प्रदेश में 16 से 28 जुलाई, 1990 तक एक पखवाड़े का व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार सलाहकार कार्यक्रम आयोजित किया गया।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

7.6 केन्द्रीय रोजगार कक्ष की स्थापना प्रदेश में निजि क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में तकनीकी आवेदकों तथा हुनर वाले आवेदकों को रोजगार देने के लिए की गई है। इस कक्ष की स्थापना राज्य के श्रमिक एवं रोजगार निदेशालय के अधीन की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल तकनीकी आवेदकों की नीजि क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भर्ती है। इस परियोजना के अन्तर्गत एक तरफ तो निजि क्षेत्र में रोजगार चाहने वालों को उनकी योग्यता एवं अनुभवों के आधार पर रोजगार दिया जाता है जबकि दूसरी तरफ नियुक्तितों द्वारा सही श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत इस कक्ष में 18,388 आवेदक पंजीकृत हैं जिनका पंजीकरण उनके तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया गया जिसे कि मुख्य रोजगार कार्यालयों से भेजा गया होता है। निजि क्षेत्र संस्थाओं ने अक्तूबर, 1990 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष को विभिन्न किस्मों की 1,134 रिक्तियां सूचित की थी तथा जिसमें 172 रिक्तियां तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग की थीं। केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के लिए 5,494 आवेदकों को भेजा जिन में 2,014 आवेदक तकनीकी एवं उच्च कुशल (हुनर) वर्ग के थे। अक्तूबर, 1990 तक प्रदेश में अभी तक 320 व्यक्तियों को विभिन्न निजि क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों में रोजगार दिया जिन में से 27 व्यक्ति तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग क थे।

विकलांगों के लिए विशेष कक्ष

7.7 जनवरी से अक्तूबर, 1990 के अन्तर्गत जीवित पंजिका पर 378 विकलांगों को और पंजीकृत करके विकलांगों की संख्या 3,619 हो गई थी इसके अतिरिक्त 45 अनुरक्षित नियुक्तियां अधिसूचित की गई थी तथा 88 विकलांगों को साक्षात्कार के लिए पत्र जारी किए गए थे। इस वर्ष अक्तूबर, 1990 तक 52 विकलांगों को लाभ कारी रोजगार में रखा गया था।

ग्रामीण विकास

7.8 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (क) अधिक उत्पादन, (ख) अधिक रोजगार, (ग) ग्रामीणों को आय का समान वितरण, (घ) ग्रामीणों पर अधिक व्यय करना ताकि उनकी आर्थिक व सामाजिक हालत में सुधार हो सके। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91 में निम्न राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यरत रही।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

7.9 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की सहायता से उनका एकीकृत विकास करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों के निर्माण/मुरम्मत, सामान्य शिक्षा के भवन निर्माण, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामीण क्रिड़ाओं इत्यादि को अनुदान देना है। इसके साथ-साथ कच्ची सड़कों व पगडण्डियों के निर्माण के लिए विकसित कृषि यन्त्रों का प्रदर्शन, कृषकों को प्रोत्साहित करना, सिंचाई व भूमि उद्धार, पीने के पानी की स्कीमों का निर्माण व मुरम्मत, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए गलियों को ठीक कराना, सुधरी नसल के पशुओं व पक्षियों का वितरण, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पा रहे ग्रामीण प्रशिक्षार्थियों को वजीफा देना इत्यादि सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान दिया जाता है । सामूहिक कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला मण्डलों/युवकों मण्डलों को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान दिया जाता है । इसके अतिरिक्त विकास खंड कार्यालय भवनों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण भी किया जाता है । चालू वित्त वर्ष 1990-91 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 95.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है ।

ग्रामीण शौचालय

7.10 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदुषण को रोकना एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना है । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों, पंचायत घरों, बाजारों तथा मेलों में भी खाली जगह पर शौचालयों निर्माण किया जाता है । लाभार्थी व्यक्तियों को 1,200 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 1990-91 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1,700 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से दिसम्बर, 1990 तक 971 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है ।

ग्रामीण आवास

7.11 ग्रामीण आवास योजना जिसे टूरूम टेनामिन्ट के रूप में जाना जाता है । इसके अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा चयनित बेघर लोगों तथा अन्य लक्ष्य समूह के पात्र व्यक्तियों के लिए दो कमरों के मकान का निर्माण किया जाता है। दिसम्बर, 1990 तक वर्ष 1990-91 के 166 मकानों के निर्माण के लक्ष्य में से 110 मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)

7.12 यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित है तथा इसका उद्देश्य लघु व सीमान्त किसानों , कृषय श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य जो कि गरीबी रेखा के नीचे ह को ऊपर उठाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को उत्पादक सम्पत्ति एवं रोजगार देना तथा जहां आवश्यकता हो विभिन्न उपदानों एवं संस्थागत ऋणों की सहायता से कार्यपूंजी सहित आय उत्पादन सम्पत्ति का प्रबन्ध करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1990 तक 5,932 नए तथा 6,963 पुराने परिवारों को सहायता दी जा चुकी है । वर्ष 1990-91 में 6,171 नए तथा 8,829 पुराने परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है । 295.82 लाख रुपये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किए जा चुके हैं ।

स्व: रोजगार योजना के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राईसम)

7.13 यह कार्यक्रम एकीकृत विकास कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है तथा इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 18—35 वर्ष तक की आयु वाले युवकों को कृषि तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में स्व: रोजगार के लिए तकनीकी जानकारी देना है । इच्छुक ग्रामीण युवकों को विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आई. टी. आई., सरकारी पोलिटैक्नीक तथा अन्य स्थानीय संस्थानों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 100 रुपये से 250 रुपये प्रतिमास तक प्रशिक्षण पाने के लिए स्थानानुसार वजीफा दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण पूरा होने के उपरान्त एक टुल किट मुफ्त दी जाती है। दिसम्बर, 1990 तक 926 युवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, 317 युवकों को बसाया गया 190 युवकों को मजदूरी रोजगार दिया तथा 1,146 युवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों तथा बच्चों का उद्धार (डवाकरा)

7.14 यह कार्यक्रम भी राज्य में एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य चयनित परिवारों की महिलाओं को समूहों में संगठित करके उनकी इच्छानुसार आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके । यह कार्यक्रम प्रदेश के पांच जिलों कांगड़ा, शिमला, मण्डी, चम्बा तथा सिरमौर में कार्यान्वित किया जा रहा है । 190 समूहों के लक्ष्य में से दिसम्बर, 1990 तक 66 समूहों का गठन किया जा चुका है जिसमें 1,018 महिला सदस्य हैं तथा इन पर 3.21 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं ।

जवाहर रोजगार योजना

7.15 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजनाओं को सम्मिलित रूप देकर जवाहर रोजगार योजना को तैयार किया गया तथा पूरे देश भर में चलाया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को भारी मात्रा में रोजगार अवसर प्रदान करना है और समाज के गरीब भाग को लाभान्वित करने के लिए सामुदायिक सम्पत्ति का सृजन करना है । यह कार्यक्रम गांव में पंचायतों द्वारा चलाया गया जो कि पूरी योजना एवं कार्यक्रम को कार्यन्वित करने के लिए जिम्मेवार है । 33.68 लाख कार्य दिवस के लक्ष्य के उपरान्त दिसम्बर, 1990 तक 14.33 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गये और 1,758 सामुदायिक परिसम्पति बनाई गई । वर्ष 1990-91 के लिए कुल स्वीकृत धनराशि 1,135.28 लाख रुपये में से दिसम्बर तक 422.01 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

इन्दिरा आवास योजना

7.16 इन्दिरा आवास योजना के लिए वित्तीय साधन जवाहर रोजगार योजना के कुल आबंटन में से 6 प्रतिशत निर्धारित है । इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, के लिए मकान बनाना है । स्वतन्त्र हुए बन्धक मजदूरों को मकान देना भी इस योजना में शामिल है । लाभान्वित लोगों को मकान बनाने के लिए जिसमें स्वच्छ शौचालयों एवं धुंआ रहित चुल्हे शामिल हैं, 14,500 रुपयों की राशि प्रदान की गई । वर्ष 1990-91 के दौरान दिसम्बर, 1990 तक351 मकान बनाने के लक्ष्य की तुलना में 224 मकान बनाए गए एवं बन रहे मकानों में कुल 26.52 लाख रुपयों की राशि खर्च हुई ।

धुंआं रहित चूल्हा कार्यक्रम

7.17 यह कार्यक्रम प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य इंधन बचत, वन कटाव को रोकना, प्रदुषण को रोकना तथा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण तथा जागरुकता देने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर शिविर लगाये जाते हैं तथा उनके घरों में मुफ्त चूल्हा लगाया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं रोजगार कार्यकर्ता चूल्हों के निर्माण के लिए लगाये जाते हैं । वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित 50,000 चूल्हों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1990 तक 22,511 चूल्हों का निर्माण किया जा चुका है ।

मरूस्थल विकास कार्यक्रम

7.18 यह कार्यक्रम प्रदेश में लाहौल-स्पिति जिले के स्पिति उप-मण्डल तथा जिला किन्नौर के पूह उप-मण्डल में केन्द्रीय सहायता द्वारा चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठण्डे मरुस्थल क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना है, जिसमें मुख्यत: उत्पादकता, आय स्तर बढ़ाना तथा इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करना है । इस योजना के अन्तर्गत बढ़ते हुए मरुस्थल को और खराब होने से रोकना है । वर्ष 1990-91 में 1,886.93 हैक्टेयर भूमि को विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत लाने के लिए 250.00 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान है । दिसम्बर, 1990 तक 947.28 हैक्टेयर भूमि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है जिस पर 133.18 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है ।

न्यूनतम मजदूरी

7.19 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के अन्तर्गत एक "न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड" बनाया जोकि 15 अनुसूची रोजगार के अन्तर्गत मजदूरों के न्यूनतम दर से मजदूरी तय करने तथा उनके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है । इस बोर्ड की सिफारिश पर 26-1-1990 से प्रदेश सरकार ने अकुशल मजदूरों की सभी 15 अनुसची रोजगार में एक जैसी न्यूनतम दरें तय/संशोधित की हैं जो कि 20 रुपये प्रतिदिन या 600 रुपये प्रति माह है । इसी प्रकार 26-1-1990 से अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल मजदूरों को पहले से प्राप्त की जा रही न्यूनतम दर की मजदूरी में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि की है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित अनुसचित जनजाति क्षेत्रों तथा पिछड़े हुए क्षत्रों में बसने वाले लोगों को 25 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम दर की मजदूरी से अधिक देने की स्वीकृति दी गई है जो कि कृषि निर्माण या सड़क और भवनों के रख-रखाव, पत्थर तोड़ने, वानीकी तथा इमारती लकड़ी का संचालन इत्यादि कार्य में लगे हुए हैं । इसके अतिरिक्त सुरंगों में कार्यरत मजदरों के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि न्यूनतम मजदूरी पर भ हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18-1-1991 से पांच और व्यवसायों (i) निजी शक्षणिक संस्थान (ii) विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम-1948 की धारा 2(क) प्रमाणित है (iii) महा निर्माण शालाओं, शराब कारखानों तथा अन्य अनुसंगिक प्रचलनों जसे बोतलें भरने में नियोजन इत्यादि (iv) सिमेन्ट कारखाने तथा सिमेन्ट से बनने वाले अन्य उत्पादन और (v) आरा मशीनों में नियोजन को न्यनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़ दिया है । बन्धआ मजदूर प्रणाली (उन्मलन) ऐक्ट 1976 के अन्तर्गत राज्य सरकार नें राज्य स्तर पर एक सक्रीनिंग समिति के अतिरिक्त उप-मण्डलीय स्तर पर सतकता समितियां तथा जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए

श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्याय अधिकरण जिनका मुख्यालय शिमला में है का गठन किया है । औद्योगिक झगड़ा नियम, 1947 के तहत जिला एवं शैशन जज के पद के बराबर, श्रम अदालत/औद्योगिक न्याय अधिकरण का एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियक्त किया गया । राज्य मजदूर बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, मैहतपुर तथा लगभग 268 उद्यमों/कारखानों में लागू है जिसका लाभ 31 दिसम्बर, 1990 तक 13,173 मजदूरों ने उठाया इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 1952 के अन्तर्गत 534 उद्यमों में कार्यरत 55,452 मजदूरों को लाभ पहुंच रहा है ।

औद्योगिक सम्बन्ध

7.20. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक सम्बन्धों के मसले को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है । प्रदेश में औद्योगिक झगड़ों के निपटारे व औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिए एक समाधान प्रशासन कार्यरत है । समाधान अधिकारियों के कार्य जिला रोजगार अधिकारी/श्रम अधिकारी को सौंपे गए हैं तथा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में यह कार्य देख रहे हैं । इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं में 100 से कम मजदूर हैं उन संस्थाओं में समाधान अधिकारियों की शक्तियों श्रम निरीक्षकों के निहित कर दी गई हैं। जिन झगड़ों का निपटारा ठीक तरीके से न हो सके अथवा जहां पर समाधान प्रणाली फेल हो जाए उन मामलों में उच्चतर अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं।

थोक मूल्य सूचकांक की गतिविधि

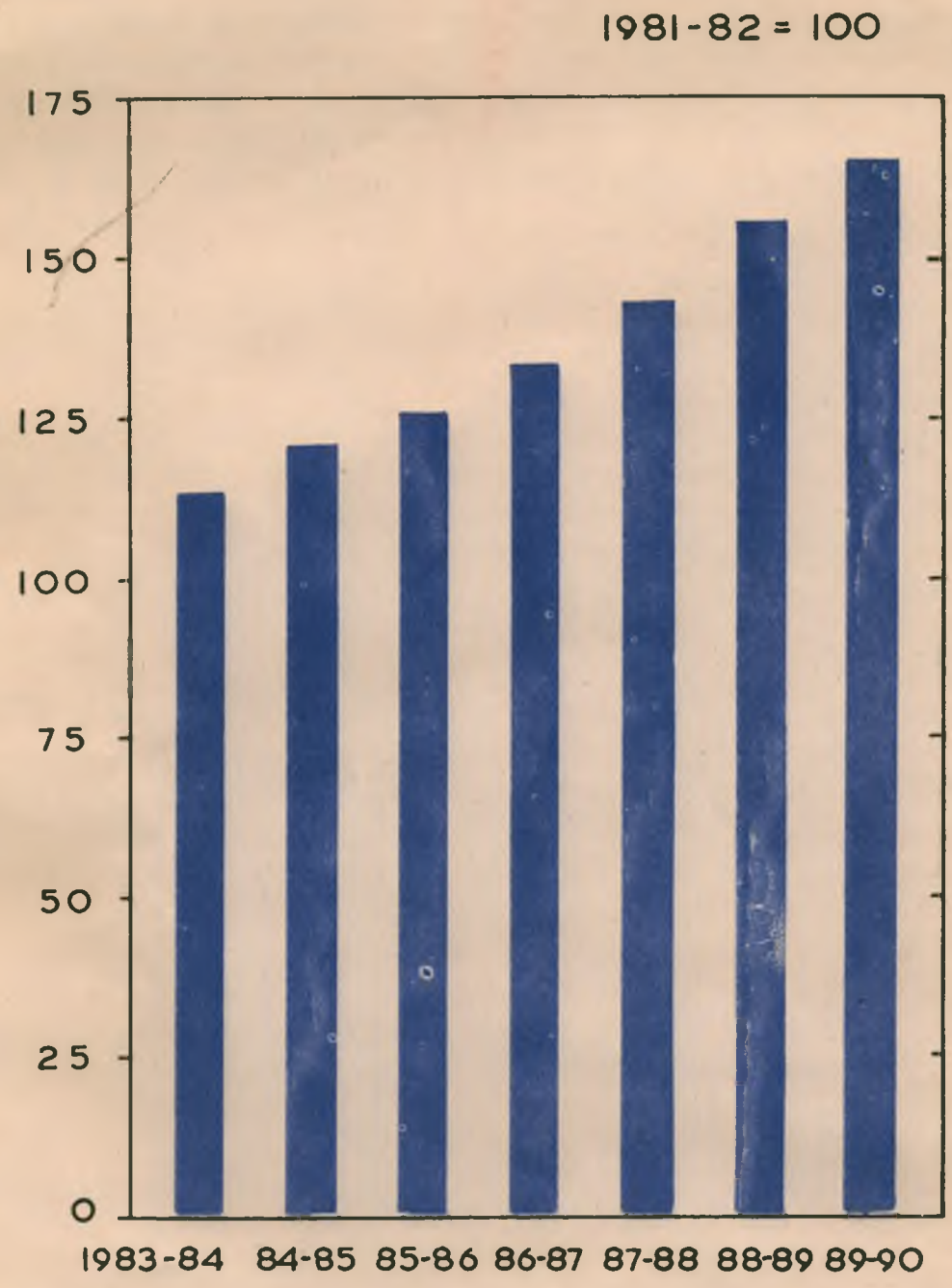

8. भाव की स्थिति

8.1 दूसरे वर्ष लगातार संतोषजनक मौनसून के बावजूद भी वर्ष 1989-90 में भाव की स्थिति दबाव में रही । थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82=100), अंक से अंक आधार पर पिछले वर्ष के 5.7 प्रतिशत से इस वर्ष 1989-90 में 9.1 प्रतिशत पहुंच गया । वर्ष 1990-91 में मुद्रा-स्फीति के लगातार दबाव से स्थिति और गम्भीर हो गई । अंक से अंक आधार पर चालू वित्त वर्ष में थोक भाव मूल्य सूचकांक में 10.1 प्रतिशत (19 जनवरी, 1991 तक) की बढ़ौतरी हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 7.3 प्रतिशत थी । ऊपर दर्शायी गई अवधि में थोक मूल्य सूचकांक औसत आधार पर बढ़ौतरी पिछले वर्ष 1989-90 के 7.3 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 1990-91 में 9.5 प्रतिशत बढ़कर हो गई ।

8.2 पिछले कुछ वर्षों के थोक मूल्य सूचकांक निम्न सारणी में दिये हैं :—

थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 1981-82=100)

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक	
	अन्तिम सप्ताह	सप्ताहों की औसत
1982-83 ..	107.2	104.9
1983-84 ..	114.9	112.8
1984-85 ..	121.8	120.1
1985-86 ..	127.7	125.4
1986-87 ..	134.2	132.7
1987-88 ..	148.5	143.6
1988-89 ..	156.9	154.3
1989-90 ..	171.1	165.6
1989-90 (20-1-90) ..	168.3	
1990-91 (19-1-91) ..	188.3	180.5

8.3 पिछले 3 वर्षों का माहवार थोक मूल्य सूचकांक निम्न सारणी में दर्शाया गया है:—

थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1981-82=100)

मास	1988-89	1989-90	1990-91
अप्रैल ..	150.0	158.4	172.9
मई ..	150.7	160.3	174.3
जून ..	152.2	161.6	176.9
जूलाई ..	154.4	163.6	179.3
अगस्त ..	154.5	166.7	180.2
सितम्बर, ..	154.3	168.3	180.9
अक्तूबर ..	156.0	168.3	183.3
नवम्बर ..	155.7	167.3	184.3
दिसम्बर ..	154.9	166.3	185.4
जनवरी ..	155.8	168.0	187.9
फरवरी ..	155.9	168.8	
मार्च ..	156.6	170.1	
औसत ..	154.3	165.6	180.5
औसत अप्रैल से जनवरी ..	153.7	164.9	180.5
	(21-1-1989)	(20-1-1990)	(19-1-1991)

8.4 विकास की प्रगति तथा प्रवृति के लाभों के बराबर में बंटने के लिए किमतों में स्थिरता जरूरी है । मुद्रा-स्फीति का सर्वाधिक प्रभाव गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ता है इसका असर वित्तीय साधनों के जुटाने पर भी पड़ता है । साथ ही सटेबाजी और काले धन को बढ़ावा देकर निवेश की प्राथमिकताओं का संतुलन बिगाड़ देता है । वर्तमान वर्ष तथा पिछले कुछ वर्षों मे खाद्यानों के भण्डारण व उचित आयात नीति के जरिये न केवल जरूरी वस्तुयें के दाम बढ़ने से रोके गए बल्कि मुद्रा-स्फीति में भी अंकुश लगा रहा ।

8.5 हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर निगरानी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने दी गई ऐसा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी व आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 3,204 उचित मूल्य की दुकानों से सम्भव हुआ । इसके साथ-साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा अन्य अनाचारों द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है । वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं क भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा सकें ।

9. नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवायें

9.1 वर्ष 1990-91 में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से खाद्यान्नों के अतिरिक्त नियन्त्रित वस्तुएं जैसे लेवी चीनी, नियन्त्रित कपड़ा और खाद्य तेल, दालें, नमक, चाय, अभ्यास पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, कोयला और मिट्टी का तेल आदि जनता को उपलब्ध करवाई गई ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

9.2 विभिन्न स्रोतों से आवश्यक वस्तुएं खरीद कर और सार्वजनिक वितरण की उचित मूल्य की दुकानों पर ये वस्तुएं जनता को उपलब्ध करवाने के लिए "हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम" की स्थापना की गई है । निगम आवश्यक वस्तुएं जैसे दालें, राशन की चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, खाने का तेल, नमक, मिट्टी का तेल, गेहूं का आटा, चावल, चाय, लेखन सामग्री, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, टार्च सैल, जूते और मार्चिस आदि उचित मूल्य की 3,204 दुकानों द्वारा उपलब्ध करवाता रहा । इन 3,204 उचित मूल्य की दूकानों में से 2,564 उचित मूल्य की दूकानें सहकारिता क्षेत्र में, 466 दूकानें वैयक्तिक तौर पर, 60 पंचायतों द्वारा तथा 114 हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही है । जनवरी से नवम्बर, 1990 तक निगम का विक्रय 58.29 करोड़ रुपये हो गया ।

भण्डारण एवं परिरक्षण

9.3 सरकारी खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में 45 गोदाम 13,850 टन भण्डारण क्षमता के बनाए गए हैं । इस के अतिरिक्त सितम्बर, 1990 तक 5,920 टन क्षमता के गोदाम निजी क्षेत्र से किराए पर लिए गए हैं । प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने भी 5,450 टन भण्डारण क्षमता के गोदाम भारतीय खाद्य निगम और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को किराए पर दिये हैं । 24 गोदाम जिनकी क्षमता 5,000 टन है निर्माणाधीन है ।

लैवी चीनी

9.4 भारत सरकार प्रदेश में कार्ड होल्डरों को वितरण के लिए सामान्यत: 2,019 टन लैवी चीनी प्रति माह देती है परन्तु कई बार महत्वपूर्ण उत्सवों आदि पर केन्द्र सरकार राज्य के कोटे में वृद्धि कर देती है । प्रदेश में उपभोक्ताओं को 400 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह 5.25 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध कराई गई । इसके लिए वर्ष 1990-91 के लिए 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।

खाने का तेल

9.5 रेपसीड व पाम नामक खाद्य तेल उपभोक्ताओं को 2 किलो प्रति माह प्रति राशन कार्ड 5 सदस्यों के लिए तथा 3 किलो प्रति राशन कार्ड 5 सदस्यों से ज्यादा के लिए उचित मूल्य की दूकानों द्वारा उपलब्ध करवाए जाते रहे । वर्ष 1990 में भारत सरकार ने 6,650 टन खाने के तेलों का आवंटन किया ।

नियन्त्रित कपड़ा

9.6 वर्ष 1990-91 में भारत सरकार ने नियन्त्रित कपड़ा जनता में वितरण हेतु प्रदेश सरकार को दिया । नागरिक आपूर्ति निगम ने भी उचित मूल्य की अपनी दुकानों द्वारा आम अनियन्त्रित कपड़ा उपलब्ध करवाया । वर्ष 1990 के दौरान, 10.88 लाख मीटर नियन्त्रित कपड़ा उचित मूल्य की दुकानों ने वितरित किया ।

आयोडीन युक्त नमक

9.7 भारत सरकार प्रति वर्ष इस प्रदेश को 29,200 टन आयोडीन युक्त नमक का कोटा देती है । वर्ष 1990-91 में दुर्गम एवं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए 2.00 लाख रुपये परिवहन अनुदान के लिए खर्च आने के सम्भावना है ।

तरल पैट्रोलियम गैस

9.8 वर्ष 1990-91 में बिलासपुर, चम्बा, डलहौजी, हमीरपुर, 2 धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, कुल्लू, केलांग, मण्डी, सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, 6 शिमला, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, नाहन, पांवटा साहिब, 2 सोलन, परवाणु, कसौली, नालागढ़, ऊना, सराज, पिओ, बनीखेत, योलकैम्प और देहरा में 34 गैस अजैन्सियां कार्यरत थीं । इसके अतिरिक्त 15 और गैस अजैन्सियां अम्ब, सरकाघाट, नगरोटा बगवान, करसोग, नारकण्डा, सुन्नी, चौपाल, बड़सर, डमटाल, अर्की, शिमला शहर, काजा, पूह, शाहपुर और राजगढ़ में स्वीकृत हो गई हैं जो शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगी ।

डीजल, पैट्रोल और मिट्टी का तेल

9.9 इस समय प्रदेश में 69 पैट्रोल और डीजल पम्प कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त 9 परचून विक्रय केन्द्र शीघ्र ही खोलने का

प्रस्ताव है। इसके अलावा वर्ष 1990-91 के दौरान 6 टी. क्रे. डी., पिग्रो, शमशी, कारगाह (केलांग), चम्बा, काजा और पठानकोट के दूरदराज क्षेत्रों में मिट्टी का तेल उपलब्ध करने हेतु कार्यरत हैं। वर्ष 1990 में भारत सरकार ने 4 7,357 किलोलिटर मिट्टी के तेल का आबंटन किया। चम्बा और शिमला जिले के डोडरा क्वार क्षेत्रों के लिए क्रमश: 1.50 लाख रुपये तथा 0.30 लाख रुपये अनुदान के रूप में खर्च किये जाएंगे।

दुर्गम एवं दूर-दराज के क्षेत्रों को अनुदान

9.10 वर्ष 1990 में सरकार प्रदेश के दूर-दराज दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में जनता को गेहूं अनुदान मूल्य पर उपलब्ध करवाती रही। सरकार ने एकीकृत जन विकास परियोजना क्षेत्रों को गेहू 269 रूपये प्रति क्विंटल, 234 रूपये प्रति क्विंटल अनुदान क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों को 249 रूपये जमा बिक्री कर प्रति क्विंटल की दर से जनता को दिया। गेहूं का आटा भी प्रदेश के एकीकृत जन विकास परियोजना क्षेत्रों तथा अनुदान क्षेत्रों में 266 रूपये प्रति क्विंटल और अन्य क्षेत्रों में 276 रूपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त शिमला जिले के डोडरा और पंद्रहा-बीस क्षेत्र, जिला कुल्लू के सरघा और कुशवा क्षेत्र, सोलन जिले की मांगल व बैरल पंचायतें और जिला कांगड़ा के बड़ा भंगाल क्षेत्रों में भी चावल बांटा गया। इन क्षेत्रों में 10 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक परिवहन भाड़ा सरकार ने अनुदान के रूप में वहन किया। भारत सरकार, प्रदेश को 10,000टन गेहूं तथा 6,500 टन चावल प्रति माह देती है।

छात्रों को विशेष सुविधाएं

9.11 बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत जनता को दिये जाने वाले मूल्य से 35 रूपये प्रति क्विंटल कम दर पर गेहूं का आटा और चावल दिए गये।

9.12 आवश्यक वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण में जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न आदेशों व अधिनियमों को सख्ती से पालन कर रही है। कैलण्डर वर्ष 1990 में 29995 निरीक्षण व छापे मारे गये, 9 मामले दर्ज किए गये, 193 व्यक्तियों को लिखित चेतावनी दी गई और 268 व्यक्तियों को विभागीय कार्यवाही के अधीन दण्ड दिया गया। 60,495 रूपयों की धरोहर जब्त की गई और 7,191 रूपये मूल्य की वस्तुयें जब्त की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता निवारण मंच बनायें ताकि उनकी समस्यायें हल हो सकें। राज्य स्तर के उपभोक्ता निवारण मंच द्वारा 30 दर्ज की गई शिकायतों में से 13 निपटाई गई तथा जिला स्तरीय मंच द्वारा 311 शिकायतों में से 143 शिकायतों का निवारण किया।

अन्त्योदय कार्यक्रम

9.13 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1990 से सारे प्रदेश में अन्त्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 90 हजार से अधिक चुने गए अन्त्योदय परिवारों को अनुदानित दरों पर गेहूं, चावल तथा नमक उपलब्ध करवाया गया। इन परिवारों को गेहूं 4 किलो प्रति व्यस्क तथा 2 किलो प्रति शिशु, 1.50 रूपये प्रति किलो की दर से तथा चावल 1 किलो प्रतिव्यस्क व 500 ग्राम प्रति शिशु, 2.50 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाये गये। इसी प्रकार नमक 25 पैसे प्रति किलों की दर से एक किलों प्रति परिवार को दिया गया।

9.14 इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 200 लाख रूपये गैर-जन-जातीय क्षेत्रों तथा 125 लाख रूपये जन-जातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान रखा गया। चालू वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान 13,650 क्विंटल गेंहू वितरित किया गया तथा 18.11 लाख रूपये अनुदान के रूप में अक्तूबर, 1990 तक व्यय किए गए।

पेयजल

9.15 वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कुल 16,807 आबाद गांव में से 11, 887 समस्या गांव और 4,920 सुगम गांव घोषित हुए। सुरक्षित पेयजल के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 तक 15,255 गांव जिन में 10,780 समस्या गांव और 4,475 सुगम गावों को पेयजल दिया गया जोकि 90.8 प्रतिशत है। वर्ष 1990-91 में कुल 350 गावों को पेयजल प्रदान करने की प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में गावों में पानी की स्कीमों के लिए 23.08 करोड़ रूपये राज्य क्षेत्र, 6.30 करोड़ रूपयें केन्द्रीय क्षेत्र तथा 3.92 करोड़ रूपये तकनीकी मिशन के अन्तर्गत प्रावधान किया गया जिसे चालू वर्ष के अन्त तक खर्च कर दिया जाएगा।

9.16 प्रदेश के सभी नगरों में चाहें अभी पुरानी पैयजल योजनाऐं कार्यरत हैं परन्तु वर्त्तमान बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने में यह योजनायें अपर्याप्त हैं। शहरों में पेयजल योजनाओं के विकास की अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए 409 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जोकि वर्ष के अन्त तक पूरा खर्च कर दिया जाएगा। वर्ष 1990-91 में मल प्रवाह पद्धति के लिए 38 लाख रूपये का प्रावधान है।

शिक्षा साक्षरता

9.17 हिमाचल प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर (कुल जनसंख्या से शिक्षितों का प्रतिशत) 42.48 प्रतिशत थी जबकि 1971 में यह साक्षरता 31.96 प्रतिशत थी। राज्य में नगरीय व ग्रामीण साक्षरता की दर में व्यापक अन्तर है। वर्ष 1981 में नगरीय साक्षरता की दर 67.44 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 40.42 प्रतिशत थी। इसी प्रकार पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में भी बहुत अन्तर है। पुरुषों की 53.19 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर केवल 31.46 प्रतिशत थी।

प्राथमिक पाठशालाएं

9.18 वर्ष 1990-91 में 100 प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव था। इनमें से अब तक 80 प्राथमिक पाठशालाएं 31 दिसम्बर, 1990 तक खोली जा चुकी हैं। सभी प्रस्तावित पाठशालाओं के खुल जाने से सरकार के अधीन कुल प्रस्तावित प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 7,548 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इन नये स्कूलों के खुलने से 200 जे0 वी0 टी0 अध्यापकों तथा 100 पार्ट टाईम पानी ढोने वालों को 1990-91 के दौरान रोजगार अवसर प्रदान होंगे। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पढ़ाई तथा सिलाई सामग्री के लिए 274.52 लाख रूपये की राशि रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत पहले चरण में 29 सामुदायिक विकास खण्ड जिनमें 3,459 प्राथमिक इकाईयां है की तृतीय चरण में लाया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में एकल अध्यापक प्राथमिक पाठशाला के लिए 931 जे0 बी0 टी0 अध्यापक रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ 1990-91 के दौरान जन-जातीय छात्रों के छात्रों को मुफ्त कपड़ा, लेखन सामग्री व पाठ्य पुस्तकें आदि देने के लिए 5.35 लाख रूपये की धनराशि रखी गई है। इसके अतिरिक्त 1990-91 के दौरान प्रदेश में सभी प्राथमिक पाठशालाओं को उनकी जरुरतों के अनुसार नई दरी पट्टी उपलब्ध करवाई जा रही है।

माध्यमिक पाठशालाएं

9.19 वर्ष 1990-91 में 18 माध्यमिक पाठशालाओं को व्यवहारिक रूप दिया गया।

उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

9.20 वर्ष 1990-91 में 15 उच्च पाठशालाओं को व्यवहारिक रूप दिया तथा 10 वारिष्ठ माध्यमिक पाठशालओं में विज्ञान पाठ्यक्रम चलाए गए।

उच्चतर शिक्षा

9.21 वर्ष 1990-91 में प्रदेश में कुल 27 राजकीय महाविद्यालय थे जिनमें 7 सांयकालीन महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य परिषदों के गठन के अतिरिक्त स्वायत महाविद्यालयों के लिए भी एक कार्यदल का गठन किया गया। राज्य में तीन विश्वविद्यालय हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिये वर्ष 1990-91 में कुल राशि 60 लाख रूपये में से 44 लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.22 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 2,300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा 305 जन शिक्षा निलायम स्वीकृत हैं वर्ष 1990-91 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है जिसमें (i) ग्रामीण साक्षर कार्यक्रम (ii) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (iii) जन शिक्षा निलायम (iv) नेहरू युवक केन्द्र तथा (v) सामुहिक साक्षरता कार्यक्रम जिन में स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थी भी शामिल किए जाएंगे सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 में हमीरपुर जिले को पूर्ण रूप से निरक्षरता दूर करने के लिए चुना गया है।

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा

9.23 वर्ष 1990-91 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा से सम्बन्धित सभी केन्द्रों में शिक्षा का कार्यक्रम जारी रहा। विकलांग बच्चों के लिए यह सुविधा शिमला, नाहन, धर्मशाला व चम्बा में उपलब्ध है।

व्यवसायिक शिक्षा

9.24 जमा दो प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा का लागू करना नई शिक्षा प्रणाली का ही एक भाग है, व्यवसायिक शिक्षा 25 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में आरम्भ की गई है जिनमें (1) बागवानी (2) लेखा व लेखा परीक्षा (3) कम्पयूटर तकनीकी (4)

घरेलू विद्युत उपकरणों की मुरम्मत व रखरखाव (5) इलैक्ट्रानिक तकनीकी तथा (6) भोज्य पदार्थों का परीक्षण एवं विधायन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

वैज्ञानिक शिक्षा का सुधार

9.25 भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत 139.83 लाख रुपये 1990–91 के लिए उपलब्ध करवाये हैं इस धनराशि को (1) माध्यमिक पाठशालाओं में 'विज्ञान-किट' देना (2) उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को विज्ञान प्रयोगशालाओं में विज्ञान उपकरण देना (3) उच्च/वरिष्ठ माध्यनिक पाठशालाओं को विज्ञान पुस्तकें प्रदान करना तथा (4) विज्ञान एवं गणित सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण देना जैसे कार्यक्रमों को उपयोग में लाया जाएगा ।

शैक्षणिक तकनीकी

9.26 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,557 प्राथमिक और 482 माध्यमिक पाठशालाओं को 2,039 रेडियो कम कैसेट प्लैयर प्रदान किए गए । भारत सरकार से 45.80 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है जिनसे 4,000 प्राथमिक पाठशालाएं तथा 580 माध्यमिक पाठशालाएं लाभान्वित होंगी । इसके अतिरिक्त 35 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को कलास प्रोजैक्टस के अन्तर्गत लाया गया तथा तीन जे0 बी0 टी0 प्रशिक्षण संस्थानों को रंगीन टी0 वी0 व बी0 सी0 आर0 तथा 97 वरिष्ट माध्यमिक पाठशालाओं, 49 उच्च पाठलाओं को ब्लैक एण्ड वाईट टी0 वी0 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए ।

मुफ्त छात्रावास

9.27 दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त छात्रावास की सुविधा से शिक्षा के व्यापक प्रसार व बच्चों का स्कूलों से लगाव में बहुत सहायता मिली है । वर्ष 1990–91 में ऐसे 23 निशुल्क छात्रावास कार्यरत थे जहां निशुल्क आवास व भोजन सुविधा के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को 100 रुपये की वार्षिक सहायता पुस्तकें व सम्बन्धित सामग्री खरीदने के लिए भी दी जाती है ।

छात्रवृत्तियां

9.28 इस वर्ष विभिन्न स्तर पर छात्रवृत्तियों के प्रोत्साहन हेतू 167.96 लाख रुपयों का प्रावधान है । वर्ष 1991-1992 से अन्त्योदय परिवारों के ऐसे बच्चों को जो छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी है को 30 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा 100 रुपये पुस्तकें एवं वर्दी के लिए अनुदान, +1 व +2 के छात्रों को 50 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति और 150 रुपय पुस्तकें व वर्दी के लिए अनुदान देन का प्रस्ताव है । +2 से उपर वाली कक्षाओं तथा तकनीकी शिक्षा पाने वाल छात्रों को अनुसचित जाति व जन-जाति के छात्रों के समान ही वर्तमान दरों पर छात्रवृत्तिता और अनुदान दिया जाएगा ।

स्कूली शिक्षा में पर्यावरण अभिविन्यास

9.29 यह कार्यक्रम वर्ष 1990–91 में चालू रहा, केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पुस्तकों की समीक्षा, पर्यावरण का ज्ञान, पाठ्यक्रम समीक्षा और कार्य अनुभव सम्बन्धि संगोष्ठियां व कार्यलाशालाएं आयोजित की गई । पाटशालाओं में जहां पानी तथा जमीन उपलब्ध है, नर्सरी उगाने का प्रावधान है ।

अध्यापकों को प्रशिक्षण

9.30 शिक्षकों के प्रशिक्षण कायक्रम के अन्तगत 6 जे0बी0टी0 स्कूल कार्यरत है इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व धर्मशाला के शिक्षा महाविद्यालय में बी0 एड0 की ट्रेनिंग भी दी जाती रही ।

तकनीकी शिक्षा

9.31 प्रदेश में इस समय 4 बहुतकनीकी संस्थान, एक लघु तकनीकी पाठशाला, 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए है, और 14 प्रशिक्षण संस्थान स्त्रियों के लिए कार्यरत है । इन बहु तकनीकी संस्थानों में 3 वर्षीय सिविल इन्जीनियरिंग, मैकनिकल, इलैक्ट्रीकल, आटोमोबाईल, वास्तुकला इन्जीनियरिंग, लैक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन, पाठयक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है । कम्पयूटर में डिप्लोमा कोर्स जनवरी, 1990 से राजकीय पोलिटैकनिक हमीरपुर व स्त्रियों के लिए पोलिटैकनिक कण्डाघाट में प्रारम्भ किया गया । लघु तकनीकी पाठशाला कांगड़ा में छात्रों को बढ़ईगिरी, यन्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण, फिटिंग, वैल्डिंग, लोहे के औजार व नमूने बनाने आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इन्जीनियरिंग व नान इन्जीनियरिंग दोनों ही ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है । एक क्षेत्रिय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय हमीरपुर में 1987–88 से कार्यरत है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

9.32 हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से जन स्वास्थ्य, विभिन्न बिमारियों की रोकथाम स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की अमूल्य सेवाएं सम्मिलित हैं, 39 असैतिक चिकित्सालय, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य कन्द्रों, 17 ग्रामीण चिकित्सालयों (उत्थानित प्रा0स्वा0केन्द्र), 190 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 197 औषद्यालयों तथा 1,851 उप कन्द्रों और 46 मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(1) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 4,716 स्वास्थ्य गाईड लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे है तथा ये गाईड मलेरिया निरीक्षण, परिवार कल्याण तथा प्रतिरक्षण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ।

(2) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :—इस समय प्रदेश में 3,177 बुखार ईलाज डिपो, 4,911 औषधि वितरण केन्द्र, 138 मलेरिया उपचारालय तथा 680 सैक्शन कार्य कर रहे हैं । वर्ष 1990 के माह नवम्बर तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,49,158 रक्त स्लाईडें एकत्रित की गई इनमें से 6,30,021 की जांच की गई और 14,165 अनुकूल पाई गई । पिछले वर्ष की अपेक्षा नवम्बर, 1990 तक घनात्मक मामलों में 66.88 प्रतिशत तथा पी0एफ0 मामलों में 63.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(3) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम :—यह कार्यक्रम प्रदेश में 6 कुष्ठ चिकित्सालयों 76 पारिणाह क्लीनिक, 15 सर्वेक्षण तथा शिक्षा उपचार केन्द्र जिनमें 232 बिस्तरों का प्रावधान है के माध्यम से चलाया जा रहा है । इसके साथ इन्दिरा गान्धी मैडिकल कालेज शिमला में 20 बिस्तरों वाला वार्ड तथा दो स्वयं सेवी संस्थाऐं जो स्पाटू तथा पालमपुर में स्थित है कार्यरत हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 200 लक्ष्य के अन्तर्गत नवम्बर, 1990 तक 118 नए मामलों का पता लगाया गया तथा 338 मामले समाप्त किए गए ।

(4) एस0टी0डी0 नियंत्रण कार्यक्रम :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 71 एस0टी0डी0 संस्थाएं हैं जिनमें से अधिकतर जन-जातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं । जिरोपोजिटिविटी दर जो वर्ष 1952 में 37.40 प्रतिशत थी, वर्ष 1990 में नवम्बर तक घटकर 0.93 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1990 में रक्त के 57,362 मामले एस0टी0एस0 के लिए जांच किए जिनमें से 536 अनुकूल पाए गए ।

(5) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 2 क्षय रोग चिकित्सालय, 11 जिला क्षय रोग क्लीनिक, 6 क्षय रोग उप-क्लीनिक तथा एक सर्वेक्षण एवं अधिवास उपचार केन्द्र जिनमें 713 बिस्तरों का प्रावधान है कार्यरत है । वर्ष 1990-91 में दिसम्बर, 1990 तक 13,780 नए रोगियों का पता लगाया गया तथा 39,616 मामलों में थूक की जांच की गई जिनका क्रमश: 15,000 तथा 46,200 का लक्ष्य था ।

(6) बी0सी0जी0 कार्यक्रम :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 1,32,600 टीके लगाने का लक्ष्य था और दिसम्बर, 1990 तक 80,170 टीके लगाए गए ।

(7) अन्धेपन से बचाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम :— वर्ष 1990-91 में 7,000 कैटरेक्ट आप्रेशन करने का लक्ष्य था जिसके अन्तर्गत दिसम्बर 1990 तक 3,909 कैटरेक्ट आप्रेशन किए गए ।

(8) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम :— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 14,034 बन्धयकरण और 24,134 लूप निवेश दिसम्बर, 1990 तक किए गए जिनका लक्ष्य क्रमश: 34,000 तथा 64,000 था इसके अतिरिक्त क्रमश: 75,000 तथा 12,000 के लक्ष्य में दिसम्बर, 1990 तक 58,353 सी0सी0 प्रयोगकर्ता तथा 10,422 ओ0पी0 प्रयोगकर्ता नामांकित किए गए । सरकार ने छोटा परिवार अपनाने वालों को तथा संस्थाओं को इस कार्यक्रम को प्रदेश के लोगों में लोकप्रिय बनाने हेतु कई प्रोत्साहन घोषित किए । प्रचलित वर्ष में छोटा परिवार अपनाने वालों को अतिरिक्त निम्न प्रोत्साहन देने हेतु पिछले वर्ष की तरह चालू रहे :-

1. उन माता पिता को जो एक जीवित बेटी के बाद बन्ध्यकरण को अपनाएंगे उनको नगद 6,000 रुपये दिये जायेंगे ।
2. जो माता पिता दो जीवित बेटियां के बाद बन्ध्याकरण अपनायेंगे उन्हें नगद 5,000 रुपये दिए जायेंगे ।
3. 500 रुपये का नगद इनाम उनको दिया जायेगा जो एक जीवित बेटे के बाद बन्ध्यकरण करवायेंगे तथा
4. जो दो जीवित बेटों के बाद बन्ध्यकरण अपनायेंगे उन्हे 300 रुपये दिए जायेंगे ।

(9) मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य तथा विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 जिलों को लाया गया है । इन जिलों में महिलाओं को टी0टी0 और छोटे बच्चों को डी0पी0टी0, पोलियो बी0सी0जी0 व मीजल के टीके

लगाए गए। दिसम्बर, 1990 तक उपलब्धियां व 1990-91 के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :--

मद	लक्ष्य (1990-91)	उपलब्धियां दिसम्बर, 90 तक
1	2	3
1. टी0टी0 (गर्भवती माताएं)	1,40,126	64,117
2. डी0पी0टी0	1,32,600	72,187
3. पोलियो	1,32,600	72,140
4. बी0सी0जी0	1,32,600	80,170
5. मीजल	1,32,600	65,393
6. टी0डी0टी0 (5 वर्ष)	1,03,197	76,227
7. टी0डी0 (10 वर्ष)	94,598	67,148
8. टी0टी0(16 वर्ष)	94,598	45,193
9. आहार सम्बन्धी कमजोरी से मुक्ति		
(क) माताएं	1,12,100	1,35,408
(ख) बच्चे	1,95,900	1,54,851
10. विटामिन ए की कमी से अन्धेपन से बच्चों को मुक्ति	1,65,800	1,50,998

(10) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम:— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की चिकित्सा जांच की जाती है और रोगग्रस्त बच्चों को नजदीक वाली स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों को टाइफाईड तथा टी0 टी0 के टीके भी लगाए जाते हैं।

(11) आयुर्विज्ञान महाविद्यालय :— वर्ष 1990-91 में इन्दिरा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 65 विद्यार्थी की क्षमता रही। अध्ययन तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी अस्पताल तथा कमला नेहरू अस्पताल इससे सम्बद्ध है। इस महाविद्यालय के खुलने से औषधि, शल्य-क्रिया, स्त्री रोग व प्रसूति क्षेत्र विज्ञान, रतिरोग विज्ञान, दन्त चिकित्सा, आंख, नाक व गला चिकित्सा, विकृशा विज्ञान तथा जीव भौतिक विज्ञान इत्यादि में आम जनता को विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय नर्सो, रेडियोग्राफर्स, ओपथलमिक सहायक, ओ0टी0ए0, प्रयोगशाला तकनीकी, फार्मासिस्ट, दन्त, हाईजिनिस्टस को प्रदेश के औषधालयों व चिकित्साशलयों की जरूरतों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षण भी देता है। इसके अलावा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ग्रामीण तथा कठिन क्षेत्रों के लोगों के लिए 50 बिस्तरों वाला चलता-फिरता हस्पताल चला रहा है तथा इंटर्नज् व प्रशिक्षण ले रही नर्सो को बेहतर क्षेत्रीय प्रशिक्षण दे रहा है।

आयुर्वेद

9.33 हिमाचल प्रदेश में जनता को भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रीय अस्पताल, 2 सर्कल अस्पताल, 1 जनजातीय अस्पताल, 7 जिला अस्पताल, 1 नेचर क्योर यूनिट, 522 आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरियां, 3 यूनानी और 2 होम्योपैथी डिस्पैन्सरियां कार्यरत है। वर्ष 1990 में इन संस्थाओं में 42,336 अन्तरंग व 38,03,724 बाह्य् रोगियों का इलाज किया गया। इसके अतिरिक्त 2 आयुर्वेदिक फार्मेसियां शास्त्रोक्त दवाईयां तैयार कर राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों व औषधालयों को भेजती रही। इन फार्मेसियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्ष 1990 में 98 क्लासिकल औषधियां बनाने का प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही जोगिन्द्रनगर में एक अनुसंधान संस्थान तथा अस्पताल भी कार्यरत है। पपरोला में बी0ए0 एम0एस0 उपाधियों और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी कार्य कर रहा है जिसकी क्षमता 20 विद्यार्थी प्रति वर्ष है। औषधियों की भारतीय पद्धति का यह विभाग अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मलेरिया उन्मूलन और परिवार कल्याण आदि में भी अपना सहयोग देता रहा है। आयुर्वेदिक संस्थाओं ने पात्र दम्पतियों को प्रेरित करने के लिए परिवार कल्याण शिविर लगाये तथा शल्यक्रिया वाले मामलों की देखरेख के लिए भी शिविर लगाये।

पौषाहार कार्यक्रम

9.34 समाज तथा स्त्री विभाग द्वारा चलाए गए विशेष पौषाहार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से इस वर्ष 1,32,100 बच्चों

D-6052
29/4/91

व 26,000 गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचने की आशा है । इस पौष्टिक आहार की लागत 50 पैसे प्रतिदिन प्रति बच्चा तथा 80 पैसे प्रतिदिन प्रतिमाता है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रदेश के लिए वर्ष 1989-90 तक 32 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) परियोजना स्वीकृत कर चुकी थी । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य 0-6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना और उनक विकसित मानसिक व सामाजिक जीवन की दृढ़ नींव रखना तथा इसके साथ ही मृत्यु दर को कम करना और स्कूलों के प्रति बच्चों का लगाव पैदा करना है तथा बच्चों के विकास के लिए विभिन्न विभागों के तालमेल से एक प्रभावी नीति बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना है उन उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए 6 सेवाएं जैसे प्रतिरक्षण, प्रतिपूरक पौषाहार, स्वास्थ्य की देखभाल रफरल सेवाएं, स्वास्थ्य तथा पौषाहार शिक्षा तथा नान-फार्मल प्री स्कूल शिक्षा कार्यरत है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1.9 लाख बच्चों व 36 हजार माताओं को लाभ होने की आशा है ।

समाज कल्याण एंव पिछड़े वर्गों का कल्याण

9.35 समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाएं जो नैतिक खतरे में हों, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करना है । विभाग गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 0—6 साल के बच्चों के लिए विशेष पौषाहार योजना भी चलाता है । अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 'पिछड़े वर्गों का कल्याण' शीर्षक के अन्तर्गत और महिलाओं, बच्चों, वृद्ध एवं बेसहारा के कल्याण हेतु "समाज कल्याण" शीर्षक के अन्तर्गत चलाई जा रही है।

समाज कल्याण

9.36 समाज कल्याण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि बेसहारा, अपंग, शारीरिक विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति का कल्याण करना है । उनको सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कई संस्थाएं चला रखी हैं जैसेकि बाल तथा बालिका आश्रम, बेसहारा गृह व स्टेट होम इत्यादि ।

वृद्धवस्था और विधवा पेंशन

9.37 इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं और उनकी वार्षिक आय 2000 रुपये से अधिक नहीं है । यह पेंशन 60 रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है । संशोधित पेंशन कानून के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को भी दी जाती है जिनके बच्चे हैं परन्तु उनकी मासिक आय 1000 रुपये से अधिक न हो । अपंग व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और उनको यह पेंशन अपंग राहत भत्ते के रूप में दी जाती है । इसी प्रकार विधवाओं को भी इस पेंशन को प्राप्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं हैं । वर्ष 1990-91 क दौरान प्रदेश में इस प्रकार के पेंशनरों की संख्या 87,412 थी । प्रथम जुलाई, 1988 से समस्त कुष्ठ रोगी व्यक्तियों की 60 रुपये प्रतिमास की दर से पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है ।

बाल कल्याण

9.38 निराश्रित बच्चों तथा अनाथों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों को चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है । स्वयंसेवी संघों द्वारा कल्पा, सराहन, सून्नी, मशोबरा, टूटी कण्डी (शिमला), शिमला, कुल्लू और लाहल (चम्बा) बाल/बालिका आश्रम चलाए जा रहा हैं । इन आश्रमों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास के अतिरिक्त मैट्रिक तक शिक्षा दी जाती है । सुन्दरनगर में जेयूवनाइल ऐक्ट, 1986 के अन्तर्गत निराश्रित बच्चों के लिए स्थापित एक बाल घर वर्ष 1990-91 के दौरान भी कार्य कर रहा है । इसके अतिरिक्त हरोली (ऊना) में एक विशेष स्कूल प्रेक्षण-कम-होम भी कार्यरत है जिसमें किशोर अपराधी बाल्य 18 वर्ष की आयु तक रखे जाते हैं

महिला कल्याण

9.39 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं । प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं :—

(क) नारी सेवा सदन.—निराश्रित और राह भटकी लड़कियों के लिए चम्बा, मण्डी, शिमला, कांगड़ा, कल्पा और बिलासपुर में विभाग द्वारा 6 नारी सेवा सदन चलाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त नाहन में एक नारी सेवा सदन भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है । इन सदनों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास की सुविधा

प्रदान करने के अतिरिक्त कटाई, सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आवास छोड़ने के उपरान्त वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें । ऐसी स्त्रियों के पुनर्वास के लिए तीन हजार रुपये प्रति स्त्री तक की आर्थिक सहायता भी दी जाती है

(ख) कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास:—नगरों में कार्यरत महिलाओं को आवास की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से विभाग ने 12 कार्यरत महिला छात्रावासों का निर्माण किया है। यह छात्रावास स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय सरकार के 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार के 25 प्रतिशत अनुदान से निर्मित किए गए हैं।

(ग) बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए अनुदान.—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी लड़कियों को या तो उनके माता-पिता को जिनकी वार्षिक आय 7,500 रुपये से अधिक न हो, 2,500 रुपये शादी के लिए अनुदान के रूप में दिये जाते हैं । वर्ष 1990-91 में इस उद्देश्य के लिए 1.00 लाख रुपयों का प्रावधान है और लगभग 40 लड़कियां इससे लाभान्वित होंगी ।

(घ) स्वयं-रोजगार के लिए महिलाओं को सहायता.—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 6,000 रुपये से अधिक न हो और किसी विशेष व्यवसाय की जानकारी हो या उस व्यवसाय में प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त किया हो, 1,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है । वर्ष 1990-91 में 1.00 लाख रुपये इस उद्देश्य के लिए रखे गये हैं और लगभग 100 महिलाओं को सहायता दी जाएगी ।

(ङ) महिला विकास निगम.—प्रदेश में महिलाओं को विभिन्न व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए एक महिला विकास निगम की स्थापना की गई है । वर्ष 1990-91 में इस निगम को 13.00 लाख रुपये दिये गए हैं ।

विकलांग कल्याण

9.40 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए "विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग" योजना के अन्तर्गत 0.55 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । इसके अतिरिक्त विकलांगों को छात्रवृत्ति दी जाती है और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी आजीविका कमा सके । ऐसे व्यक्तियों को जो अपंगों से शादी करें, 5,000 रुपये की राशि शादी अनुदान के रूप में दी जाती है तथा इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये का प्रावधान रखा है । इसके साथ विकलांगों के लिए स्वयं रोजगार योजना के लिए 55,000 रुपये रखे गए हैं ।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

9.41 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई है:—

(क) तकनीकी छात्रवृतियां.—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों जो आई. टी. आई., आर.टी-आई. और अन्य कलस्टर केन्द्रों इत्यादि में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को 100 रुपये प्रति मास प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1990-91 के दौरान इसके लिए 14.10 लाख रुपये बजट में रखे गए हैं और 1,175 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होंगे ।

(ख) अनुवर्ती कार्यक्रम.—इसके अन्तर्गत उन प्रशिक्षणार्थियों को औजार तथा उपकरण दिये जाते हैं जिन्होंने विभिन्न व्यवसाय में आई. टी. आई. से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को भी लिया जाता है । वर्ष 1990-91 के दौरान 5.35 लाख रुपये के प्रावधान से लगभग 1,070 व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचेगा ।

(ग) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन:—अस्पृश्यता को दूर करने के लिए 6,000 रुपये, प्रति दम्पति जहां लड़की स्वर्ण जाति की हो और 5,000 रुपये प्रति दम्पति जहां लड़की जनजाति की हो दिये जाते हैं । वर्ष 1990-91 में इस योजना के अन्तर्गत 2.25 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 42 दम्पतियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ।

(घ) आवास अनुदान.—इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वर्फ से ढके क्षेत्रों में 5,000 रुपये का अनुदान और 4,000 रुपये अन्य क्षेत्रों में, आवास निर्माण के लिए दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त इस जाति के सदस्यों को उपरोक्त राशि का 50 प्रतिशत घर की मुरम्मत के लिए दिया जाता है । वर्ष 1990-91 में 30.10 लाख रुपये का प्रावधान है और लगभग 703 परिवार लाभान्वित होंगे ।

(ङ) पेयजल आपूर्ति योजना.—इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे गांव जहां पर स्वर्ण और अनुसूचित जाति के लोग रहते हों व अनुसूचित जाति के लोग अधिक हों छोटी पेयजल योजनाएं चलाई जा रही है जो कि जन स्वास्थ्य विभाग

की योजनाओं के द्वारा लाभान्वित नहीं होते हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान 8.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है और लगभग 71 पंचायतों को लाभान्वित किये जाने की संम्भावना है ।

(च) टाईप व शार्टहैंड में निपुणता.—इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कार्यालयों में नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपनी निपुणता को कायम रख सकें । इस प्रकार के प्रशिक्षार्थियों की सूची रोजगार केन्द्रों से प्राप्त की जाती है और उसके उपरान्त इनकी विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति की जाती है । इन प्रशिक्षणार्थियों को 300 रुपये प्रतिमास का बजीफा एक वर्ष दिया जाता है या जब तक उनको उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता । इस योजना के लिए 70 हजार रुपये रखे गये हैं जिससे 20 प्रशिक्षणार्थियों को लाभ पहुंचेगा ।

(छ) अनुसूचित जाति परिवारों को राहत जो अत्याचारों से पीड़ित है.—इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन पर जातीय आधार पर अन्य परिवारों द्वारा अत्याचार किये गए हों। वर्ष 1990-91 क दौरान इस उद्देश्य के लिए 0.70 लाख रुपये का प्रावधान है।

(ज) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम:—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश मे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम की स्थापना की गई है । यह निगम बैंकों की सहायता से अनेक उधार कार्यक्रम चला रहा है । वर्ष 1990-91 के दौरान 35 लाख रुपये की राशि राज्य हिस्स क रूप में इसके लिए निर्धारित की गई है ।

(झ) हरिजन बस्तियों का उत्थान व पर्यावरण विकास.—इस स्कीम के अन्तर्गत पंचायतों को पक्की गलियों व नालियों इत्यादि बनाने क लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि अनुसूचित बस्तियों में रहने वालों क रहन-सहन के स्तर व पर्यावरण में उत्थान हो सके । वर्ष 1990-91 में 3.75 लाख रुपय का प्रावधान रखा गया है और लगभग 38 गांवों को इसके अन्तर्गत लिया जायेगा ।

जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास

9.42 पांचवी योजना की समीक्षा से प्रतीत हुआ है कि अनुसूचित जन-जाति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई है । इसलिए जन-जाति उप-योजना को जनजाति के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए 1974-75 के वर्ष से चलाया जा रहा है । उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जन जाति, जन-संख्या के विकास खण्डों का चिन्हांकित करना, राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं एवं संस्थानों से साधनों को आरक्षित करना और इस आरक्षित राशि का विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा सम्पूर्ण करना और उचित प्रशासनिक एवं कार्मिक नीतियों को अपनाना शामिल है ।

9.43 राज्य में किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति जिले समस्त रूप में एवं चम्बा जिला की पांगी और भरमौर तहसील तथा उप-तहसील होली जन-जातीय है । छठी योजनावधि में संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति का सूत्रपात किया गया जिसके फलस्वरूप चम्बा तथा भटियात तहसीलों के क्षेत्र जन-जातीय उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत चिन्हांकित किए गए । छठी योजना में जन-जातीय क्षेत्र के सामान्य विकास के बजाय जन-जातीय परिवारों की प्रगति पर बल दिया गया । इस प्रकार प्रदेश की 63 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति जन संख्या उप-योजना प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई । आठवीं योजना के लिए अब तक अपनाये गए माप दण्ड ही मार्ग दर्शन के आधार रखे गए ह । जन-जातीय उप-योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना का 8.62 प्रतिशत भाग रखा गया और सातवीं योजना का लक्ष्य 9 प्रतिशत था जबकि वास्तविक उपलब्धि 8.78 प्रतिशत थी । वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य की वार्षिक योजना की 360.00 करोड़ रुपय में जन-जातीय उप-योजना का भाग 32.40 करोड़ रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता 3.57 करोड़ रुपये थी । जन-जातीय क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 0.099 करोड़ रुपये थी । आर्थिक सेवाओं के क्षेत्रों को अधिकतम प्राथमिकता दी गई । । अनुसूचित जन-जाति के लोग जो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित खण्डो से बाहर रहते हैं, का उप-योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम 1987-88 के वर्ष म लाया गया जबकि उनकी विशेष केन्द्रीय सहायता से लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 1990-91 के लिए 0.154 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं ।

अनुसूचित जाति के विकास

9.44 1981 की जन गणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 10.54 लाख थी । अनूसूचित जाति जनसंख्या बिखरी होने के कारण, इस जाति के लिए व्यक्ति/परिवार/बस्ती आधारित स्कीमें/कार्यक्रम अपनाए गए ताकि (1)इनकी आय तथा उत्पाद

कता में वृद्धि हो सकें (2) ये व्यवसाय कम अपमानित हों, (3) इनकी शिक्षा का विकास सुनिश्चित किया जाये ताकि रोजी-रोटी कमाने के लिए वे दूर के स्थानो में भी जा सकें साथ ही उनके रहन-सहन और वातावरण में सुधार लाया जाए। सांतवीं योजना में प्रथम बार विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर 8.27 प्रतिशत पूंजी रखी गई थी परन्तु राज्य योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धि 11.19 प्रतिशत रही । यह उपलब्धि भारत सरकार गृह मन्त्रालय (अब कल्याण मन्त्रालय) द्वारा दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण प्राप्त हो सकी। आठवी योजना के लिए राज्य योजना की राशि सम्पूर्ण राज्य योजना का 11 प्रतिशत रखा गया (अभाजीय व भाजीय घटक के विचार बिना) वर्ष 1990-91 विशेष योजना का आकार 44.18 करोड़ रुपये का था जिसमें राज्य योजना 42.05 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता 2.13 करोड़ रुपये थी ।

9.45 विशेष घटक योजना के लिए जिला स्तर (किन्नौर और लाहौल-स्पिति को छोड़ कर) पर योजना को सामायिक संचालन हेतु जिला स्तरीय संचलान एवं पुर्नवलोकन समितियां गठित की गई हैं जिसका अध्यक्ष उपायुक्त है । इसके अतिरिक्त वास्तविक मूल्यांकन हेतु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से मूल्यांकन अध्ययन भी करवाए गए ताकि जहां पर विशेष पग उठाने की जरूरत हो, उठाये जा सकें ।

9.46 20 सूत्रीय कायक्रम 1986, के 11 वें सूत्र के अंतर्गत अनुसूचित जन-जाति को वर्ष 1990-91 के दौरान लाभान्वित करने का लक्ष्य 17,206 परिवारों को लाभान्वित करने की तुलना में दिसम्बर, 1990 तक 13,252 पविारों को लाभान्वित किया गया ।

10. व्यापार एवं वाणिज्य

वाणिज्यिक बैंकिंग

10.1 सभी शैड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिनकी संख्या जून, 1989 को 657 से बढ़कर जून, 1990 को 713 हो गई । राज्य में कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 145 (20.3 प्रतिशत) तथा उसके बाद शिमला जिला में 110 (15.4 प्रतिशत) बैंक थे । ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षत्रों में बैंक शाखाओं को बढ़ाने का कार्य वर्ष 1990 में भी जारी रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या 635 हो गई जो कि राज्य में कुल बैंक कार्यालयों की संख्या का 89.1 प्रतिशत है । यदि इसे जनसंख्या से जोड़ा जाए तो राज्य में प्रति बैंक कार्यालय औसत में जनसंख्या जून, 1989 की 7,407 से घटकर जून, 1990 में 6,937 हो गई ।

10.2 प्रदेश में शैडयूल्ड वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि जून, 1989 को 1,049.94 करोड़ रुपये से बढ़कर जून, 1990 में 1,218.25 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार इस दौरान इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सकल बैंक में ऋण राशि जन, 1989 में 369.83 करोड़ रूपये से बढ़कर जून, 1990 में 473.63 करोड़ रुपये हो गई । यह वृद्धि 28.1 प्रतिशत के लगभग थी । राज्य मे ऋण पर दी गई राशि जमा राशि का अनुपात जून, 1989 के 35.2 प्रतिशत से बढ़कर जून, 1990 में 38.9 प्रतिशत हो गया । राज्य में जून, 1990 में 89.1 प्रतिशत बैंक कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे परन्तु कुल ऋण का केवल 67.5 प्रतिशत तथा कुल जमा राशि का 69.8 प्रतिशत इन बैंकों द्वारा था । जून, 1990 में राज्य के जिला कांगड़ा में बैंकों में जमाराशि 24.8 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 13.1 प्रतिशत थे । जिला शिमला में बकों में जना राशि 23.3 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 25.5 प्रतिशत थे ।

10.3 सभी वाणिज्यिक शैडयूल्ड बैंकों द्वारा दी गई बकाया ऋण राशि जून, 1987 के अन्त में 285.63 करोड़ रुपये थी जो कि जून, 1986 की बकाया ऋण राशि 336.63 करोड़ रुपये से 15.2 प्रतिशत कम थी । सभी बाणिज्यिक शैड्यूल्ड बैंकों द्वारा दी गई बकाया ऋण राशि के बारे में क्षेत्रानुसार आंकड़े जून, 1986 से जून 1987 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं । अधिकतर क्षेत्रों में बकाया ऋण राशि में जून, 1986, व जून 1987, के दौरान कमी रही । नीचे दी गई तालिका में सभी वाणिज्यिक शैड्यूल्ड बैंकों द्वारा जून, 1986 व जून 1987, के अन्तिम शुक्रवार को महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बकाया ऋण राशी के आंकड़े दर्शाये गये हैं ।

हिमाचल प्रदेश में शैड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंको द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दी गई बकाया ऋण राशि का आबंटन

(करोड़ रुपयों में)

क्षत्र	आखिरी शुक्रवार को उधार दी गई बकाया राशि				प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (—) में
	जून 1986		जून 1987		1986 से 1987 में
	बकाया राशि	कुल से प्रतिशत	बकाया राशि	कुल से प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
1 कृषि एवं सहयोगी सेवाएं	56 59	16.81	56.78	19.88	0.34
2. खनन एवं उत्खनन	4.24	1.26	0.56	0.20	(-) 86.79
3. विनिर्माण उद्योग	127.99	38.02	99.58	34.86	(-) 22.20
4. विद्युत	0.53	0.16	1.01	0.35	90.57
5. निर्माण	0.50	0.15	0.37	0.13	(-) 26.00
6. परिवहन संचालक	39.92	11.86	38.61	13.52	(-) 3.28
7 निजि तथा व्यवसायिक सेवाए	14.43	4.29	12.86	4.50	(-) 10.88
8. निजि ऋण	15.78	4.69	10.90	3.82	(-) 30.97
9. व्यापार	56.27	16.71	42.98	15.05	(-) 23.62
10. अन्य	20.38	6.05	21.98	7.69	7.85
कुल बैंक उधार	336.63	100.00	285.63	100.00	(-) 15.15
जिसमें से लधु उद्योगों को	64.72	19.23	45.86	16.06	(-) 29.14

सहकारी बैंक

10.4 राज्य की जनता को हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक भी सुविधाऐं प्रदान करते हैं। मुख्य कार्यालय सहित शाखा कार्यालयों की राज्य में जून, 1990 में संख्या 79 थी । प्रति बैंक कार्यालय (वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक दोनों) जून, 1990 में अनुमानित जनसंख्या 6,245 थी । सहकारी बकों में कुल जमा राशि जून, 1989 की 11,129.00 लाख रुपये की तुलना में. जून, 1990 में 13,284.56 लाख रुपये हो गई। इस प्रकार इस दौरान इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

11. परिवहन तथा संचार

सड़कें

11.1 हिमाचल प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास मुख्यत: कुशल संचार प्रणाली पर निर्भर करता है । सड़कें इस प्रदेश के वासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यातायात के अन्य साधन नाममात्र हैं । इसलिए प्रदेश की विकास योजनाओं में सड़क निर्माण को काफी अधिक महत्व दिया गया है । वर्ष 1990-91 के लिए 33.25 करोड़ रुपये जिसमें 4.50 करोड़ रुपये विशेष घटक योजना तथा 4.00 करोड़ रुपये जन-जातीय उपयोजना भी शामिल है मन्जूर किए गए । वर्ष 1990-91 का लक्ष्य तथा अक्तूबर, 1990 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	मद	इकाई	लक्ष्य 1990-91	उपलब्धियां अक्तूबर, 1990 तक
1	2	3	4	5
1.	वाहन चलने योग्य (इकहरी लेन)	किलोमीटर	230	135
2.	जल निकास	"	100	30
3.	पक्की तथा विरालित सड़कें	"	120	107
4.	पुल	संख्या	30	9
5.	जीप चलने योग्य	किलोमीटर	25	12

राष्ट्रीय उच्च मार्ग

11.2 हिमाचल प्रदेश में 724 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण एवं सुधार हेतु भारत सरकार ने 1100.00 लाख रुपये की राशी आंबटित की थी । जिसमें से नवम्बर, 1990 तक 385.50 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं । इस योजना के अन्तर्गत शिमला से वांगटू राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 को चौड़ा करना, बड़ोग बाईपास का निर्माण तथा पठानकोट-चक्की-मण्डी मार्ग जिस को हाल ही में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-20 का नाम दिया गया है के शुरूआत के कार्य किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गों के रख-रखाव तथा बाढ़ वर्षा से हुए नुक्सानों को पूरा करने हेतु 436.23 लाख रुपये की राशि को उपलब्ध करवाया गया है । इन सभी सम्बन्धित पहलुओं पर कार्य तेजी से किए जा रहे हैं ।

महत्वपूर्ण सड़कें

11.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुकेरियां-तलवाड़ा-नूरपुर सड़क से चक्की-धार तक सड़क के विस्तार हेतु वर्ष 1990-91 में भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा 143.28 लाख रुपये अनुमोदित किए हैं । नवम्बर, 1990 तक 116.84 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे और वर्ष 1990-91 के अन्त तक सारी धन राशि खर्च किए जाने की आशा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 मीटर लम्बाई से दोहरी लेन कटाई, 3.5 कि0 मी0 इकहरी लेन तथा 9 कि0 मी0 दोहरी लेन में बीयरिंग, 7 कि0 मी0 में मैटलिंग/टारिंग तथा 1 कि0 मी0 में जल निकास कार्य किए गये हैं । इसके अतिरिक्त गरेल खड्ड तथा चक्की खड्ड पर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

भवन

11.4 आवासीय तथा गैर-आवासीय दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा बनने वाले निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है । वह भवन जो पूर्ण कर लिए गए हैं या अभी जिन पर निर्माण कार्य जारी है उनमें 1. शिमला में राज्य अतिथि गृह परिसर, 2. बस स्टैण्ड 3. सिविल सचिवालय आर्मसडैल भवन, 4. उद्योग भवन, 5. मैडिकल कालेज, 6. क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला, 7. मिनी सचिवालय मण्डी इत्यादि शामिल हैं । सामान्य प्रशासन के उत्थान के उद्देश्य से नवें वित्तीय आयोग के एवार्ड के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यक्रम के लिए अलग से प्रावधान निश्चित किया गया । इस नवें वित्तीय आयोग के एवार्ड के अन्तर्गत अक्तूबर, 1990 तक 27 भवनों का निर्माण किया जा चुका था । इस एवार्ड के अन्तर्गत शेष बचे भवनों के निर्माण को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिसे 31, मार्च 1991 तक पूर्ण कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अक्तूबर, 1990 तक 21 आवासीय तथा एक गैर-आवासीय भवन बनाये गए ।

रेलवे

11.5 प्रदेश में रेलवे लाईन की कुल लम्बाई 31 मार्च, 1990 तक 209 कि0 मी0 थी, जिसमें छोटी लाईनें शिमला-कालका (96 कि0 मी0) और जोगिन्द्रनगर-पठानकोट (113 कि0 मी0) है। वर्ष 1990-91 में नंगल डैम-ऊना रेलवे लाईन (16 कि0 मी0) के जनवरी, 1991 को चालू हो जाने से हिमाचल प्रदेश भी भारतीय रेलवे के चौड़ी लाईनों के मानचित्र पर उभर गया।

नागरिक उड्डयन

11.6 सांतवी पंच वर्षीय योजना से पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में भून्तर में केवल एक हवाई पट्टी थी। सांतवी योजना के दौरान जुब्बड़-हट्टी, (शिमला) तथा गगल (कांगड़ा) नामक दो हवाई अड्डों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। शिमला हवाई अड्डा मई, 1987 में चालू कर दिया गया था और कांगड़ा हवाई अड्डा मई, 1990 को चालू कर दिया गया। हवाई अड्डों के निर्माण से कांगड़ा तथा शिमला घाटियों का वायु मार्ग से बाकी देश के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। अभी तक डोडरा क्वार, काजा, केलांग, किलाड़, रोहड़ू, बनकुफर, तांबो, छराबड़ा, रामपुर में हैलीपड की सुविधा उपलब्ध है तथा भरमौर, चम्बा तथा हवाई पट्टी रंगरीक इत्यादि के निर्माण कार्य जारी हैं। शिमला हवाई अड्डा जुब्बड़-हट्टी में रनवे का विस्तार कार्य पूरा किया जा चुका है तथा आशा है कि इस हवाई अड्डे पर अधिक क्षमता वाले हवाई जहाज भी उतर सकेंगे।

पथ परिवहन

11.7 परिवहन के अन्य स्रोत जैसे रेलवे, वायु तथा जल परिवहन न के बराबर होने के कारण पथ परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रदेश के सभी भागों, पड़ोसी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के पथों पर समन्वित आयोजित, पर्याप्त तथा कार्यसाधक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। इस समय राज्यों में यात्री परिवहन का विशेषतः पुराने हिमाचल में राष्ट्रीयकरण है।

11.8 31 मार्च, 1990 तक निगम के पास 1,503 बसें थी जबकि मार्च, 1989 में 1,379 बसें थी। इस समय निगम के पास 1,528 बसें हैं। 31 मार्च, 1989 में 1,207 मार्गों की तुलना में 31 मार्च, 1990 में 1,342 मार्गों पर बसें चल रही हैं।

तह की गई दूरी

11.9 31 मार्च, 1990 तक निगम की बसों ने 2.58 लाख किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय की जबकि 31 मार्च, 1989 में यह दूरी 2.34 लाख किलोमीटर प्रतिदिन थी।

11.10 इस समय प्रदेश में 20 क्षेत्र तथा 3 मण्डल स्तर के कार्यालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त शिमला मण्डी में 2 मण्डलीय कर्मशालाएं बसों की मुरम्मत व रख-रखाव के लिए कार्य कर रही हैं तथा जसूर जिला कांगड़ा में आधुनिक कर्मशाला कार्यरत है।

12. सहकारिता

12.1 प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या वर्ष 1988-89 में 3,841 थी जो कि वर्ष 1989-90 में 3 प्रतिशत की वृद्धि से 3,956 हो गई है और उनकी अंश पूंजी जो वर्ष 1988-89 में 3,671.86 लाख रुपये थी, वर्ष 1989-90 में 8 प्रतिशत की वृद्धि से 3,966.17 लाख रुपये हो गई । इन समितियों की जमा पूंजी वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत की वृद्धि से 28,250.83 लाख रुपये हो गई जो कि वर्ष 1988-89 में 21,688.48 लाख रुपये थी । अल्पकालीन व मध्याकालीन ऋण (कृषि और गैर-कृषि) जो वर्ष 1988-89 में 4,380.93 लाख रुपये थे, 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 1989-90 में 4,431.63 लाख रुपये हो गये जबकि दीर्घकालीन ऋण जो वर्ष 1988-89 में 30-6-89 तक 354.68 लाख रुपये थे, 31-3-90 तक 290.65 लाख रुपये हो गए। कार्यरत पूंजी में वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1989-90 में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नीचे दी गई तालिका में हिमाचल प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में पिछले दो वर्षों की प्रगति को दर्शाया गया है :—

सहकारिता की प्रगति (लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	मद	1988-89	1989-90	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	समितियों की संख्या	3,841	3,956	3.0
2.	सदस्यता (लाखों में)	9.56	9.85	3.0
3.	अंश पूंजी	3,671.86	3,966.17	8.0
4.	जमा पूंजी	21,688.48	28,250.83	30.0
5.	कुल अल्पकालिन व मध्यकालीन ऋण वितरित (कृषि तथा गैर-कृषि ऋण)	4,380.93	4,431.63	1.2
6.	दीर्घकालीन ऋण वितरित	354.68	290.65 (31-3-90)	
7.	कृषि उपज का विपणन मूल्य	2,026.27	3,575.90	76.5
8.	फुटकर वितरण			
	(क) उपभोक्ता वस्तुएं	7,025.42	7,109.87	1.2
	(ख) कृषि उर्वरक	1,065.54	1,200.79	12.7
9.	ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी (प्रतिशत)	97	100	3.0

सहकारी समितियों के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :—

सहकारी ऋण

12.2 सहकारी ऋण, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण कृषि विकास बैंक, लिमिटिड शिमला तथा प्राथमिक ग्रामीण कृषि विकास बैंक लिमिटिड, धर्मशाला द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं। यह दीर्घकालीन ऋण किसानों को विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिये दिये जाते हैं ।

विपणन

12.3 सहकारी संस्थायें, नगदी फसलों जैसे बीज का आलू, अदरक, चाय तथा सेब की फसल के विपणन का काम कर रही हैं। ये सहकारी संस्थायें किसानों की कृषि उपज को बड़ी-बड़ी मण्डियों में भेजती है ताकि उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके।

उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

12.4 प्राथमिक समितियां प्रदेश के विशेषकर दूर दराज तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मूल्यों पर करती है।

उपकरणों की आपूर्ति

12.5 सहकारी समितियां किसानों को उचित मूल्य पर विभिन्न कृषि उपकरणों जैसे उर्वरक, तथा उन्नत बीज आदि की आपूर्ति करती है ।

13. स्थानीय निकाय

13.1 भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में पंचायतें जो गांव की मूल संस्थाएं है ग्रामीण लोगों की आर्थिक दशा सुधारने में मुख्य भूमिका निभाती हैं । अतः इन प्रमुख प्रजातन्त्र संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है। योजनाओं को बनाने तथा इनकी कार्यान्वियन की प्रक्रिया में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सक्रीय रूप में सम्बन्ध किये बिना हम ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा भौतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग के बारे में कभी भी सोच नहीं सकते ।

13.2 हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर में ग्राम पंचायतें, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियां तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 2,597 ग्राम पंचायतें, 69 पंचायत समितियां तथा 12 जिला परिषदें कार्यरत हैं ।

13.3 वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित कार्य किए गए :—

1. पंचायत घरों का निर्माण तथा मुरम्मत
2. पंचायत पुस्तकालयों की सहायता
3. लाभप्रद सम्पत्ति के सृजन के लिए ऋण
4. पंचायतों को नगर पालिका सम्बन्धी कार्यों के लिए अनुदान
5. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण
6. पंचायत समिति तथा जिला परिषद के भवनों का निर्माण/मुरम्मत
7. गृह कर के बराबर मेचिंग प्रोत्साहन अनुदान
8. ग्राम पंचायत प्रधान/उप-प्रधान, समिति के अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष को मानदेय

नगरपालिकाएं

13.4 प्रदेश में इस समय नगर-निगम शिमला सहित 50 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत हैं । इन शहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने के कारण सरकार प्रतिवर्ष नागरिक सुख-सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदान देती है। वर्ष 1990-91 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को 176.10 लाख रुपए (69.00 लाख रुपए योजना के अन्तर्गत तथा 107.10 लाख रुपए गैर-योजना के अन्तर्गत) अनुदान दिए जाने का बजट में प्रावधान है जो कि स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के रख-रखाव और विकास कार्यों के लिए अनुदान रूप में स्वीकृत किए जाते हैं ।

13.5 अप्रैल, 1982 में चुंगी के समाप्त कर देने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की आय कम हो जाने से सरकार अनुदान सहायता प्रदान कर रही है ताकि इनका कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाया जा सके । वर्ष 1990-91 में इनको 275.00 लाख रुपए का प्रावधान है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव वाले शौचालयों में परिवर्तित करने की केन्द्रीय परिचालित योजना प्रदेश के 13 शहरों में चलाई जा रही है। यह योजना वर्ष 1983-84 में नगर निगम शिमला में चालू की गई थी जो बाद में 6 अन्य शहरों में भी चालू की गई । वर्ष 1987-88 में यह योजना 5 अन्य शहरों में शुरू की गई। इस योजना का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में देती है तथा 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार ऋण के रुप में देती है । वर्ष 1990-91 में इस योजना के अन्तर्गत 30.00 लाख रुपए का प्रावधान है तथा दिसम्बर, 1990 तक 430 शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव वाले शौचालयों में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 सफाई कर्त्तव्यों को इस अप्रतिष्ठित कार्य से छुटकारा दिलाया गया है जिस पर 5.21 लाख रुपए व्यय किए जाएगें ।

13.6 शहरी मूल सुविधा सेवाएं ऊना जिले के पांच शहरों में यूनीसैफ की सहायता से चलाई गई हैं । इस योजना का 40 प्रतिशत भाग राज्य सरकार, 40 प्रतिशत भाग यूनीसैफ तथा 20 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन शहरों के पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं तथा बच्चों के बहुमुखी विकास तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है । नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

13.7 वर्ष 1990-91 में विकास कार्यों के कार्यन्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित राशि अनुदान के रूप में आंबटित की गई है :—

(लाख रुपयों में)

लेखा शीर्ष	योजना	गैर योजना	जोड़
1	2	3	4
3054—सड़कें व पुल	10.00	45.00	55.00
2215—जल आपूर्ति	10.00	17.10	27.10
2217—शहरी विकास	49.00	45.00	94.00
जोड़ ..	69.00	107.10	176.10

14. विशेष अध्ययन

14.1 राज्यों के अर्थ एवं संख्या निदेशालयों के सहयोग से अर्थ व्यवस्था के दोनों कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा तीसरी आर्थिक गणना का कार्य पूरे देश में किया गया । फसल उत्पादन और पौध रोपण में लगे उद्यमों को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। इसका क्षेत्रीय कार्य 1991 को जनगणना की मकान सूची के साथ-साथ किया गया । जनगणना के साथ आयोजित करने से यह सुविधाजनक और मितव्ययी सिद्ध हुआ । आर्थिक गणना में उद्यम वह उपक्रम है जो किसी माल के उत्पादन और/या वितरण और/या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो और वह गतिविधि पूर्ण रूप से परिवार के अपने ही उपयोग के लिए न हो । तीसरी आर्थिक गणना में उद्यम का स्थान गतिविधि का स्वरूप, स्वामित्व का प्रकार, स्वामित्व का सामाजिक वर्ग, कार्य कलाप में प्रयुक्त होने वाली शक्ति/ईधन और श्रमिकों की कुल संख्या जिसमें भाड़े के श्रमिक भी शामिल हों और सामान्यत: जो उद्यम में काम कर रहे हों के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित की गई ।

पृष्ठभूमि

14.2 प्रदेश में आज तक तीन आर्थिक गणनाएं की जा चुकी हैं । हिमाचल प्रदेश के प्रथम आर्थिक गणना वर्ष, । 1977 में की गई जिसमें ऐसे गैर-कृषि उद्यमों की गणना की गई जिनके कम से कम सामान्यत: एक व्यक्ति भाड़े पर कार्यरत था । तत्पश्चात् दो प्रतिदर्श सर्वेक्षण वर्ष 1978-79 में असंगठित क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों और वर्ष 1979-80 में द्वितीय सर्वेक्षण के अन्तर्गत व्यापार, यातायात होटल व रैस्टोरैण्ट, भण्डारण तथा सेवाओं आदि उद्यमों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएं एकत्र की गई थी।

14.3 महापंजीकार एवं जनगणना आयुक्त भारत सराकार द्वारा मकान सूचीकरण के लिए नियुक्त क्षेत्र कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेने के लिए दूसरी आर्थिक गणना, 1980 में भारत की जनगणना 1981, के मकान सूचिकरण अभियान के साथ ही की गई । पहले की तुलना में इस आर्थिक गणना का विषय क्षेत्र विस्तृत था। इस आर्थिक गणना में असंगठित क्षेत्र के गैर कृषि संस्थानों (कम से कम एक व्यक्ति भाड़े पर) के अतिरिक्त स्व-रोजगार इकाईयों के सम्बंध में भी सूचना एकत्रित की गई। इस गणना में कृषि उत्पादन और बागान से सम्बन्धित उद्यमों को छोड़कर अन्य सभी कृषि व गैर-कृषि उद्यमों की गणना की गई ।

14.4 तृतीय आर्थिक गणना वर्ष 1990 में जनगणना 1991 के मकान सूचीकरण अभियान के साथ सम्पन्न की गई ।

संचालन

14.5 भारत के जनगणना आयुक्त व महापंजीकार और राज्यों के जनगणना निदेशक, जनगणना के क्षेत्रीय कार्य के तालमेल और आयोजन के लिए उत्तरदायी थे । आर्थिक गणना के तकनीकी मार्ग दर्शन व सारणीकरण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार व राज्यों के अर्थ एवं संख्या निदेशालयों के ऊपर था । राज्यों के जनगणना निदेशालयों व सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1990 में उपमण्डल, जिला, और राज्य स्तर पर जनगणना के लिए मकान सूचीकरण व आर्थिक गणना के लिए उद्यम सूची भरने हेतु एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।

तृतीय आर्थिक गणना, 1990 के द्रुत परिणाम

14.6 तृतीय आर्थिक गणना के द्रुत परिणामों से यह प्रकट होता है कि प्रदेश में भिन्न-भिन्न आर्थिक कार्य-कलापों में (फसल उत्पादन एवं बागान के अतिरिक्त) लगभग 1.80 लाख उद्यम लगे हुए थे जिनमें 4.58 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था । इनमें से 4.02 लाख (87.8 प्रतिशत) पुरुष तथा शेष 0.56 लाख (12.2 प्रतिशत) महिलाएं थी । कुल उद्यमों में से 1.45 लाख (80.2 प्रतिशत) उद्यम, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थे तथा शेष 0.35 लाख (19.8 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे । कुल उद्यमों में से 1.25 लाख (69.4 प्रतिशत) उद्यम स्वकार्यरत उद्यम जिनको स्वामित्व पारिवारिक सदस्यों के पास ही था तथा वे बिना भाड़े से कामगारों के कार्य कर रहे थे, शेष 0.55 लाख (30.6 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे । प्रतिष्ठान वह उद्यम था जो कम से कम भाड़े पर मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति को रोजगार देता हो ।

14.7 इससे यह भी प्रकट होता है कि 1.45 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमों में से 1.36 लाख (93.8 प्रतिशत) गैर-कृषि क्षेत्र में थे और बाकी 0.09 लाख (6.2 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित थे । ग्रामीण क्षेत्र के 1.45 लाख उद्यमों में से 1.04 लाख (71.7 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम थे और बाकी 0.41 लाख (28.3 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे । जिन्होंने भाड़े पर एक या अधिक श्रमिक रखे हुए थे।

14.8 नगरीय क्षेत्रों में कुल उद्यमों में से 99.0 प्रतिशत उद्यम गैर-कृषि क्षेत्र में थे बाकी 1.0 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे । 0.35 लाख उद्यमों में 0.21 लाख (59.2 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम थे, शेष 0.14 लाख (40.8 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे ।

14.9 प्रत्येक उद्यम में कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या 2.54 थी । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्यमों में 65.5 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत थे । इसी प्रकार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कृषि व गैर कृषि उद्यमों में लगे श्रमिकों की प्रतिशतता 34.5 प्रतिशत थी ।

14.10 उद्यमों में लगे कुल श्रमिकों में से भाड़े के श्रमिकों की प्रतिशतता काफी कम थी, जिनकी संख्या लगभग 2.82 लाख (61.6 प्रतिशत) थी, इन 2.82 लाख भाड़े के श्रमिकों में से 1.63 लाख ग्रामीण उद्यमों में थे जबकि शेष 1.19 लाख नगरीय उद्यमों में थे ।

14.11 हिमाचल प्रदेश में तृतीय आर्थिक गणना के द्रुत परिणामों का सार तालिका–1 में दिये हैं।

तालिका––1

तृतीय आर्थिक गणना के अस्थाई परिणामों का सार––हिमाचल प्रदेश

(संख्या)

मद	ग्रामीण		शहरी		योग
1	2		3		4
1. कुल उद्यम					
(क) योग	1,44,735	(80.23)	35,674	(19.77)	1,80,409
(1) कृषि	8,484	(96.00)	353	(4.00)	8,837
(2) गैर-कृषि	1,36,251	(79.41)	35,321	(20.59)	1,71,572
(ख) सामान्यत : कार्यरत व्यक्तियों की संख्या					
(1) योग	2,99,781	(65.49)	1,57,980	(34.51)	4,57,761
(2) पुरुष	2,63,013	(65.42)	1,39,018	(34.58)	4,02,031
(3) स्त्रियां	36,768	(65.98)	18,962	(34.02)	55,730
2. स्वकार्यरत उद्यमों की संख्या	1,03,466	(83.05)	21,113	(16.95)	1,24,579
3. प्रतिष्ठान					
(अ) योग	41,269	(73.92)	14,561	(26.08)	55,830
(ब) भाड़े पर श्रमिक					
(1) योग	1,63,003	(57.87)	1,18,686	(42.13)	2,81,689
(2) पुरुष	1,39,542	(57.66)	1,02,454	(42.34)	2,41,996
(3) स्त्रियां	23,461	(59.11)	16,232	(40.89)	39,693
4. प्रमुख विशेषताओं के अनुसार उद्यमों की संख्या					
(1) बिना अहाते के कार्यरत	12,175	(86.23)	1,945	(13.77)	14,120
(2) पूरा वर्ष चलने वाले उद्यम	1,27,113	(78.49)	34,831	(21.51)	1,61,944
(3) निजी स्वामित्व	1,12,983	(78.86)	30,287	(21.14)	1,43,270
(4) बिना ईंधन के कार्यरत	95,771	(77.87)	27,222	(22.13)	1,22,993

नोट.—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े समस्त उद्यमों की प्रतिशतता, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दर्शाते हैं।

14.12 प्रदेश के कुल 1.80 लाख ग्रामीण व शहरी में से सारा साल चलने वाली उद्यमों की संख्या 1.62 लाख (90.00 प्रतिशत) थी, बिना अहाते के काम कर रहे उद्यमों की संख्या 0.14 लाख (7.8 प्रतिशत) और 0.57 लाख (31.67 प्रतिशत) उद्यम किसी प्रकार के शक्ति/ईंधन के साथ काम कर रहे थे ।

14.13 यह पाया गया कि राज्य में 1,000 की जनसंख्या के पिछे 31 उद्यम थे । प्रति दस वर्ग किलोमीटर के पीछे राज्य में उद्यमों की संख्या 32 थी ।

द्वितीय आर्थिक गणना के साथ तुलना

14.14 तृतीय आर्थिक गणना, 1990 के द्रुत परिणामों तथा द्वितीय आर्थिक गणना, 1980 के परिणामों का तुलनात्मक विवरण, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है :—

तालिका—2

उद्यमों की संख्या तथा उनमें कार्यरत व्यक्ति—हिमाचल प्रदेश

मद	उद्यमों की संख्या		प्रतिशत वृद्धि	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या		प्रतिशत वृद्धि
	1980	1990(अ0)		1980	1990(अ0)	
1	2	3	4	5	6	7
कुल	1,39,342	1,80,409	29.47	3,44,333	4,57,761	32.94
ग्रामीण	1,15,426	1,44,735	25.39	2,35,841	2,99,781	27.11
नगरीय	23,916	35,674	49.16	1,08,492	1,57,980	45.61

अ0 = अस्थाई

14.15 उद्यमों तथा उनमें कार्यरत व्यक्तियों का जिला-वार आंबटन नीचे दर्शाई तालिका में दिया गया है :—

तालिका—3

जिला-वार उद्यमों और उनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या

प्रदेश/जिला	उद्यमों की संख्या		कार्यरत व्यक्ति	
	1980	1990(अ0)	1980	1990(अ0)
1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	1,39,342	1,80,409	3,44,333	4,57,761
1. चम्बा	12,405	12,724	29,632	29,475
2. कांगड़ा	30,399	39,711	66,974	87,739
3. हमीरपुर	9,054	12,914	18,362	26,169
4. ऊना	9,795	13,209	22,002	33,038
5. बिलासपुर	6,410	9,911	15,304	21,736
6. मण्डी	21,238	25,935	50,383	53,891
7. कुल्लू	8,408	11,340	16,719	23,417
8. लाहौल एवं स्पिति	1,305	1,928	3,225	4,629
9. शिमला	17,870	22,820	58,388	83,755
10. सोलन	10,025	13,134	29,152	51,514
11. सिरमौर	10,523	12,982	24,984	32,872
12. किन्नौर	1,910	3,801	9,208	9,526

अ0 = अस्थाई

14.16 इसलिए तीसरी आर्थिक गणना, 1990 के अस्थाई परिणामों के अनुसार पिछले दशक में 29.47 प्रतिशत उद्यमों की संख्या में वृद्धि आई। इसी प्रकार इन उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में 32.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (ग्रामीण क्षेत्र 27.11 प्रतिशत व शहरी 45.61 प्रतिशत)।

ECONOMIC REVIEW
OF
HIMACHAL PRADESH
1991

Economic Conditions and Development Activities

PREFACE

Economic Review is one of the budget documents which gives a concise picture of the important economic activities of the Government through its departments. The Review of progress, presented in Part-I gives the salient features of the State's economy during 1990-91 while statistical tables on various subjects are given in Part-II. Graphs and charts are given at appropriate places.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material included in the Review . The burden of collection and updating of huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics and Statistics Department. I highly appreciate and commend the hard work done by the officers and officials of this Department.

KR. SHAMSHER SINGH
Commissioner-cum-Secretary,
(Finance,Planning and Economics & Statistics),
Government of Himachal Pradesh.

PART-I

REVIEW OF PROGRESS DURING 1990-91

CONTENTS

PART-I REVIEW OF PROGRESS DURING 1990-91

		Page
1.	General Appraisal	1
2.	Population	5
3.	State Income	7
4.	Agriculture	9
5.	Industries	26
6.	Electricity	30
7.	Employment	35
8.	Price Situation	43
9.	Civil Supplies and Social Services	45
10.	Trade and Commerce	61
11.	Transport and Communications	64
12.	Co-operative Movement	67
13.	Local Bodies	69
14.	Special Study	71

1 GENERAL APPRAISAL

Economic Situation in the Country

1.1 The overall performance of the economy during 1990-91 shows signs of a mixed economic outlook.While the agriculture sector is expected to show a good performance,industrial output is likely to be lower than the previous year. The net national product (NNP) in 1989-90 recorded a rise of 5.2 percent as compared to 11.1 percent in the previous year 1988-89. Agricultural production which recorded a growth rate of about 1.0 percent in 1989-90 over the impressive growth of about 21 percent during 1988-89, is expected to increase further by over 2 percent in 1990-91. The growth rate of industrial output is expected to be around 6 to 7 percent during the current year as compared with 8.6 percent in 1989-90. The annual rate of inflation according to the Wholesale Price Index(W.P.I) during 1990-91 (upto 19-01-91) was 10.1 percent as the index which was 171.1 in the last week of March,1990 increased to 188.3 on 19th January,1991. The inflation rate in the corresponding period of last year was 7.3 nercent.

1.2 During 1989-90 the foodgrains production was of the order of 170.6 million tonnes and is expected to increase further by over 2 percent in 1990-91.The gross domestic product(GDP)went up by 5.2 percent in 1989-90 as against the record growth rate of 10.4 percent during the previous year. Thus the average annual growth rate for the Seventh Five Year Plan works out 5.6 percent. The per capita income at the national level stood at Rs. 4,252 in 1989-90 against Rs. 3,875 for the previous year.

1.3 India's balance of payments situation remained under pressure during 1990-91 due to persistent import demand and large repayment to IMF under the 'Extended Fund Facility' which counter-balanced to a large extent a robust export performance. Exports in rupee terms during April-November,1990 increased by 20.6 percent recording a substantial deceleration from that of 38 percent during the corresponding period of the preceding year. Data available so far indicate that during April-November, 1990 imports rose by 28.6 percent which was significantly higher than that of 20.7 percent during the corresponding period April-November ,1989. As a result the trade deficit widened by Rs. 2,648 crore to Rs. 7,181 crore from that of Rs. 4,533 crore during April-November, 1989.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.4 The economy of Himachal Pradesh is largely dependent on agriculture because the industrial base is comparatively weak. The agricultural production to a large extent is still dependent on timely rainfall and weather

conditions. Inspite of strenuous efforts made during the Seventh Plan to achieve a higher foodgrains production, the production level of foodgrains remained in the vicinity of 11-12 lakh tonnes during 1985-89 except in the year 1987-88 when it dipped to 8.87 lakh tonnes due to severe drought and inclement weather conditions. The foodgrains production during the Seventh Five Year plan and 1990-91 has been given below:-

Year	Foodgrains production (lakh tonnes)
1985-86	12.01
1986-87	11.77
1987-88	8.87
1988-89	11.37
1989-90(Provisional)	13.69
1990-91(Anticipated)	13.80

1.5 The systematic development of horticulture in Himachal Pradesh was taken up only after Independence. The fruit production including apple is showing gradual improvements and it touched the record level of 4.60 lakh tonnes during 1989-90.Upto December 1990, 4.10 lakh tonnes of fruits have been produced and total production during 1990-91 is expected to be 4.25 lakh tonnes. Vegetable production is also showing signs of increasing trend and 3.68 lakh tonnes vegetables are expected to be produced during 1990-91. Seed potato of Himachal Pradesh is known for its disease free qualities and was in considerable demand all over the country till recently. Now this demand is gradually declining because several states have started producing their own requirements of seed potato while Punjab has started growing it at a low cost of production. Nevertheless, the Pradesh was able to export 31,200 tonnes of seed and table potato to the various States in the country during this year.

1.6 The State Domestic Product of Himachal Pradesh registered a growth of 11.0 percent during 1989-90. The average annual growth rate during the Seventh Plan period, however, works out to be 7.6 percent. The per capita income in the Pradesh stood at Rs. 4,005 in 1989-90.

1.7 In the field of rural electrification although 100 per cent villages have been electrified, yet a lot of work is required to be done in this field in the sense that a large number of leftout hamlets have to be covered. Upto December,1990, the number of pumpsets energized was 146. During the current year upto December 1990, 1170.24 million units of electricity was generated . During 1989-90, 935.51 million units of electricity was generated.

1.8 At the end of Ist quarter of 1990 i.e. January to March,1990 the total employment in the State was 2.71 lakh. The number of unemployed persons on the live register of all the employment exchanges, stood at 4.47 lakh at the end of October, 1990. Several programmes have been taken up by the government to generate more employment opportunities. The number of mandays worked under the Jowahar Rojgar Yojna Programme during April,to December,1990 was 14.33 lakh and 1,758 community assets were created. Under I.R.D.P. 5,932 new and 6,963 old families were assisted upto December, 1990 whereas 926 youths were trained, 317 youths settled and 190 youths were wage-employed upto December, 1990 under TRYSEM schemes. Besides, 1,146 youths were also undergoing training in various trades under this scheme.

1.9 With a view to bringing more areas under forest cover and to associate rural population with it, a new scheme 'VAN LAGAO, ROZI KAMAO' was launched in the Pradesh. Under this programme, Antodaya and other poor families will be wage-employed for plantation and looking after the planted trees on Government land. Moreover, they will also be entitled to the subsequent benefits out of the produce.

1.10 The loans advanced by the Agricultural Societies in 1989-90 stood at Rs.1,674.60 lakh to 7.9 lakh members as against the advance of Rs.2,265.32 lakh to 7.7 lakh members in 1988-89. The average loan advanced by the agricultural societies per member in 1989-90 was Rs.212 while it was Rs.294 in 1988-89.

1.11 Himachal Pradesh has a vast potential for tourism development. The snowy mountains, picturesque valleys, water falls, lush green forests, ancient cultural heritage etc. are all attractions for the tourists. With the reorganisation of the Punjab areas,tremendously rich and tourist potential areas like Kullu, Manali, Kangra, Dharamshala, Shimla, Kasauli, Chail and Dalhousie came over to Himachal Pradesh. As a result thereof the Pradesh today is next to none in the matter of potential for promotion of tourism. The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation was formed in the year 1972 and started with 857 beds only which have increased to about 3,000 beds at the end of December,1990 in its hotels and tentage accomodation.Besides,there are a number of hotels operated by the private entrepreneurs which are also catering to the needs of tourists. In addition, sports like skiing and other mountain sports like trekking and high-altitude climbing etc. have also been developed. Development of these activities would help, not only in the diversification of tourist activities but also promote the use of facilities during the off-season periods which, at present, remain under utilised.

1.12 Prior to the Seventh Plan, there was only one air strip in Himachal Pradesh at Bhuntar in Kullu valley. During the Seventh Plan period, two airports namely Shimla at Jubbarhatti and Kangra at Gaggal were taken in hand. The Shimla airport was made operational in May, 1987 and Gaggal airport in May, 1990.With the construction of these airports, Shimla and kangra valleys have been connected by air with the rest of the country. Besides, helipads are available at Dodra Kawar, Kaza, Keylong, Killar, Rohru, Ban-Kuffar, Tabo, Chharabra and Rampur. The construction works of helipads at Bharmour and chamba are in progress. The work of extension of run-way of Shimla airport at Jubbar Hatti has almost been completed and it might be possible to land aircrafts of higher capacity at this airport.

1.13 During 1990-91 Himachal Pradesh has been brought on the broad gauge net-work of the Indian Railways with the commissioning of 16 Kms. Nagal Dam - Una railway line.

2.POPULATION

2.1 The population of Himachal Pradesh which was 42.81 lakh according to 1981 population census is estimated to have increased to 50.26 lakh as on 1st March,1990. The density of population(per sq. km.) was 77 for the State and 216 for All India. The data on some important features of the population of Himachal pradesh and India are given in the table below:-

Population Statistics(1981 Population Census)

Item		Himachal Pradesh	India
1.		2.	3.
1. Population(in lakh):			
(a) Male	:	21.70	3,544.0
(b)Female	:	21.11	3,307.8
Total	:	42.81	6,851.8
2. Decadal growth rate(1971-81) (Percent)	:	23.71	25.00
3. Density(no. per sq. km.)	:	77	216
4. Sex ratio(no. of females per thousand males)	:	973	933
5. Literacy(Percent)	:	42.48	36.23
6. Urban population(percentage to total)	:	7.61	23.31

Growth of population

2.2 During 1971-81, the decadal rate of growth of population in Himachal Pradesh was 23.71 per cent whereas it was 23.04 per cent during 1961-71. At all India level the decennial growth during 1971-81 and 1961-71 was 25.00 percent and 24.80 per cent respectively.

Household Size

2.3 The number of households in the State was 7.84 lakh according to 1981 population census and the household size was 5.5.

Sex Ratio

2.4 The sex ratio i.e. the number of females per thousand males has been continuously increasing in the state since the beginning of this century from 884 in 1901 to 973 in 1981. At the all-India level the sex ratio in 1901 was 972 which declined to 930 in 1971 while according to 1981 population census it was 933.

Urbanisation

2.5 The percentage of urbanisation in the State has been lower than that in the country all along and 7.61 per cent of State's population was urban in 1981 as against 23.31 per cent at national level. Besides Shimla district where the urban population is 15.69 per cent, the other district with high percentage of urban population were Solan(10.76), Sirmaur(8.74), Una(7.72), Mandi(7.33), Kullu(7.09), and Chamba(6.84).

Scheduled Castes and Scheduled Tribes population

2.6 The population of Scheduled Castes was 10,53,958 and that of Scheduled Tribes was 1,97,263 in 1981 in the State. The percentage of Scheduled Castes population to total population was 24.62 and that of Scheduled Tribes population was 4.61. Of the total Scheduled Caste population 94.6 per cent was rural. Similarly, 98.4 per cent of the Scheduled Tribes population lived in rural areas. The decadal growth rate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes population was of the order of 36.95 per cent and 39.30 per cent, respectively. Compared with the Decadal growth rate of overall population in the State of 23.71 per cent, the growth rate is higher among the Scheduled Castes and Tribes and has resulted from preponderance of poverty, low literacy levels and poor living conditions.

Population by Religion

2.7 There were four major religions in the State. Of these, the most prominent was Hindu which accounted for 40,99,706 persons(95.8 per cent of population of the Pradesh) followed by Muslims 69,613(1.6 percent), Buddhists 52,629(1.2 per cent) and Sikhs 52,209(1.2 per cent). The Christians were only 0.1 per cent and Jains 0.02 per cent of the total population.

Population by Age

2.8 Age group-wise break-up of the population of the State shows that in 1981 there were 17.0 lakh persons(39.7 per cent) in the age-group of 0-14 years, 22.6 lakh persons(52.8 per cent) in the age-group 15-59 years and 3.2 lakh persons(7.5 per cent) in the age-group of 60 years and above.

3. STATE INCOME

State Domestic Product

3.1 The State Domestic Product(S.D.P.) is the most important indicator for measuring the economic growth. The total State Domestic Product(at 1980-81 prices) increased to Rs. 1047.47 crore in 1989-90 from Rs. 943.72 crore in 1988-89,thereby registering a growth of 11.0 per cent. The growth rate of Gross Domestic Product at national level during this period is 5.2 per cent. The reason for such a high growth rate of the State is mainly a significant increase in the production of foodgrains and apple. The foodgrain production increased to 13.7 lakh tonnes in 1989-90, from 11.4 lakh tonnes in 1988-89 while apple production increased to 3.95 lakh tonnes in 1989-90 from 1.65 lakh tonnes in 1988-89. The economy of Himachal Pradesh is predominantly dependent upon agriculture and during 1989-90 about 32 per cent of the State income has been contributed by this sector. The preliminary estimates of the economic performance during 1990-91 indicate towards an overall growth rate of 4 to 5 percent.

3.2 During the Seventh Plan period, the average growth rate of Pradesh works out to 7.6 per cent as against 5.6 per cent at the national level. The table given below shows the growth of economy of Himachal Pradesh vis-a-vis at all-India level during Seventh Plan:-

Annual Economic Growth Rate

(Percent)

Year	Himachal Pradesh	All India
1.	2.	3.
1985-86	13.2	4.8
1986-87	7.3	3.6
1987-88	(-)0.9	3.5
1988-89(P)	7.4	11.1
1989-90(Quick)	11.0	5.2
Average Seventh Plan	7.6	5.6

P=Provisional

Per Capita Income

3.3 According to quick estimates, the per capita income of Himachal Pradesh in 1989-90 stood at Rs. 4,005, as compared to Rs. 4,252 at national level.

Sectoral Growth

3.4 The sectoral analysis reveals that during 1989-90, the percentage contribution of Primary sector to total S.D.P. of the State is 40.76 per cent, followed by Secondary sector 21.38 percent, Community and Personal services 20.61 percent, Finance and Real Estate 8.97 per cent and Transport, Communications and Trade 8.28 per cent.

3.5 The growth, as observed by these broad sectors, during the period of Seventh Five Year Plan is discussed below:-

Primary Sector

3.6 The average annual growth rate observed during the Seventh Plan was 7.7 per cent . The growth rate under this sector during the period had wide fluctuations owing to rise or fall in agricultural/horticultural production.

Secondary Sector

3.7 The overall growth during 1985-86 to 1989-90 was recorded as 8.6 per cent under secondary sector of the economy.

Transport, Communications and Trade

3.8 The average annual growth rate during the Seventh Plan was 6.8 per cent. This sector also had a negative growth rate of 2.0 percent in 1987-88 as trading activity (a constituent of this sector) is also affected considerably by the production of foodgrains and fruits.

Finance and Real Estate

3.9 This sector comprises Banking and Insurance, Ownership of dwellings and Business Services. During 1989-90 this sector witnessed a growth of only 7 per cent, whereas average annual growth rate during the Seventh Plan was 7.8 per cent.

Community and Personal Services

3.10 The average annual growth rate of this sector during Seventh Five Year Plan was 8.7 per cent.

4.AGRICULTURE

4.1 A iculture being the largest single industry and main occupa ion of the people in Himachal Pradesh, the importance f agriculture in the economy of the State can hardly be ov r-emphasised. It provides direct employment to about 71 per cent of the working population . Out of the total geographical area of 55.7 lakh hectares, an area of 6.21 lakh hectares is under cultivation which is cultivated mostly by the small and marginal farmers. Besides, providing improved technology to the farmers of the State, adequate and timely supply of agricultural inputs like improved seeds, fertilizers,, lant protection material and improved agricultural implements are also arranged. Under the 20 point programme, emphasis is being laid on the technology of dry land farming, development of oil-seeds and pulses, installation of bio-gas plants as an alternative source of energy in the State. The following achievements have been made in the field of agriculture under 20-point programme:-

Point No.1: Increasing irrigation potential development dissemination of technology and inputs for dry land farming

4.2 In Himachal Pradesh, about 80 per cent of the area is rainfed. The spread of rainfall is not uniform. In order to stabilize the production of crops under such conditions dry land farming technology such as conserving moisture in the field after harvesting kharif crops and introduction of crop varieties suited to dry land farming by optimum use of improved seeds and fertilizers, line sowing. weed control, use of improved agricultural implements, contingency crop planning, water harvesting and its recycling etc. are provided to the farmers of the State. Training camps are also organised to educate the farmers about these practices.

4.3 Under this programme 95 micro-water sheds were selected for intensive development during 1990-91 and 93 micro water sheds have been completed upto December,1990. These micro-water sheds are expected to cover an area of 9,500 hectares besides covering an area of 71,500 hectares outside these micro-water sheds. As many as 17,500 improved agricultural implements are expected to be distributed to the farmers during the year.

Point No.2 : Making special efforts to increase the productivity of pulses and oil seeds

4.4 During 1990-91 it has been envisaged to produce 30,000 tonnes of pulses and 21,500 tonnes of oilseeds. In order to achieve the production targets of pulses and oil seeds in the State during 1990-91 about 3,000 quintals seed of pulses and 803 quintals of oilseeds were distributed to

the farmers upto December,1990.

Point No. 7 : Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4.5 Under this programme, agricultural inputs and implements at subsidised rates were distributed under Special Component Plan scheme to the scheduled caste and scheduled tribe farmers in the State. Besides, effective technical know-how was rendered and demonstrations on new technology were given to this category of farmers.

Point No 12: Bio-Gas development

4.6 Under this programme, 1,834 bio-gas plants were installed upto December,1990 against the target of installing 3,200 plants during 1990-91. It is proposed to install 3,500 bio-gas plants during the year 1991-92. The State has achieved remarkable progress in the field.

Foodgrains Production

4.7 The target of production of foodgrains during 1990-91 was 13.80 lakh tonnes. During 1991-92 it is proposed to produce 14.40 lakh tonnes of foodgrains. Details of steps taken to achieve this production level are given below:-

(i)High Yielding Varieties Programme

4.8 Efforts to bring more areas under high yielding varieties of major cereals were made and the achievements made in this regard have been given in the table below:-

Crop	Unit	Area under H.Y. variety		Target for 1991-92
		1989-90	1990-91 (Actual)	
1.	2.	3.	4.	5.
Maize ..	,000 hectares	100.00	102.00	120.00
Paddy ..	-do-	91.25	92.00	92.00
Wheat ..	-do-	337.00	340.00	360.00

(ii)Fertilizers

4.9 Chemical fertilizers play an important role in increasing the agricultural production particularly when used with high yielding varieties which are responsive to the recommended doses of fertilizers. Sustained and dedicated efforts made to popularize the use of fertilizers have made the farmers fertilizer minded and demand for fertilizers is increasing considerably. There has been significant

increase in the consumption of fertilizers in the State as would be seen from the table given below:-

Item	Consumption of fertilizers in terms of nutrients in '000 MT.			
	1989-90	1990-91 target	Achievement upto Sept., 1990	Target for 1991-92
Nitrogen(N)	23.62	24.44	17.04	28.25
Phosphorous(P_2O_5)	5.27	5.50	2.14	5.50
Potash(K_2O)	3.81	3.75	0.83	4.25
Total	32.70	33.69	20.01	38.00

In addition emphasis is being laid on the preparation of local manure also.

(iii)Plant Protection

4.10 In order to increase the productivity of crops it is of paramount importance that the crops are saved from crop diseases, pests and insects. It is proposed to cover about 4.24 lakh, hectares of cropped area under various plant protection measures during 1990-91 against an estimated achievement of about 4.18 lakh hectares during 1989-90. During the current financial year 3.95 lakh hectares have been covered under plant protection measures upto December,1990.

(iv)Soil Testing

4.11 During 1991-92, 68,500 soil samples are proposed to be collected for analyses in various soil testing laboratories. Upto September,1990 41,335 soil samples were collected and analysed in various soil testing laboratories.

COMMERCIAL CROPS

(i)Potato

4.12 Potato is one of the most important cash crops in the Pradesh on which the economy of the farmers especially in Shimla and Lahaul-Spiti districts depend. In order to arrange remunerative prices to the growers and quality seed to the buyers, the "Himachal Pradesh Seed Potato Control Order" was enforced in the State to ensure quality of grading, purity of seed and accurate weight etc. The Seed Certification Agency certified 16,400 tonnes of seed potato and 31,200 tonnes of seed and table potato were exported to the potato growing states in the country.

(ii)Vegetables

4.13 As the agro-climatic conditions in the Pradesh are very much conducive for the production of off-season vegetables, timely technical guidance and necessary inputs are provided to the farmers for growing these vegetables. During 1990-91, 3.68 lakh tonnes of vegetables are expected to be produced.

(iii)Ginger

4.14 Ginger is predominantly grown in Sirmaur, Solan, Bilaspur,and Shimla districts of the Pradesh. During 1989-90 2,100 tonnes dry ginger was produced . It is proposed to produce 2,750 tonnes of dry ginger during 1991-92.

Agricultural Marketing

4.15 With a view to ensuring remunerative prices to the growers for their produce, the Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Act,1969 remained in operation in the State. Efforts are being made to cover the entire Pradesh under the purview of this Act. The construction work of regulated markets at Chakki bridge in Kangra district and Parwanoo in Solan district is in progress. Similarly, construction work of sub-market yards at Koti, Palangi, Jagjit Nagar, Bhuntar, Takoli, Kheri, Baijnath and Jassore remained in progress. During 1991-92 two market yards and 8 market sub-yards are proposed to be constructed.

4.16 The services schemes like agriculture information, agriculture statistics, seed testing and certification, farmers training centers and agricultural engineering continued to render useful services to farmers of the Pradesh during 1990-91.

4.17 In addition to above, centrally sponsored schemes namely (i)Timely Reporting Scheme(TRS) for estimation of area and production (ii)Improvement of crop statistics continued under imolementation during 1990-91. Further 4,741 mini kits of oilseeds each for kharif and Rabi crops were distributed to the farmers upto December,1990 under centrally sponsored scheme 'National Oilseed Development Project'. Further under this scheme, the farmers are also educated through demonstrations to adopt improved package of perctices for cultivation of oilseeds and adoption of plant protection measures. Similarly, 526 mini kits of pulses were distributed to the farmers upto December,1990 under the centrally sponsored scheme 'Development of Pulses.

Soil Conservation

4.18 For adopting soil conservation measures on agricultural land, the State Government provides 50 per cent subsidy and 50 per cent loan to the farmers in the State. It

is proposed to treat an area of 2,200 hectares under soil and water conservation under State sector during 1991-92 against the likely achievement of 1,800 hectares during 1990-91. In addition, it is proposed to treat an area of 1,730 hectares under soil conservation measures during 1991-92 under Central sector. An area of 1,120 hectares was brought under various soil conservation measures upto January,1991.

HORTICULTURE

4.19 The varied agro-climatic conditions in Himachal Pradesh are suitable for growing a wide range of fruit crops. Due to higher productivity and income per unit area from fruit crops, horticulture in the State is playing a vital role in improving the socio-economic conditions of the rural population. Apple, so far, is the dominant fruit crop in the State. Other fruit crops like citrus, mango, stone fruits etc. are also steadily coming up in the potential areas. A brief description of the salient achievements made during 1990-91 is as under:-

Area under Fruits

4.20 During 1990-91, it was envisaged to bring 7,000 hectares of additional area under fruit plants. Upto December,1990, an additional area of about 3,125 hectares was covered with fruit plants and the target is likely to be achieved by the end of the year since the plantation of temperate fruit plants is mainly done during winter months. Against the target of distribution of 17.50 lakh fruit plants, 7.76 lakh fruit plants of different species were distributed to the fruit growers upto December, 1990.

Fruit Production

4.21 During 1989-90, record production of 4.60 lakh tonnes of fruits was achieved . During 1990-91, against the production potential of 4.83 lakh tonnes of all kinds of fruits, 4.10 lakh tonnes of fruits have been produced upto the end of December,1990. During 1990-91, total fruit production is expected to be about 4.25 lakh tonnes.

Improvement of Wild Fruit Trees into Superior Varieties

4.22 Under this programme, 0.74 lakh wild fruit trees were top worked with improved varieties upto December,1990 to make them more profitable against the target of 1.57 lakh trees during 1990-91. Since the major top working operations are carried out during the spring season as such the target is expected to be achieved by the end of the current year.

Plant Protection

4.23 Under this programme,an area of 0.94 lakh hectares was

covered under the plant protection measures upto December,1990 against the target of 1.40 lakh hectares of orchard area during 1990-91. The target is likely to be achieved in full because the plant protection operations are also carried out during the winter and spring months. Besides about thirty one thousand hectares of apple orchards area was brought under scab control measures against the target of sixty thousand hectares area to be covered under the centrally sponsored scheme relating to control of apple scab. In addition to plant protection operations, plant protection inputs viz about 142 M.T. of fungicides/pesticides valuing Rs. 1.36 crore were supplied to the fruit growers upto December,1990 for combating the pests and other diseases in the fruit crops.

Diversification of Horticulture Industry

4.24 To bring about diversification in the horticulture industry, special efforts are being made to promote other horticultural crops like, olive, figs, hops, mushroom, pistacheonuts etc. and ancillary horticultural industry like bee-keeping etc. in the State. For promoting olive cultivation in mid-hill areas of the Pradesh,the phase one of the Indo-Italian olive development project has already been implemented from November,1984 to December,1987 and about 60 cultivars of different fruit crops were introduced from Italy at project base Bajaura in Kullu district out of which 17 cultivars are of olive alone. The phase two of the project which is.of three years duration has been started from the year 1990-91. At present hops cultivation is confined to Lahaul Valley only and efforts are being made to promote its cultivation in Kinnaur and Pangi areas also. Upto December 1990, 1.25 hectares of additional area has been brought under hops cultivation and 41.3 tonnes of production of green cones have been recorded. The Indo-Dutch Mushroom Development Project, Palampur, initiated in the year 1985-86 for the introduction of Dutch technology in mushroom production has almost been completed and is likely to become operational in 1990-91. Upto December,1990 about 346 tonnes of mushroom have been produced. Besides 2,014 tonnes of pasteurised compost and 830 spawn bottles were distributed among the mushroom growers under mushroom development programme. During 1990-91, 227 Bee-colonies were distributed to the fruit growers in the State upto December, 1990. During 1990-91, honey production to the tune of 62 tonnes was recorded upto December.

Marketing and Processing of Fruits

4.25 During 1990-91 about 3.32 lakh tonnes of fruit was exported from the State upto December,1990 out of which 3.07 lakh tonnes were of apple alone.With a view to ensure remunerative prices to the growers for their produce, the State government provided support price to the fruit growers for fruit crops viz apple/orange/kinnow and malta under the price intervention scheme.

4.26 To acquaint the orchardists with the techniques of scientific grading and packing of fruits, 10,000 fruit cases were graded and packed by way of demonstration and 1,209 farmers were imparted training in grading and packing of fruits upto December,1990. In the nine departmental fruit canning units, 114 tonnes of fruit products were manufactured and 32 tonnes of fruit products were processed in community canning centres. In addition, 1,240 persons were imparted training in home scale preservation of fruits.

Horticulture Development for the Weaker Sections

4.27 Under this programme, 1,066 S.C. farmers and 66 S.T. farmers were assisted in order to improve their economic condition. Under this programme special incentives in the form of subsidy is provided to the scheduled castes and scheduled tribes farmers.

IRRIGATION

4.28 The total geographical area of Himachal Pradesh is 55.7 lakh hectares. Of this a high percentage of area is under perpetual snow or under forests or area comprising steep barren slopes. Due to these natural factors extensive irrigation is difficult in the Pradesh. However, cultivated area exists in patches in villages along the hill slopes which is basically suited for minor irrigation. The economy of the State largely depends upon agriculture. Improved methods of cultivation, irrigation and better seeds can boost production of foodgrains. Surface and underground water sources are sufficient which can be harnessed to increase the grain output. It is estimated that the existing potential through major, medium, and minor irrigation schemes can irrigate 3.35 lakh hectares approximately of cultivated area.

Major and Medium Irrigation Schemes

4.29 During 1990-91, an amount of Rs. 270 lakh has been provided under State sector for bringing an additional area of 250 hectares under irrigation which is expected to be achieved in full.

Minor Irrigation Schemes

4.30 During 1990-91, an amount of Rs. 795.00 lakh has been provided in state sector for providing minor irrigation facilities to an area of 250 hectares which is expected to be achieved by the end of the current financial year.

4.31 Under the USAID programme, a sum of Rs. 18.32 crore has been provided with a target to provide irrigation facilities to 4,300 hectares of land and to bring an area of 6,750 hectares of land under check development. 9,981 hectares of land have been brought under irrigation

facilities and 1,002 hectares has been brought under check development with a cost of Rs. 39.22 crore under this programme.

Command Area Development

4.32 It is essential to carry out command area development in order to utilise the irrigation potential already created and the field channels, wara bandi etc. are quite essential for this purpose. This programme is being implemented on the medium irrigation schemes viz. Giri irrigation project, Bhabour sahib and Balh valley project phase-I. For these works a provision of Rs. 40 lakh has been provided under State sector during 1990-91. An equal amount will be provided by the Govt. of India under central assistance. A target of construction of field channels in 1,000 hectares and wara-bandi in 1,000 hectares has been fixed for the year 1990-91.

Flood Control

4.33 During 1990-91, an amount of Rs. 90.00 lakh has been provided to protect 250 hectares of land from floods.

Agriculture Census

4.34 According to agricultural census held in Himachal Pradesh during 1985-86 , there were 7.53 lakh holdings in the Pradesh which showed an increase of 18 per cent over 1980-81. Total area of the operational holdings during 1985-86 and 1980-81 was almost the same i.e. 9.80 lakh hectare. As a result, the average size of holding which was 1.53 hectares in 1980-81 went down to 1.30 hectares in 1985-86 The number of marginal holdings i.e. holdings of size below 1.0 hectare has increased to 4.63 lakh in 1985-86 from 3.52 lakh in 1980-81 whereas the number of small holdings, i.e. holdings of size between 1.0-2.0 hectare has increased to [illegible].55 lakh in 1985-86 from 1.40 lakh in 1980-81. The holdings of size upto 0.5 hectare increased to 2.96 lakh in 1985-86 from 2.23 lakh in 1980-81 and those of size 0.5 to 1.0 hectare increased to 1.67 lakh in 1985-86 from 1.29 lakh in 1980-81. As against the increase in small holdings the number of holding with size 10.0 hectare and above has decreased to 5,6[illegible]3 in 1985-86 from 6,954 in 1980-81.In the case of marginal and small holdings of size 2.0 hectares or less, the percentage to total holdings increased from 77.2 per cent in 1980-81 to 82.2 per cent in 1985-86 and the percentage of area of these holdings increased from 35.4 per cent in 1980-81 to 43.2 per cent in 1985-86. On the contrary, in the case of larger holdings of size 10.0 hectares and above, the percentage declined from 1.1 per cent in 1980-81 to 0.7 [illegible] cent in 1985-86 and the percentage of area of t[illegible] holdings declined from 12.7 per cent in 1980-81 to 9[illegible] cent in 1985-86. Further, according to 1985-86 Agric[illegible] Census out of 7.53 lakh operational holdings as many as [illegible] lakh and 0.32 lakh operational holdings belonged [illegible] castes

and scheduled tribes respectively which constituted 23.9 percent and 4.3 percent of the total holdings. As regards their share in area 1.34 lakh hectares belonged to scheduled castes and 0.38 lakh hectares belonged to scheduled tribes which accounted for 13.7 percent and 3.9 per cent respectively of the total area of 9.80 lakh hectares. If S.Cs. and S.Ts. are taken together, then their share in total operational holdings and area accounted for 28.2 percent and 17.6 per cent respectively.

Land Reforms

4.35 The policy of reforming the agrarian system in the Pradesh continued during 1990-91. Under this policy(a) ownership rights are conferred on tenant cultivators,(b) inequalities in respect of land holdings are reduced, (c) fragmentation of holdings is prevented by consolidation (d) revision and updating of land records is done through settlement operations and (e) wastelands/village common land is allotted to landless and eligible persons.

Conferment of Proprietary Rights

4.36 Chapter ten of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972 provides for acquisition of proprietary rights by non-occupancy tenants. There were 4.34 lakh non-occupancy tenants in the State(1.03 lakh in Shimla division, 1.07 lakh in Mandi division and 2.24 lakh in Kangra division) out of which about 3.96 lakh have been conferred proprietary rights so far(0.97 lakh in Shimla division, 0.92 lakh in Mandi division and 2.07 lakh in Kangra division). The remaining 38,000 odd tenants fall under the protected categories of landowners such as minors, widows, army personnel, disabled and infirm persons etc.

Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act,1972

4.37 The Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act,1972 which came into force in 1972 was enacted on the basis of National guidelines. The provisions of this Act are almost similar to those of other such Acts enforced by the various States of the country except for variations in the ceiling limits and such other conditions which had to be kept in view particularly the small size holdings of land class etc. in the Pradesh. In Shimla division out of 1,022 cases as many as 1,016 cases have been decided and the remaining six cases are under process in various courts upto December,1990. Similarly in Kangra division out of 48,059 acres of land which was declared surplus 2,069 acres have been allotted under the utilisation of surplus area scheme. 24,818 acres transferred to Forest Department, 6,929 acres transferred to the tenants, 1,793 acres of land is allotable with note of Khudro Drakhtan Malkiat Sarkar' and the remaining 12,450 acres are charand/Ghasni/uncultivable land.

Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization Act,1974)

4.38 Under section 3 of the Act,all shamlat lands have been vested and are being utilised for the purposes of allotment to landless and other eligible persons and for such common purposes of estate right holders. The land wherever available for allotment is being granted to landless and other eligible perosns.In Shimla division all the landless and other eligible persons have already been granted land and fresh surveys are being conducted to find out landless and other eligible persons and land is being allotted on finding the genuinness of landless persons. In Kangra division, upto December,1990 in all 2,125 landless and 578 houseless persons out of the persons identified during 1981 and 1983 surveys have been allotted land for cultivation and construction purposes. The remaining identified persons could not be allotted land for want of suitable land for cultivation or construction purposes. In Mandi division, out of 5,037 landless and 28,999 other eligible persons 5,037 landless and 28,020 other eligible persons have been allotted land so far. As regards the allotment of land to the remaining 979 other eligible persons, the land could not be allotted to them due to the enforcement of Forest(Conservation)Act,1980.

Distribution of Kissan Pass Book

4.39 The work relating to the distributing of Kissan Pass books continued during 1990-91. Upto September,1990, 10.13 lakh Kissan Pass books have been distributed in the Pradesh.

Consolidation of Holdings

4.40 According to an old survey report, the total feasible area for consolidation of holdings in the State was 49 lakh acres. Upto March,1990, 17.81 lakh acres stood consolidated. The consolidation work remained in progress in Kangra, Una, Hamirpur, Bilaspur, Solan and Mandi districts.During 1990-91, consolidation of holdings work in an area of 46,727 acres has been completed upto December,1990 against the target of 77,250 acres. The proposed target for the year 1991-92 is 77,250 acres.

ANIMAL HUSBANDRY

4.41 The development programme of Animal Husbandry in the Pradesh includes (i)animal health and disease control (ii)cattle development, (iii)sheep breeding and development of wool, (iv) poultry development, (v)feed and fodder development, (vi)dairy development and milk supply schemes and (vii)veterinary education. The achievements made/likely to be made in these spheres during 1990-91 are given in the following paragraphs:-

Animal Health and Disease Centres

4.42 At present 230 veterinary hospitals, 514 dispensaries and 83 outlying dispensaries are functioning in the State to provide the veterinary aid and prophylactic vaccination against various contagious diseases. In addition, 14 mobile dispensaries are also operating which provide immediate veterinary aid besides control of out-break of epidemics. As many as 4 clinical laboratories are in operation for providing quicker diagonosis of various animal diseases. One surveillance unit is also functioning at the State headquarters for detection and control of diseases of the animals. Rinderpest is a highly contagious animal disease for which 4 check posts at Pandoga and Mandli in Una district, Swarghat in Bilaspur district and Miiwan in Kangra district continued functioning in the state during 1990-91. Through these check posts about 50,000 incoming and outgoing animals are proposed to be vaccinated during 1990-91.

4.43 Achievements likely to made during 1990-91 under veterinary aid programme in various institutions are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1990-91 ('000)
1.	2.	3.
1.	Cases treated for contagious diseases (indoor and outdoor)	.. 50.00
2.	Cases treated for non-contagious diseases (indoor and outdoor)	..1,905.00
3.	Cases supplied with medicine but not brought to the hospitals/ dispensaries	.. 23.00
4.	Vaccinations performed	.. 35.00
5.	Castrations performed	.. 102.00
6.	Cases treated on tour:	
	(i) Contagious	.. 19.50
	(ii)Non-contagious	.. 487.00
7.	Castrations performed on tour	.. 104.10
8.	Vaccinations performed on tour	.. 618.00

Cattle Development

4.44 As jersey breed has been found the most suitable of all breeds for cross breeding purposes, emphasis is being laid on cross breeding of hill cows with jersey germ plasm. At some places where feed and fodder are found in plenty, however, Holstein Friesien breed has also been introduced. With a view to improving the existing non-discript breed of buffaloes and further augmenting breeding facilities

artificial insemination with deep frozen semen in buffaloes is being done in all the districts except Kinnaur, Kullu and Lahaul & Spiti. Besides, natural services for cows and buffaloes are also available where artificial insemination facility is not available. The effective implementation of the cattle development programme is being done through the following schemes:-

(i) Key Village Scheme:- Under this scheme artificial insemination facilities are provided through 7 key village blocks with 51 key village centres. This scheme is in operation in Shimla, Solan, Sirmaur, Hamirpur, Bilaspur and Una districts.

(ii) Hill Cattle Development Programme:- The programme is in operation in Shimla, Solan, Una, Hamirpur, Kangra, Kullu and Chamba districts.

(iii) Intensive Cattle Development Project.- The scheme is in operation in Shimla and Suni tehsils of Shimla district and Arki tehsil of Solan district through 22 centres/sub centres with semen bank at Ghanahatti.

(iv) Breeding Facilities through Hospitals/Dispensaries/ Bull Centres:- With a view to boost up milk production, the work of cross-breeding and artificial insemination facilities are being provided through 606 hospitals and dispensaries in the State. Besides, natural services are being done where artificial insemination facility is not available.

(v) Artificial Insemination Centres:- In areas where hospital and dispensary facilities are not easily available, breeding facilities are being provided through 49 artificial insemination centres in the Pradesh.

4.45 The achievements likely to be made under this programme during 1990-91 are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1990-91	
		Cows	Buffaloes
1.	2.	3.	4.
1.	Artificial insemination	1,80,000	27,000
2.	Natural services	1,000	2,000
3.	Progeny born by artificial insemination	73,000	8,500
4.	Progeny born by natural services	800	1,700

4.46 For meeting the demand for pure and cross-bred bulls in the Pradesh, 5 cattle breeding farms are functioning at Kamand(Mandi), Bhangrotu(Mandi), Kothipura (Bilaspur), Palampur(Kangra) and Bagthan(Sirmaur). The herd strength of animals at these farms is 491. These farms also help in studying the management problem of exotic animals. Three semen banks with deep frozen laboratory and six liquid nitrogen plants are supplying the frozen pedigree bulls semen straws to various artificial insemination centres in the Pradesh. As a result of the implementation of these programme, the milk production in the Pradesh is likely to be 540 thousand tonnes during the year 1990-91. During the year three lakh cow bull straws and 25,000 buffalo bull straws are expected to be produced besides, producing 1,20,000 liters of liquid nitrogen.

Sheep Breeding and Development of Wool

4.47 With a view to improving the quality of sheep and wool, Government sheep breeding farms at Jeori(Shimla), Sarol(Chamba), Nagwain(Mandi), Tal(Hamirpur), Karchham (Kinnauur) and sheep and wool centre at Choori (Chamba) are supplying improved sheep to the farmers of the State. The flock strength in these farms was 2,237. During 1990-91 about 850 improved sheep are likely to be distributed to the farmers. In view of the increasing demand for pure hoggets and the established popularity of the Soviet Merino and American Rambouilets in the Pradesh, the State has switched over to the pure breeding at the existing Government farms. Four sheep extension centres are in operation in Kothikohar(Kangra), Swar(Mandi), Bagipul (Kullu) and Dodra-Kawar(Shimla). Under the special livestock production programme for sheep development, sheep at subsidised rates are supplied and loans for this purpose are also provided to the small and marginal farmers and agricultural labourers in Sirmaur district. Besides, under intensive sheep development project which is in operation in Bharmaur, Chamba and Bhattiyat tehsils of Chamba district, improved sheep are being distributed and dipping and drenching facilities to the breeders are provided and pastures improved. The programme of mass drenching of sheep and training programme for progressive sheep breeders were also organised. During 1990-91, the production of wool is likely to be of the order of 14.20 lakh tonnes.

Poultry Development

4.48 For providing improved poultry birds and hatching eggs, 14 poultry farms/centres are functioning in the Pradesh. Likely achievements in this field during 1990-91

are as under:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1990-91
1.	2.	3.
1.	Average number of layers maintained at Govt. farms	4,609
2.	Eggs production	9,00,900
3.	Chicks production	2,05,200
4.	Eggs used for hatching	2,68,500
5.	Sale of eggs for table	6,17,000
6.	Sale of eggs for hatching	8,600
7.	Sale of birds for breeding	2,15,000
8.	Sale of birds for table	86,000

4.49 Under special livestock(Poultry)production programme, 100 poultry units are proposed to be established during 1990-91 with the financial assistance of the Government of India for the benefit of the small and marginal farmers in Shimla, Bilaspur and Una districts.

Feed and Fodder Development

4.50 The State Government is concentrating on activities directed towards improving feeding resources by way of increasing production and distribution of seed/planting material of fodder crops and grasses. Cultivation of fodder crops is being encouraged by distribution of fodder minikits of Kharif and Rabi fodder crops. There is vast potential of improving fodder availability by raising improved grasses. Seeds and planting material of improved species are being distributed at nominal prices to the farmers/orchardists of the State.

Dairy Development and Milk Supply Scheme

4.51 For providing remunerative rates to the milk producers and wholesale milk at reasonable rates to the consumers, four milk supply schemes continued functioning at Chamba, Kangra, Kullu and Nathpa-Jhakri as departmental schemes during 1990-91. The target for milk collection through these milk schemes is 18.00 lakh liters.

FISHERIES

4.52 Himachal Pradesh is blessed with vast and variegated fishery resources in the shape of network of rivers, sprawling reservoirs, fast flowing cold waters etc. harbouring wide array of temperate, sub-temperate and tropical fish species. Mainly classified into riverine, lacustrine, recreational and pond fisheries, the state waters offer considerable potential for the development of fisheries. About 10,000 fishermen families in the Pradesh

depend directly or indirectly on these waters and earn their livelihood by fishing. During 1990-91,main emphases were laid to increase per hectare fish production in the State from the reservoir fisheries and to complete the on going construction works at the foreign aided trout farming project at Kullu. With the adoption of modern fish culture/capture practices in management of reservoir fisheries in the State, the fish production from Gobindsagar reservoir of the State upto December, 1990 was 574.97 tonnes against the production of 565.38 tonnes during the corresponding period of last year. Similarly the fish production from the Pong Dam reservoir upto December, 1990 was 301.79 tonnes whereas it was 294.73 tonnes during the corresponding period of last year. The Gobindsagar reservoir of the State is likely to yield a record average production of 80 Kg. per hectare. Besides, the breeding of Indian major carps the highly commercialised variety, was undertaken at the departmental fish seed farms. The overall fish production in the Pradesh was 3,146 tonnes upto December,1990 whereas it was 2,916 tonnes during the corresponding period of last year.

4.53 Under the Special Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Sub-Plan subsidy was given to 327 fishermen families and production of 70,500 trout ova was produced at trout fish seed-farm, Sangla. The physical achievements under the various activities have been given in the table below:-

Sr.No.	Item	Target for 1990-91	Achievements	
			Upto Dec., 90	Expected upto March, 1991
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fish production (tonnes)	5,500	3,146	5,500
2.	Seed production- Mirror carp, Major carp, Trout (million)	25.00	18.00	22.00
3.	Licensed fishermen(No.)	11,000	11,292	12,000
4.	Number of illegal fishing cases detected	--	1,076	1,150

FOREST

4.54 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,591 square kilometers and form about 67.5 per cent of the total geographical area of the State. These forest resources bear a rich potential for industries like news print, rayon grade pulp, art paper, hardboard and textile accessories, etc. In addition, a large number of aromatic and medicinal plants can be utilized for the pharmaceutical

and ayurvedic medicines. Besides, forests are also essential to conserve soil and to regulate the flow of water in the rivers so as to ensure the longevity of multipurpose hydro-electric projects. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry development is one of protecting and rationally managing its existing resources and side by side expanding its base. The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as below:-

Forest Plantation

4.55 Under the productive forestry schemes,upto September,1990, 1,273 hectares of plantation were covered under quick-growing species, economic plantations and regeneration of chilgoza pine and pasture land improvement against the total target of 2,438 hectares for the year 1990-91. Besides, 10,244 hectares were covered under Social Forestry Programmes at a cost of Rs.6.38 crore upto September,1990 against the target of 27,343 hectares for the year 1990-91. In addition, rural fuelwood plantations were raised on 361 hectares at the cost of Rs. 3.59 lakh upto September,1990.

Indo-German Eco-Development Project (Changer Area Project)

4.56 While the Dhauladhar Farm Forestry Project came to an end on 31st March,1989, a similar project for Changer area of Palampur Sub-Division with the assistance of Germany is likely to start functioning w.e.f.April,1991. The total cost of this project is estimated to be Rs. 18.71 crore. The project will have multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry.

World Bank Aided Water Shed Development Project for Himalayan Hills(Kandi Project)

4.57 An Integrated Water Shed Development Project(Hills-Kandi areas) has been launched in the State during 1990-91 with the assistance from the World Bank. This project aims at ecological rehabilitation of the catchment areas of five rivers, viz. Markanda in Sirmaur district,Ghaggar and Sarsa in Solan district, Swan in Una district and Chakki in Kangra district to improve socio-economic conditions of farmers living in these areas Kandi area falls in the catchment of the above five rivers where soils are highly eroded and are subjected to drought conditions throughout the year. The project shall have multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry.

Wild Life and Nature Conservation

4.58 Himachal Pradesh is known for a variety of games, both imals and birds. The scheme aims at improving the game ctuaries and shooting blocks so as to afford protection to the species facing extinction. An amount of Rs. 23.55 lakh (including central share) has been utilised for this purpose upto September, 1990 against the target of Rs.105.00 lakh for the year 1990-91.

Forest Protection

4.59 Forests are exposed to dangers of fires, illicit felling and encroachments. It is, therefore, necessary that check posts at suitable places are established to curb illicit timber trade. Fire fighting equipments are introduced and made available to all the forest divisions where fire hazards are feared. Better communications have to be provided to affect better safety to forests in all fire prone divisions. During the year, this scheme continued functioning and Rs. 3.91 lakh have been spent upto September,1990 against the target of Rs. 15.00 lakh for the year 1990-91.

Van Lagao, Rozi Kamao

4.60 With a view to bringing more areas under forest cover and to associate rural population with it, a new scheme 'VAN LAGAO, ROZI KAMAO' was launched in the Pradesh. Under this programme, Antodaya and other poor families will be wage-employed for plantation and looking after the planted trees on Government land. Moreover, they will also be entitled to the subsequent benefits out of the produce.

5.INDUSTRIES

5.1 Himachal Pradesh is endowed with bountiful resources of water/hydro power, mineral, forests and cool and dust free climate. All these factors provide favourable conditions for setting up agro-based, forest-based, food processing, beverages and electronic industries in the Pradesh.

5.2 Eversince the Planning era in the country great progress has been made in the economic development of the State. In the earlier years, the emphasis was laid on the development of infrastructure like roads, link roads, bridges as well as on the development of agriculture and horticulture. Simultaneously, steps were taken to develop the secondary and tertiary sectors of economy so that new and alternate outlets of employment are generated for the people especially the educated unemployed youth. Initial start was made in this direction by the development and modernisation of the traditional cottage and handicraft industries. At present, the number of small scale industrial units registered with the Industries department is 20,173 with a total investment of Rs. 250 crore and provide employment opportunities to about 75,000 persons. In large and medium scale sectors the State has made significant progress. At present, 130 large and medium scale projects are functioning in the State. Capital to the tune of Rs. 350 crore had been invested in these projects and employment has been generated for about 15,000 persons. Recently, electronics have added new dimension to the industrial development of this Pradesh. For the promotion of electronics industry, the Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation(HPSEDC) has been established.

Industrial Project Approval and Review Authority(IPARA)

5.3 The main function of this authority is to help the entrepreneurs in implementing their projects by co-ordinating the activities of different institutions/agencies involved. The approval of IPARA is obligatory in case of medium and large scale industries. Upto December,1990, 10 new projects were approved by the IPARA having a capital investment of Rs.279.52 crore and employment potential of 3,161 persons.

District Industries Centres

5.4 District Industries Centres(DIC) have been functioning in all the districts of the Pradesh and assisting in the promotion of cottage and small scale industries. During the year 1990, 537 small scale industrial units were registered on permanent basis and employment opportunities were provided to 2,937 persons. Out of these 531 were scheduled castes, 75 scheduled tribes and 2,331 were of other classes. During this period 26 industrial plots and 18

industrial sheds were allotted. Besides, the District Industrial Centres also provided assistance to 582 SSI units and 177 handicrafts units.

Industrial Areas

5.5 In order to provide infrastructural facilities to the entrepreneurs, (i)Industrial areas were established at Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta Sahib, Mehatpur, Shamshi, Nagrota Bagwan,Bilaspur,Reckong Peo and Sansarpur Terrace, Electronic complex at Solan(Chambaghat), Mandi, Kala Amb, Hamirpur, Shoghi, Chamba, and Amb and (ii) Industrial Estates at Solan, Dharampur,Kangra, Jawali, Dehra-Gopipur. In addition, more industrial areas/estates are being developed in the Pradesh.

Arts and Exhibitions

5.6 With a view to exposing and promoting the sale of products being manufactured by various industrial units in the State, the Pradesh has been participating in various fairs, festivals and exhibitions organised at national and inter-national levels. During the year 1990-91, the State participated in International trade fair at New Delhi, Dussehra fair Kullu and Lavi fair Rampur.

Entrepreneurs Development Programme

5.7 Under this programme, entrepreneural development courses including institutional in-plant training and out-surveys were held. In addition, short-term quick exposure courses of a fortnight duration have been designed to provide package information to the capable entrepreneurs and to acquaint them with the necessary requirements and procedures required for setting up industrial units. During the year 1990-91, 5 Entrepreneural Development Programmes(EDPs) courses were conducted in which 117 persons were imparted training.

Sericulture Industry

5.8 Sericulture is one of the important cottage industry of the Pradesh which provides subsidiary employment to farmers to supplement their income by rearing silk worms and selling cocoons produced by them. During 1990-91, 58,000 kgs. of cocoons valuing Rs. 29.00 lakh was produced.

Investment in Government Undertakings

5.9 During the year 1990-91, the following investments are proposed to be made in different Corporations and Boards under the administrative control of the Industries

department:-

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Name of the Corporation	Budget provision for 1990-91
1.	2.	3.
1.	Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation	220.00
2.	Himachal Pradesh Financial Corporation	220.00
3.	Himachal Pradesh State Small Industries and Export Corporation	8.00
4.	Himachal Pradesh Handicrafts and Handloom Corporation	10.00
5.	Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation	15.00
6.	Himachal Pradesh General Industries Corporation	15.00

Tea Industry

5.10 Tea is grown in Kangra and Mandi districts of the Pradesh at an altitude of 1,000 to 1,500 meters above sea level. There are 1,385 tea estates covering an area of 3,212 hectares in the Pradesh. During 1990-91,a provision of Rs.30.00 lakh has been made for the development of tea industry in the Pradesh.

Mineral Development

5.11 During the year 1990-91, the following investigations on minerals and drinking water schemes were carried out by the Geological wing of the Industries Department:-

(i) Kashlog-Arki-Karara Ghat area(District Solan) - Detailed proving of lime stone deposits in Arki and adjoining areas was done. These minerable reserves will be utilised in cement and steel industries. The steel plant will be installed by N.M.D.C. which is an undertaking of Govt. of India and the cement plant is being installed in Arki area.

(ii) Mulk-Madan-Bhojpur Belt Sundernagar(District Mandi) - Detailed proving of lime-stone deposits of Mulk-Madan-Bhojpur Belt of Sundernagar was done. It is expected that a cement manufacturing plant will be installed in this area.

(iii) Bagga-Mangal area(District Solan) - Detailed mapping, sampling and drilling was done to know its grade and

economic viability for its utilisation for manufacturing Portland cement.

(iv) Drang-Gumma area(District Mandi) -Drilling operations are in progress to find out the provable exploration of salt body for its utilisation in salt based industries through solution mining.

(v) Hurla area(District Kullu) - Detailed mapping and sampling were done to assess the lime deposits in this area.

5.12 In addition, the Geological wing of Industries Department carried out investigations on drinking water, irrigation and fisheries schemes to obtain for detailed information on these schemes in the Pradesh. Besides, geological reports were also prepared in respect of different bridges and roads during the year under report.

6.ELECTRICITY

6.1 Himachal Pradesh' State Electricity Board is engaged in the execution and investigation of various hydro-electric projects found to be economically exploitable. Simultaneously, the work on expansion of transmission net work throughout the Pradesh has been taken up to achieve accelerated industrial growth. It is a matter of satisfaction that despite very difficult and mountainous terrain all the inhabited villages in the State have already been electrified.

6.2 Himachal Pradesh has a vast hydel potential and through preliminary hydrological, topographical and geological investigations, it has been estimated that 12,700 MW of hydel power can be generated in the State by constructing various major, medium, small and mini/micro hydel projects on the five river basins. In addition, a large number of unidentified areas have still been left in the river basins which can contribute substantially to the power potential of Himachal Pradesh by way of mini/micro, medium and even large projects. Also in view of the rising cost of thermal and nuclear generation, many identified projects which have been excluded from the above mentioned hydel potential on account of non-suitability due to high cost of generation, will also become viable in future. On these two considerations, a conservative estimate of the total potential in Himachal Pradesh could well be put up at 20,000 MW or even more. Out of the total hydel potential 3,363 MW only has been harnessed so far, out of which only 272 MW is under the control of Himachal Pradesh as bulk of the potential has been exploited by the Central Govt. and other agencies. The huge hydel potential of the State can play a major role in power development programmes in the northern region and will provide economic base for the overall development of Himachal Pradesh.

6.3 Hydel power generation in the Pradesh has been accorded top priority from the Sixth Plan onwards because it will not only meet the increasing power demand within the State but also to bridge the gap in the demand and supply in the northern region as a whole. In view of this a phased programme has been chalked out to take up various major,medium,small and mini/micro hydel projects in the State during the seventh five year plan besides completing the ongoing projects as early as possible.

6.4 To match the increasing activities on construction of hydel projects there is an immediate need to lay emphasis on adequate transmission and distribution net work in order to transmit power from these projects and its distribution for power utilisation within the State. Keeping this in view,various transmission and distribution schemes have been prepared and some of these have already been taken up. Special transmission and distribution schemes are proposed

to be taken up to meet the power requirement of various industrial complexes being set up in the State.

6.5 In the field of rural electrification the State had made remarkable achievements. Inspite of the fact that Himachal Pradesh was a late starter in the field of rural electrification and because of very difficult and mountainous terrain, it is a matter of satisfaction that all the inhabited villages of the State numbering 16,807 according to 1981 census were electrified by the end of June,1988. In Himachal Pradesh where 93 per cent of population lives in villages, rural electrification has significant role to play not only to provide lighting but also to encourage cottage industries in rural areas. However, more emphasis is being given to strengthen the distribution system in order to achieve the targets in full in rural electrification.

A.GENERATION

ON GOING PROJECTS

Thirot Hydel Project(4.5 MW)

6.6 This project with an installed capacity of 4.5 MW is located in the tribal valley of Lahaul in Lahaul & Spiti district. The latest estimated cost of this project is 26 crore. The power generated from this project shall be utilised in the remote tribal areas of Lahaul and Pangi and the surplus power whenever available shall be utilised in Manali area of Kullu district. This project is scheduled for commissioning during the seventh plan but due to non-availability of adequate funds during the previous years, the completion schedule had to be postponed. The project is now scheduled for commissioning during October,1993.

Baner Hydel Project(12 MW)

6.7 This project was sanctioned during the year 1981 for an installed capacity of 6 MW which has subsequently been raised to 12 MW. The latest estimated cost of the project is Rs. 35.02 crore. The work on the project could not be taken up in right earnest in the previous years due to paucity of funds and the progress has been hampered because of the uncertainty about the availability of funds. The project is now scheduled for completion in March,1993.

Gaj Hydel Project(10.5 MW)

6.8 The project was sanctioned during the year 1982. The latest revised estimated cost of the project is Rs. 33.25 crore. The work on this project could not be taken up in the right earnest during the previous years due to inadequate provision of funds in the plans due to which the

work had been hampered. This project is now scheduled for commissioning in March,1993.

Bhaba Augmentation Scheme

6.9 Bhaba Augmentation Scheme with an estimated cost of Rs. 9.64 crore was approved by the Planning Commission in June,1987. However, the latest revised estimated cost is Rs. 16.33 crore. The scheme will afford an additional generation of 54 MU annually from the Bhaba Power House. The scheme is scheduled for commissioning during 1992-93.

Killar Hydel Project(300 KW)

6.10 The State Electricity Board has sanctioned the scheme amounting to Rs. 1.73 crore and is being executed under the State plan. This scheme is scheduled for commissioning in March,1993.

UHL Stage-III project(70 MW)

6.11 This project is located in Mandi district. The project is estimated to cost Rs.162 crore. The project is scheduled for commissioning during 1997-98. This project is also under consideration for OECF loan assistance from Japan.

Larji Hydel Project(126 MW)

6.12 This project with an installed capacity of 126 MW is to be constructed on the river beas in Mandi district. The latest estimated cost of this project is Rs. 335 crore. The infrastructural works of this project have been taken in hand in order to arrange funds for the execution of this project. The approval has been sought from the Govt. of India for OECF loan assistance from Japan under bilateral agreement.

PROJECTS TO BE EXECUTED BY NJPC(jointly by State and Central Governments)
Nathpa Jakhri Hydro Electric Project(1,500 MW)

6.13 Nathpa Jakhri Hydro Electric Project with an installed capacity of 1,500 MW is to be executed jointly by the State and the Central governments through the Nathpa Jakhri Power Corporation. According to the 'Memorandum and Articles of Association' approved by the Govt. of India for the Corporation, the debt equity ratio would be 1:1. World Bank loan amounting to 437 million dollars has been sanctioned for the generation component of the project. This loan will directly come to the Nathpa Jakhri Power Corporation and the sources for the equity portion shall be funded by the Central and State Governments. The estimated cost of this project is Rs. 1,678 crore. The financing plan of this project in terms of percentage cost of world bank

loan to Nathpa Jakhri Power Corporation 17 percent, Govt. of India loan 37 percent, Govt. of India equity 37 percent and Govt. of Himachal Pradesh equity 13 percent.

Kol Dam Project(800 MW)

6.14 Kol Dam project with an installed capacity of 800 MW is also proposed to be executed by the Nathpa Jakhri Power Corporation in joint sector on the similar terms and conditions as agreed for the Nathpa Jakhri project. The project has been included in the protocol signed between Govt. of India and Soviet Union for providing financial and technical assistance by the USSR for its execution. The State Govt. shall contribute its share of investment on the pattern of Nathpa Jakhri project.

6.15 The electricity generated during 1989-90 was 935.51 million units while during current year upto December,1990 it is 1190.24 million units. As many as 146 pumpsets have been energised upto December,1990.

B. TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

6.16 The need for strengthening the transmission and distribution system in the State is being felt for the last few years in order to ensure uninterrupted power supply in the State and for evacuation of power from new projects as also to receive our share of power from various inter-State and Central projects. As such the State Electricity Board has taken up the work of a number of 220/132/66/33 KV transmission lines throughout the State. In addition, a number of 132 KV transmission lines/sub-stations are proposed to be undertaken for which the world bank has approved a loan amounting to 43 million dollars.

Development of other New and Renewable Sources of Energy

6.17 With the growth in the economy, the demand for energy increases tremendously due to rapid industrialisation, better standard of living and increased infrastructural net work. As the conventional sources of energy are limited, there is an immediate need to explore new and alternative sources of energy, encourage the use of proven technologies such as solar water heating system, wind energy, and other efficient energy devices. Development of non-conventional energy sources and renewable sources of energy will constitute the core of activities of HIMURJA in the Pradesh.

Solar Energy

6.18 Solar energy utilisation forms an important part of the new and renewable sources of energy. Various solar thermal devices like solar cooker, solar stills, solar water heating system etc. are proposed to be made more popular.

6.19 Simple hot water systems using flat plate collectors and associated instruments have been efficiently deployed for providing hot water in hospitals/PHCs./households at a temperature 60-80 degree Celsius. So far 1,02,000 LPD solar water heating systems have been installed. Further 479 domestic systems of 100 liters per day have been installed at subsidized rates. 102 stand alone photo voltaic systems have been installed in different hamlets/villages for providing street light. Three community light(8 points) have also been installed. As many as 4,970 solar cookers have been distributed on subsidy. In addition 10 community solar cookers distributed to hotels/Institutions. Further,7 solar photo voltaic pumps for irrigation purposes and one solar TV have been installed for community use. The concept of solar passive heating of households is being popularised in the tribal areas of the Pradesh where apart from traditional cooking needs the heating needs are more critical.

Wind Energy

6.20 Two 25 K stand -alone wind generators have been installed. 2 Nos 1 Kw aero generators have also been installed apart from six wind pumps for lifting water for irrigation and drinking purposes. 30 sites have been identified for wind mapping project.

Energy Conservation

6.21 HIMURJA attaches high priority towards energy conservation in different sectors of economy. As such 13,311 smokeless chullahs and 4,175 portable chullahs have been installed and 24,653 pressure cookers and 4,754 Nutan stoves have been distributed to reduce the consumption of fuel in the identified villages. In addition, 5 improved bukharies have also been installed. 40 improved crematoria which results in 40-50 percent saving of fuel besides reduction in body consumption time have been constructed in different parts of the State.

7. EMPLOYMENT

7.1 According to the 1981 population census nearly 42 per cent of the persons in the State were workers.The percentage for males was 53 and for females 32. Of the total workers 19 percent were classified as marginal workers i.e. those who had worked in the reference year for less than six months. Of the total state population, 34 per cent were main workers i.e. those who had worked in the reference year for more than six months. Further, about 50 per cent of the male population and about 19 per cent of the female population were main workers. Of the total main workers, about 71 per cent were cultivators and agricultural labourers, 2 per cent engaged in household industry, manufacturing, processing, servicing and repairs whereas only 27 per cent were other workers.

Manpower and Employment Schemes

7.2 The employment service schemes include(i)to assist employment seekers possessing diverse qualifications and experience in finding suitable jobs,(ii)to enable workers and surplus retrenched employees to find out alternative employment ,(iii)to serve employers by referring to them suitable workers to fill up vacant posts in their establishments, (iv)to collect employment information regarding job opportunities, training facilities, and related matters in re-orienting their programme etc. and (v) to guide young persons and employment seekers in the problems review and re-adjustments of the training programmes and curricula according to the market needs. The employment assistance/information service in the Pradesh continued to be rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 35 sub-office employment exchanges, one state employment market information unit, 12 district level employment market information units, 3 vocational guidance units, a special cell for physically handicapped persons, and a central employment cell for placement of Himachalies in the various industrial units, institutions and establishments in private sector during the year under review.

Employment Exchange Information

7.3 The employment in general at the end of 31st October ,1990 as compared to the corresponding period of last year reveals that the number of applicants on the live Register increased by 5 percent while the number of vacancies notified by the various employers decreased by 12.8 per cent.The placements has also decreased by 22.5 per-cent. During the period from January, to October, 1990 in all 76,338 applicants were registered and 5,426 placements were done. The number of vacancies notified by various employers were 4,787. The consolidated live register

of all employment exchanges stood at 4.47 lakh on 31st October, 1990.

Employment Market Information Programme

7.4 At the district level the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. At the end of first quarter i.e. January to March,1990, the total employment in the state was 2.71 lakh(public sector 2.41 lakh and private sector 0.30 lakh). Of the total employment in public sector 6.71 per cent were borne on the Central Government establishments, 67.37 per cent on State Government establishments, 6.80 per cent on the quasi-Government (Central), 17.74 per cent on the quasi-Government(State) and 1.38 per cent on the local bodies establishments.

Vocational Guidance Activities

7.5 The Vocational Guidance and Employment Counseling programme has been designed to give intensive Vocational Guidance to those who seek such assistance. The term Vocational Guidance is more appropriately connected with assistance to youth whereas Employment Counseling refers to the assistance to the adult. The State Directorate of Employment administers this service in collaboration with the Education Department of the Pradesh. The central unit of vocational guidance(VG)at DGE&T assists the Director of Employment Exchanges of the state in all the matters pertaining to policies and procedures, the training of staff,the preparation of tools and material and coordination of services at the national level.At an employment exchange, the programme is implemented by the VG section under the administrative control of the officer incharge of the exchange. Under this programme besides supplying upto date occupational literature, charts, pamphlets, received from the Govt. of India and prospectuses of educational institutions, colleges etc. in the field, the following achievements have been made upto November,1990 during 1990-91:-

(Number)

Item	Achievements Upto November, 1990
1.	2.
A-Individual Programme :	
1. Persons received individual guidance ..	11,373
2. Persons received guidance at the time of registration ..	1,009

1.		2.
3. Persons received individual information:		
(i) Information sought by post	..	2,250
(ii) Information sought by persons	..	9,123
(iii) Old cases received from live register	..	1,373
B-Group Programme:		
1. Group discussions conducted	..	1,132
2. Career/Group guidance talks delivered at schools/colleges etc.	..	593
3. Persons attended group discussions	..	11,131
4. Persons visiting career information room	..	10,537
C-Coordination Activities:		
1.Visit in schools/colleges for promotion of such guidance, activities as setting up of career corners, guidance units arranging career conferences/seminars/ exhibitions etc.	..	301
2.Visits to employment institutions for collecting information on job opportunities/training facilities etc.	..	118

During the year under report, a Vocational Guidance fortnight to provide Vocational Guidance and Employment Counseling was celebrated throughout the Pradesh w.e.f. 16th July to 28th July,1990.

Central Employment Cell

7.6 With a view to provide technical and highly skilled manpower to the industrial units, institutions and establishments being set up in the private sector in the Pradesh, a central employment cell has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the State. The main objective of setting up of this cell is to make available the technical manpower to the industrial units in the private sector as per their requirements. Thus under this scheme, the assistance is provided to the employment seekers in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications and experience on the one hand and employers in this sector to recruit suitable workers on the other hand. Under this scheme there were 18,388 registrants who were registered on the basis of the duplicate registration cards received from their parent employment exchanges belonging to the category of technically/highly skilled personnel. As many as 1,134 vacancies of various nature were

notified upto October,1990 by employers of private sector establishments out of which 172 vacancies were of technical and highly skilled nature which were notified by the employers to the Central Employment Cell. The central employment cell sponsored 5,494 candidates of various trades to the various industrial units out of which 2,014 candidates were of technical and highly skilled nature. Upto October ,1990, 320 persons were placed in various private sector industrial units in the Pradesh,out of which 27 were of technical and highly skilled nature.

Special Cell for the Placement of Physically Handicapped Persons

7.7 During the period from January to October ,1990, 378 physically handicapped persons were brought on the live register of this special cell bringing the total number to 3,619. Besides, 45 reserved vacancies were notified and 88 physically handicapped persons were sponsored against these vacancies. 52 physically handicapped persons were placed in gainful employment upto October,1990.

Rural Development

7.8 The main objectives of the rural development programmes are (i)more production,(ii)more employment, (iii)more equitable distribution of income among rural masses, and (iv)more investment on rural masses to enable them to live better social and economic life. To achieve these objective the following state and centrally sponsored development schemes/ programmes remained under implementation during 1990-91:-

Community Development Programmes

7.9 The main objective of this programme is to achieve integrated development of the rural people with the initiative and participation of the village community itself. Under this programme, grants-in-aid are provided to Panchayat Samities for the construction/repair of primary school buildings under general education and for organising various cultural programmes, rural sports and meets etc.,under social education. Further grants-in-aid are also given to panchayat Samities for the construction of kaccha roads and bridal paths demonstration of improved agricultural implements, encouragement of farmers, irrigation and reclamation schemes, construction and repair of drinking water supply works, pavement of streets, works relating to health and sanitation, supply of improved animals and birds stipend to the trainees of areas under going training in different trades etc. In addition, grants are also provided for the promotion and strengthening of mahila mandals and yuvak mandals etc., under composite programme. Besides above, housing needs of the staff in the field and office buildings etc.; at block headquarters are

also constructed under this programme. During the current financial year 1990-91, an amount of Rs. 95.00 lakh has been provided under this scheme.

Rural Sanitation

7.10 Under this scheme sanitary latrines are constructed in the rural areas in order to control the environmental pollution to improve the health and sanitation of the rural masses. Besides, latrines are also constructed in the institutions located in rural areas, village fair sites, market yards and panchayat'ghars etc. Under this scheme an assistance of Rs. 1,200 is to be provided to the beneficiaries. During 1990-91 against the target of construction of about 1,700 sanitary latrines 971 such latrines have been constructed upto December,1990.

Rural Housing

7.11 This scheme which is known as two room tenement scheme aims at construction of houses for the houseless persons identified by the Revenue Department and for the eligible families of target group in the rural areas. Upto December, 1990, 110 houses have been constructed against the target of 166 houses for the year 1990-91.

Integrated Rural Development Programme(IRDP)

7.12 It is a centrally sponsored programme and the target group of the programme consists of small farmers,marginal farmers,agricultural labourers,rural artisans and others who are below the poverty line.The main objective of this programme is to provide productive assets and employment to the poor people by providing income generating assets including working capital wherever necessary through package of assistance comprising subsidy and institutional credit.Under this programme,5,932 new families and 6,963 old families have been assisted upto December,1990 .The target of assisting 6,171 new families and 8,829 old families was fixed for 1990-91. An amount of Rs. 295.82 lakh has been spent under this programme.

Training of Rural Youths for Self Employment(TRYSEM)

7.13 This programme is a part of IRDP and the main objective of it is to provide necessary technical skills to rural youths of target group in the age group of 18-35 years to enable them to take up self employment ventures in the broad fields of agriculture and allied activities, industry services and business activities.The training to the interested rural youths is imparted free of cost in various Govt. training institutions like ITI's, Govt. Polytechnics and other local institutions. During training, the trainees are given stipend from Rs. 100 to Rs. 250 per trainee per

month subject to the place of training. Besides, after the completion of the training a free tool kit is given to them. Upto December 1990, 926 youths were trained. 317 youths were settled, 190 youths were provided wage employment and 1,146 youths were undergoing training in various trades.

Development of Women and Children in Rural Areas(DWCRA)

7.14 This programme is being implemented in the State as a part of IRDP with the objective to increase employment opportunities for the rural women of target group by taking up income generating activities on group basis acceptable to them and by introducing new income generating activities. This scheme is in operation in Kangra, Shimla,Chamba, Mandi and Sirmaur districts. Upto December 1990, 66 groups against the target of 190 groups with the membership of 1,018 women have been formed and an amount of Rs. 3.21 lakh was incurred under this programme.

Jawahar Rojgar Yojna

7.15 Jawahar Rojgar Yojna which was launched throughout the country by merging the erstwhile programmes of NREP and RLEGP aims at generating larger employment opportunities for un-employed and under-employed persons in the rural areas and creating productive community assets for direct and continuing benefits to the poor sections of the society.This programme is implemented through village Panchayats which are responsible for the planning and execution of the programme.Against the target of generation of 33.68 lakh mandays of employment 14.33 lakh mandays were generated and 1,758 community assets were created upto December,1990. Out of total allocation of Rs. 1,135.28 lakh for the year 1990-91 an amount of Rs. 422.01 lakh has already been incurred under this scheme.

Indira Awas Yojna

7.16 The Indira Awas Yojna is being financed from the earmarked 6 percent funds out of the total allocation under Jawahar Rojgar Yojna.Under this scheme houses are constructed for the scheduled caste and scheduled tribe families living below the poverty line.Houses for the freed bonded labourers are also constructed under this scheme. A sum of Rs. 14,500 is given to the beneficiaries as assistance for the construction of houses including facilities for sanitary latrines and smokeless chulhas.During 1990-91, 224 houses were constructed upto December,1990 against the target of construction of 351 houses. An amount of Rs 26.52 lakh has been incurred on the houses completed/under construction.

Smokeless Chullah programme

7.17 The objectives of this centrally sponsored scheme are saving of fuel, reducing of deforestation, reducing the pollution and to improve the health of rural women. Under this programme, smokeless chullahs are installed free of cost and training and awareness camps for rural masses are organised at State, district and block levels. Self employed workers are engaged for the installation of chullahs under this scheme. Upto December, 1990, 22,511 chullahs have been installed against the target of 50,000 chullahs for the year 1990-91.

Desert Development programme

7.18 This centrally sponsored scheme is in operation in Spiti sub-division of Lahaul and Spiti district and in the Pooh sub-division of Kinnaur district.This programme aims at the integrated development of the cold desert areas with special emphasis on increasing productivity income level and employment opportunities for the people of these areas.Under this programme preventive steps are taken to check the further deterioration of desert areas etc. During 1990-91 a provision of Rs. 250.00 lakh has been made for bringing 1,886.93 hectares under this programme against which 947.28 hectares have been covered with an amount of Rs.133.18 lakh upto December,1990.

Minimum Wages

7.19 Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act,1948 for the purpose of advising the State Government generally in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the employees in the 15 scheduled employments. On the recommendation of this Board, the State Government fixed/revised the uniform minimum rates of unskilled workers in all the 15 scheduled employments @ Rs. 20 per day or Rs. 600 per month w.e.f. 26.1.1990. Similarly, 11.11 percent increase was given to other categories such as semi skilled, skilled, highly skilled and other categories of workers on the wages which were applicable prior to 26.1.1990. Further, an increase of 25 percent and 12.5 percent over and above the minimum rates of wages is allowed to the persons engaged/working in the scheduled tribe areas and backward areas as notified by the Government respectively working in agriculture, construction or maintenance of roads and buildings, stone breaking or crushing and forestry and timber operations scheduled employments. Besides, 20 per cent increase over and above minimum rates of wages is also applicable to the workers working inside the tunnels. From 18.1.1991 5 more employments viz; (i)employment in private educational institutions, (ii)employment in breweries, distilleries and other incidental operations like bottling, (iii)employment

in cement factories and manufacturing of other cement products, (iv)employment in saw mills and (v)employment in manufacturing process as defined under section 2(k) of factories act,1948 have been included in the schedule of Minimum Wages Act,1948. Under the Bonded Labour System(Abolition)Act,1976 the State Government has constituted vigilance committees at the district and Sub-divisional levels besides a screening committee at the State level. The Pradesh Government has constituted a Labour Court and an Industrial Tribunal with headquarters at Shimla for adjudication of industrial disputes. Under the Industrial Disputes Act, 1947 an independent presiding officer of labour court/industrial Tribunal of the rank of District and Session Judge has been appointed.The Employees State Insurance Scheme is applicable in the areas of Solan,Parwanoo, Barotiwala,Baddi,Mehatpur and about 268 establishments/factories with an estimated employment of 13,173 workers were covered under the scheme as on 31st December, 1990. Similarly, 534 establishments with an estimated employment of 55,452 workers are covered under Employees Provident Fund Act,1952.

Industrial Relations

7.20 The problem of industrial relations has assumed considerable importance in the light of 20-Point Economic Programme . Conciliation machinery has been functioning in the Pradesh and has proved an important method for the settlement of industrial disputes and maintaining industrial peace. The functions of conciliation officers have been entrusted to the District Employment Officers in the field within their respective jurisdiction. Besides, the powers of conciliation officers have also been vested with the respective Labour Inspectors in respect of all those establishments in which the employment of workers does not exceed one hundred.The higher authorities intervene in cases where the conciliatory methods fail to bring about any amicable settlement.

8.PRICE SITUATION

8.1 Despite a favourable monsoon for the second year in succession, prices continued to be under pressure during 1989-90. The Wholesale Price Index(Base: 1981-82=100) rose, on a point to point basis, by 9.1 percent in 1989-90 as against 5.7 percent in previous year. The persistence of inflationary pressure during 1990-91 continues to be a cause of serious concern. The rate of increase in the Wholesale Price Index (WPI) on a point to point basis, during the current financial year so far(upto January 19,1991) was 10.1 percent compared with 7.3 percent in the corresponding period of previous year. On an average basis, the increase in WPI works out to be 9.5 percent during the above mentioned period of 1990-91 against 7.3 percent in the comparable period of 1989-90.

8.2 The movement of Index Numbers of Wholesale Prices during the last few years is as given in the table below:-

MOVEMENT OF WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS
(Base : 1981-82 = 100)

Year	Wholesale Price Index	
	Last week	Average of weeks
1982-83	107.2	104.9
1983-84	114.9	112.8
1984-85	121.8	120.1
1985-86	127.7	125.4
1986-87	134.2	132.7
1987-88	148.5	143.6
1988-89	156.9	154.3
1989-90	171.1	165.6
1989-90(20-1-90)	168.3	
1990-91(19-1-91)	188.3	180.5

8.3 Month-wise index numbers of wholesale prices during the last three years is given in the table below:-

Month	Wholesale Price Index Numbers (Base: 1981-82=100)		
	1988-89	1989-90	1990-91
April	150.0	158.4	172.9
May	150.7	160.3	174.3
June	152.2	161.6	176.9
July	154.4	163.6	179.3
August	154.5	166.7	180.2
September	154.3	168.3	180.9
October	156.0	168.3	183.3
November	155.7	167.3	184.3
December	154.9	166.3	185.4
January	155.8	168.0	187.9
February	155.9	168.8	
March	156.6	170.1	
Average	154.3	165.6	180.5
Average from April to January	153.7 (21.1.1989)	164.9 (20.1.1990)	180.5 (19.1.1991)

8.4 A measure of price stability is essential for substaining the momentum of growth ensuring equitable distribution of the benefits. Inflation hurts the poor most since their incomes are not indexed to prices. It also reduces the willingness to save in financial assets, encourages speculation and the generation of black money and distorts investment priorities. The containment of inflation in the current year and the past few years has been largely on supply management with food stocks and imports being used to check the upward pressure on prices of essential commodities.

8.5 The price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch and the prices were not allowed to increase much because the Food and Civil Supplies department of the Pradesh has been keeping constant vigil on the price situation and the essential consumer commodities were supplied to the public through a net work of 3,204 fair price shops. Further, in order to check hoardings and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption , the State Govt. is vigorously enforcing various orders/Acts. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities also continued during during the year so that effective measures could be taken in time to check undue price rise.

9.CIVIL SUPPLIES AND SOCIAL SERVICES

9.1 Besides foodgrains, controlled commodities such as levy sugar, controlled cloth, and edible oils,pulses,salt, tea,exercise books, stationery, coal/coke and kerosene oil, etc. were supplied to the people through the public distribution system during 1990-91.

Public Distribution System

9.2 The Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation has been established for wholesome procurement of essential commodities from the source and to make available the same through fair price shops for further distribution to the public. The Corporation is handling the distribution of essential commodities like pulses, levy sugar, controlled cloth, edible oils, salt, kerosene oil, wheat atta, rice tea, stationery, washing and toilet soap, torch cells, foot wear, match boxes etc. through a net work of 3,204 fair price shops. Out of 3,204 fair price shops as many as 2,564 fair price shops are being run by the Co-operative sector, 466 fair price shops by the individuals, 60 by Panchayats and 114 by the H.P. State Civil Supplies Corporation. From January, to November, 1990 the sales turnover of the State Civil Supplies Corporation reached a level of Rs.58.29 crore.

Storage and Preservation

9.3 For storage of Government foodgrains and other essential commodities, 45 godowns with storage capacity of 13,850 tonnes have been constructed at different places of the Pradesh. In addition, upto September, 1990, 5,920 tonnes capacity godowns have been hired from the private parties. The department of Food and Civil Supplies has also rented out 5,450 tonnes of capacity godowns to the Food Corporation of India and Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation. As many as 24 godowns with a capacity of 5,000 tonnes are under construction.

Levy Sugar

9.4 To arrange distribution of levy sugar to the card holders, the Government of India generally allots 2,019 tonnes of levy sugar to the Pradesh every month, but sometimes due to festivals etc. the State quota is increased by the Central Government. The levy sugar was made available to the consumers at the scale of 400 grams per head per month at the rate of Rs.5.25 per kg. During 1990-91 an amount of Rs. 1.50 crore has been provided for this purpose.

Edible Oils

9.5 Edible oils namely rapeseed oil and palm oil were continued to be supplied to the consumers through fair price

shops at the scale of 2 Kg. per month per ration card upto 5 members and 3 Kg. per month per ration card of more than five members. During 1990, the Govt. of India allotted 6,650 tonnes of edible oils to the State.

Controlled Cloth

9.6 During the year 1990-91, the Government of India allotted controlled cloth to the State for further distribution to the public. The Civil Supplies Corporation also distributed other common non-controlled cloth at their fair price shops. During 1990, 10.88 lakh meters controlled cloth was distributed to the public through fair price shops.

Iodized Salt

9.7 The Government of India allots annually 29,200 tonnes of iodized salt to the State. An amount of Rs. 2.00 lakh is expected to be spent as transport subsidy for the remote and inaccessible areas during the financial year 1990-91.

Liquefied Petroleum Gas

9.8 During the year 1990-91, 34 gas agencies were functioning at Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Hamirpur, 2 at Dharamsala, Palampur, Nurpur, Kullu, Keylong, Mandi, Sundernagar,Jogindernagar,,6 at Shimla, Rohru, Rampur,Theog, Nahan,Poanta-Sahib,2 at Solan,Parwanoo,Kasauli,Nalagarh,Una, Peo, Banikhet, Dehra and Yol cantt. In addition, 15 more gas agencies have been sanctioned at Amb, Sarkaghat, Nagrota Bagwan, Karsog, Narkanda, Suni, Chopal, Barsar, Damtal, Arki, Shimla town, Kaza, Pooh, Shahpur and Rajgarh and likely to start functioning shortly.

Diesel, Petrol and Kerosene oil

9.9 At present 69 petrol and diesel pumps are functioning in the Pradesh. In addition, 9 retail sales centres are proposed to be opened shortly. Besides, 6 T.K.D. at Peo, Shamshi, Kargha(Keylong), Chamba, Kaza and Pathankot continued functioning during 1990-91 for supplying kerosene oil to the tribal and far flung areas of the Pradesh. During 1990, the Govt. of India, allotted to the State 47,357 kilolitres of kerosene oil. An amount of Rs. 1.50 lakh and Rs. 0.30 lakh is earmarked to be spent as subsidy for Chamba and Dodra Kawar in Shimla district respectively.

Subsidy being given to Remote/Inaccessible Areas

9.10 During the year 1990 the Government continued supplying wheat to the public in far flung/inaccessible and backward areas of the Pradesh at subsidised rates. The Government has supplied wheat @ Rs. 269 per quintal in

Integrated tribal development project areas and @ Rs. 234 per quintal in subsidised areas and at the rate of Rs.249 per quintal plus sales tax in other areas.Wheat atta is also being supplied at the rate of Rs.266 per quintal in ITDP and subsidised areas and at the rate of Rs.276 per quintal in other areas of the Pradesh. Besides this, rice was also distributed in Dodra Kawar and Pandra Bees areas of district Shimla, Sargha and Kushwa areas of district Kullu, Beral and Mangal Panchayat areas of district Solan, and Bara Bhangal areas of district Kangra. For these areas, the entire transport charges exceeding Rs. 10 per quintal were borne by the State Government as subsidy. The Govt. of India allots 10,000 tonnes of wheat and 6,500 tonnes of rice to the Pradesh every month.

Special Facilities to the Students

9.11 Under the 20-Point programme,wheat atta and rice were supplied to the students residing in various educational hostels at concessional rate i.e. less by Rs.35.00 per quintal against the issue rates fixed by the Government of India for general public.

9.12 In order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Government is vigorously enforcing various Orders/Acts. During the calendar year 1990, as many as 29,995 raids/inspections were carried out, 9 cases were registered, 193 persons were given written warnings and 268 persons were punished under departmental action . An amount of security of Rs. 60,495 was forfeited and goods valuing Rs. 7,191 were confiscated. In addition, the State Govt. has constituted a consumer Redressal Forums at the State and district levels to solve the problems of consumers. The State level Consumer Redressal Forum received 30 complaints out of which 13 were disposed off, while the district level forum disposed off 143 complaints out of 311 complaints.

Antodaya Programme

9.13 Antodaya Programme was launched in Himachal Pradesh from 15th August,1990. The number of antodaya families is more then 90,000 in the first phase. Under this programme the antodaya families are provided wheat, rice and salt at subsidised rates. Wheat is supplied to these families at the scale of 4 Kg. per adult and 2 Kg. per child at the rate of Rs. 1.50 per Kg. and rice is provided at the scale of 1 Kg. per adult and 500 gram per child at the rate of 2.50 per Kg. Similarly, 1 Kg. salt per family is supplied at the rate of Rs. 0.25 per Kg.

9.14 During 1990-91 Rs. 200 lakh for non-tribal areas and Rs. 125 lakh for tribal areas have been provided for the purpose. During the current financial year 1990-91, 13,650

quintals of wheat was distributed and an amount of Rs. 18.11 lakh was spent as subsidy upto October,1990.

DRINKING WATER

9.15 Out of the total 16,807 inhabited villages according to 1981 census, 11,887 villages have been declared as problem villages and 4,920 as easy villages. Till 31st March,1990 as many as 15,255 villages viz.,10,780 problem villages and 4,475 easy villages had been covered under safe drinking water which accounted for an impressive achievement of 90.8 per cent. During 1990-91 it is proposed to cover 350 villages with drinking water supply facilities. During 1990-91 Rs. 23.08 crore under State sector, Rs. 6.30 crore under central sector and Rs. 3.92 crore under technology mission have been earmarked for providing rural water supply schemes. It is expected that the entire provision will be utilised by the end of the current financial year.

9.16. Though old drinking water supply schemes are in existence in all the towns of the Pradesh but these drinking water supply schemes are quite inadequate to cope with the present needs. Keeping in view the urgency of augmentation of water supply schemes in towns, and amount of Rs. 409 lakh has been provided under urban water supply scheme which is expected to be utilised fully by the end of the year. During 1990-91 a provision of Rs. 38 lakh was provided for sewerage and sanitation schemes.

EDUCATION

9.17 Literacy rate(percentage of literates to total population) in Himachal Pradesh according to 1981 census was 42.48 as against 31.96 in 1971. Rural/Urban differentials in literacy were wide in the State. Compared with 67.44 per-cent literacy rate for urban areas,it was 40.4 per cent for rural areas in 1981. Males/Females differentia in literacy were similarly wide. As against 53.19 per cent iteracy rate for males it was 31.46 per cent for females.

Primary Schools

9.18 During 1990-91, 100 primary schools were proposed to be opened. Out of these, 80 primary schools were opened upto 31 December,1990. With the opening of all he proposed schools the number of primary schools under the Government control would be raised to 7,548. Further with the opening of these new schools employment opportunities re expected to be provided to 200 J.B.T. teachers and part-time Water Carriers during 1990-91. Under the centr sponsored scheme 'Operation Black Board' a sum of Rs. 27 lakh has been provided for teaching and learning mater or primary schools.Under this scheme, 29 C.D. Blocks nsisting of 3,459 primary units have been covered in the ird phase. Under this scheme 931 JBT posts are pro ed e created for a single teacher primary school in th . Further

during 1990-91 an amount of Rs. 5.35 lakh has been provided for the students of tribal areas for free clothing, writing material and text books etc. In addition, new duree patti is being supplied to all the primary schools in Himachal Pradesh according to their full needs during 1990-91.

Middle Schools

9.19 During 1990-91, 18 middle schools were made functional in the Pradesh.

Secondary Education

9.20 During 1990-91, 15 high schools were made functional and science classes were started in 10 senior secondary schools.

Higher Education

9.21 During 1990-91, 27 Govt.colleges including 7 evening colleges of general education were functioning in the State. Besides, constituting State Council for Higher Education, State Council for Vocational Education, a task force for autonomous colleges was also constituted . There are three universities in the State. An amount of Rs. 44 lakh has been released as grant-in-aid to the H.P.University out of Rs. 60 lakh earmarked for the development programmes of the university during 1990-91.

Adult Education

9.22 Under this programme, 2,300 adult education centres and 305 Jan Shiksha Nilayam stand sanctioned in the State. During 1990-91 National literacy mission has been launched which includes (i)rural functional literacy programme, (ii)State adult education programme (iii)Jan shiksha nilayam (iv)Nehru yuvak kendras and (v)mass literacy programme with the involvement of students of schools and colleges. In addition, district Hamirpur has been adopted for complete eradication of illiteracy during 1990-91.

Integrated Education of Handicapped Children

9.23 Under this scheme, the centres for integrated education of handicapped children continued functioning during 1990-91. This facility is available at Shimla, Nahan, Dharamshala and Chamba.

Vocational Education

9.24 Introduction of vocational education at plus two stage is an integral part of new system of education. Vocationalisation of education continued in 25 senior secondary schools wherein training in (i)horticulture, (ii)accountancy and auditing, (iii)computer techniques,

(iv)repair and maintenance of domestic electric appliances, (v)electronic techniques and (vi)food preservation and processing is imparted.

Improvement of Science Education

9.25 Under this scheme, an amount of Rs.139.83 lakh has been released by the Govt. of India during 1990-91 for (i)supplying of science kits to middle schools, (ii)upgradation of science laboratories in high and senior secondary schools by providing science equipments, (iii)supplying of library books on science education to high /senior secondary schools and (iv)In-service training of science and mathematics teachers.

Educational Technology

9.26 Under this programme 2,039 radio-cum-cassette players were provided to 1,557 primary and 482 middle schools. 4,000 more primary schools and 580 more middle schools are also likely to be covered under this programme for which a grant of Rs.45.80 lakh has been received from the Govt. of India. In addition, 35 senior secondary schools were covered under class projects, 3 teachers training institutions were provided coloured TVs and VCR, 97 senior secondary schools and 49 high schools were provided black and white TVs under this programme.

Free Hostels

9.27 The Institution of free hostels in remote and backward areas has helped the spread of education and retention of children in schools.During 1990-91,23 such free hostels remained functioning in the State where in addition to free boarding and lodging facilities, a grant of Rs. 100 per annum is given to every hostlier for the purchase of books and stationery etc.

Scholarships

9.28 An amount of Rs. 167.96 lakh has been earmarked for the grant of various incentives/scholarships and stipends at various stages of education. From the year 1991-92, children of Antodaya families are proposed to be given scholarships @ Rs. 30/- per month with Rs. 100/- as grant for books and uniforms to the students of classes from 6th to 10th class, scholarships @ Rs. 50/- per month with Rs. 150/- as grant for books and uniform to the students of +1 and +2 classes. The students of above +2 classes and technical courses the sector of scholarships and grant will be the same which at present are applicable to the scheduled castes and scheduled tribe students.

Environmental Orientation to School Education

9.29 This scheme continued functioning during 1990-91. Under this Centrally sponsored programme,seminars, workshops comprising of book reviews, environmental awareness, curriculum review and work experience activities are held at various places. Nurseries are also proposed to be raised in the schools where basic facilities of land and water are available under this programme.

Teachers Training

9.30 Under this programme 6 JBT schools are functioning in the Pradesh. Besides, B. Ed training is being imparted in H.P. University and college of education at Dharamshala.

Technical Education

9.31 There are 4 Polytechnics, one Junior Technical School, 17 Industrial Training Institutes including one Institute for physically handicapped,& 14 IndustrialTraining Institutes for women are functioning in the Pradesh. The polytechnics conduct 3 years courses in civil, mechanical, electrical, automobile, architecture engineering and electronics and communications. Diploma Courses in Computer were started in Govt. Polytechnic Hamirpur and Govt. Polytechnic for Women at Kandaghat in January,1990.The Junior Technical School,Kangra imparts training to students in carpentry, machining, turning, fitting, welding, smithy, foundry and pattern making, etc. In I.T.Is., training in engineering and non-engineering trades is imparted. A Regional Engineering College at Hamirpur is functioning since 1987-88.

HEALTH AND FAMILY WELFARE

9.32 In Himachal Pradesh Health & Family Welfare department is providing services such as public health, control of communicable diseases, health education, family welfare, maternal and child health care through a net work of 39 civil hospitals, 18 community health centres, 17 rural hospitals,(Up-graded P.H.Cs), 190 primary health centres, 191 civil dispensaries, 1,851 sub-centres and 46 maternity and child health centres. Brief description of various health and family welfare activities carried out in the State during 1990-91 are as given below:-

(i)Rural health scheme:-Under this scheme, 4,716 Health Guides are engaged for providing better health care to the people in the State . They are also significantly contributing towards malaria surveillance, family welfare and immunisation activities.

(ii)National malaria eradication programme:-Under this programme, 3,177 fever treatment depots, 4,911 drug

distribution centres, 138 malaria clinics and 680 sections are functioning in the State. During 1990, 6,49,158 blood slides were collected and 6,30,021 were examined out of which 14,165 slides were found positive upto November,1990. There is 66.88 per cent increase in compound cases and 63.33 per cent decrease in PF cases upto November,1990 as compared to the corresponding period of last year.

(iii)Leprosy control programme:-This programme is being implemented in the State through 6 leprosy hospitals, 76 periphery clinics, and 15 survey-cum-education treatment centres having a provision of 232 beds. In addition, 20 bedded hospitalisation ward attached to Indira Gandhi Medical College, Shimla and 2 voluntary organisation hospitals at Subathu and Palampur are functioning for the purpose. Under this programme, 118 new cases were detected and 338 cases were deleted upto November,1990 against the target of 200 cases for the year 1990-91.

(iv)S.T.D. control programme:-Under this programme 71 S.T.,D. institutions most of which are located in the tribal and rural areas are functioning in the Pradesh. The zero positivity rate has declined to 0.93 per cent upto November,1990 as against 37.40 per cent in 1952. During 1990, 57,362 S.T.S. were done out of which 536 cases were found positive.

(v)National T.B. control programme:- Under this programme, 2 T.B. hospitals, 11 district T.B. clinics, 6 T.B. Sub-clinics and 1 T.B.-cum-domiciliary treatment centre having a provision of 713 beds were functioning in the State. Upto December 1990, 13,780 new cases were detected against the target of 15,000 cases and 39,616 sputums were examined against the target of 46,200 for 1990-91

(vi)B.C.G. programme:-Under this programme, against the target of vaccination of 1,32,600 for 1990-91, 80,170 vaccinations were done upto December 1990.

(vii)National programme for control of blindness:-Under this programme, 3,909 cataract operations were performed upto December,1990 against the target of 7,000 for 1990-91.

(viii)National family welfare programme:-Under this programme, 14,034 sterilisations and 24,134 I.U.D.insertions were done upto December,1990 against the target of 34,000 and 64,000 respectively. Besides, 58,353 C.C. users and 10,422 O.P. users were registered upto December,1990 against the target of 75,000 and 12,000 respectively. The Government has announced wide ranging incentives to the acceptors of small family norms and the institutions in order to popularise the programme among the people of the Pradesh. During the current year, the following additional incentives continued to be provided to the acceptors for the promotion of small family norm:-

(a) The parents who adopt sterilisation after one living female child will get cash award of Rs. 6,000

(b) The parents who adopt sterilisation after two female children will get cash incentives of Rs.5,000

(c) Cash award of Rs.500 for sterilisation after one living male child.

(d) Cash incentive of Rs.300 for sterilisation acceptor after two living children.

(ix)Maternal child health-cum-expanded programme on immunisation:- Under this programme, 10 districts have been covered under universal immunisation scheme. In these districts pregnant women with T.T. and infants with D.P.T., Polio, B.C.G. and measles vaccinations are covered. The progress made upto December,1990 and targets for 1990-91 under this programme is as given below:-

Item	Target (1990-91)	Achievement (upto Dec. 1990)
1.	2.	3.
1. T.T.(PW)	1,40,126	64,117
2. D.P.T.	1,32.600	72,187
3. Polio	1,32,600	72,140
4. B.C.G.	1,32,600	80,170
5. Measles	1,32,600	65,393
6. D.T.(5 years)	1,03,197	76,227
7. T.T.(10 years)	94,598	67,148
8. T.T.(16 years)	94,598	45,193
9. Prophylaxis against nutritional anemia among mothers and children		
(a)Mothers	1,12,100	1,35,408
(b)Children	1,95,900	1,54,851
10. Prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency:		
Children	1,65,800	1,50,998

(x)School health programme:-Under this programme,medical check up and immunization of the students with T.T. is undertaken and students suffering from any disease are referred to a nearby medical institution for treatment.

(xi)Medical college:-The Indira Gandhi Medical College,

Shimla had an intake capacity of 65 students during the year 1990-91. Indira Gandhi Hospital and Kamla Nehru Hospital, Shimla are associated with it for teaching and training purposes. With the establishment of this college, specialised services in medicines, surgery, OBG, skin, V.D. dentistry, ENT,. radiology, orthopaedic and opthalomology etc. are available to the general public. Besides the college also imparts training to nurses, radiographers, opthalmic assistants, OTA, laboratory technicians, pharmacist, dental, hygienists to cater to the needs of hospitals and dispensaries in the Pradesh. In addition, the Medical College is running 50 bedded mobile hospital to provide medical aid to the public in rural and difficult areas and field training to the interns to improve quality of under graduate students and trainee nurses.

Ayurveda

9.33 In Himachal Pradesh, treatment by Indian System of Medicine and Homeopathy,are providing services to the general public through 2 regional hospitals, 2 circle hospitals, 1 tribal hospital , 7 district hospitals, one nature cure unit, 522 ayurvedic dispensaries, 3 unani dispensaries and 2 homeopathic dispensaries. During 1990, 42,336 indoor and 38,03,724 outdoor patients were treated under this system. Besides, 2 Government ayurvedic pharmacies continued manufacturing classical medicines for supplying to the Government ayurvedic hospitals and dispensaries. Efforts are being made to augment the production capacity of these pharmacies. During the year 1990 as many as 98 classical medicines are proposed to be manufactured in these pharmacies. In addition, a research institute alongwith a clinical unit and an ayurvedic circle hospital is functioning at Jogindernagar. A Government ayurvedic college with an intake capacity of 20 students per year for B.A.M.S. degree is functioning at Paprola for providing ayurvedic education in the Pradesh. The institutions of the department of Indian System of Medicine remained associated with National Health Programme like Malaria-eradication, family welfare and immunisation etc. during the year under review. The ayurvedic institutions organised family welfare camps to motivate the eligible couples and camps for after care of operated cases.

Nutrition Programme

9.34 The special nutrition programme being implemented by the Social and Women"s Welfare Department aims at providing supplementary nutritive diet to the children below 6 years and expectant and nursing mothers belonging to poor sections of society. This programme is expected to benefit 1,32,100 children and 26,000 expectant and nursing mothers. The per unit cost of nutritious diet is 50 paise per child per day and 80 paise per mother per day.Besides, upto the

year 1989-90, 32 Integrated Child Development Services(ICDS) projects had been sanctioned for the Pradesh by the Govt. of India. The objectives of this scheme is to improve the nutrition and health status of children in the age group of 0-6 years to lay the foundation for proper psychological,physical and social development of the children to reduce the incidence of mortality morbidity, mal-nutritional and school dropout etc. and to achieve effective co-ordinated policy and its implementation amongst the various departments to promote child development. To achieve these objectives 6 services viz. immunization supplementary nutrition, health check up, referral services and nutrition education and non- formal pre-school education are being provided under the ICDS scheme. By the the end of current financial year, it is expected to cover about 1.9 lakh children and 36,000 women under this scheme.

Social Welfare and Welfare of Backward Classes

9.35 The Welfare Department of the State is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and infirm, handicapped,orphans, children, women, widows, and destitutes etc. Besides, the department is implementing a special nutrition programme for the expectant/nursing mothers and children in the age group 0-6 years to supplement their nutritional diet.The schemes for the welfare of women, children, old and infirms are covered under the head 'Social Welfare' and those for the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are being implemented under the head 'Welfare of Backward Classes.

Social Welfare

9.36 Social Welfare programme aims at the welfare of weaker sections of society like destitutes, infirms, physically handicapped and mentally retarded persons. To protect them from the social injustice and all other forms of exploitations, the government is running various institutions such as Bal and Balika Ashrams, Destitute homes, State homes. The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Old Age and Widow Pension

9.37 Under this scheme pension is provided to those persons who are 60 years old or above and have none to support them and their annual income does not exceed Rs. 2,000. The old age pension is given @ Rs. 60/- per month. In the revised pension rules the old age pension is also given to those persons having children also provided their monthly income does not exceed Rs 1,000.There is no age limit in the case of physically handicapped persons who are allowed this pension in the shape of disability relief allowance. Similarly, there is no age limit for the grant of

this pension to widows. The number of such pensioners in the Pradesh is 87,412 during the year 1990-91. All the lepers are being given rehabilitation allowance @ Rs. 60 per month with effect from 1st July,1988.

Child Welfare

9.38 With a view to look after the orphans, the semi orphans and destitute children etc.,the department is providing grant-in-aid for the running and maintenance of bal/balika asharms at Kalpa, Sarahan, Suni, Mashobra, Tutikandi(Shimla),Shimla, Kullu and Lahaul(Chamba) being run by the voluntary organisations. In these ashrams the inmates are provided with free boarding and lodging facilities and education upto metric standard. One children home which was established under Juvenile Act,1986 at Sundernagar for destitute and neglected children remained functioning during 1990-91. Besides, a special school-cum-observation home has been functioning at Haroli in Una district where delinquent juvenile upto the age of 18 years are kept.

Women Welfare

9.39 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes being implemented in this regard are as under:-

(i)State homes:- For destitute women and way-ward girls as many as 6 State homes at Chamba, Mandi, Shimla, Kangra, Kalpa and Bilaspur are being run by the Govt. Besides, one State home at Nahan is being run through the Indian Council of Child Welfare(ICCW). The inmates of these homes are provided free boarding and lodging facilities, and training in craft, tailoring and embroidery etc.to enable them to earn their livelihood when they leave these homes. For the rehabilitation of such women financial assistance upto Rs. 3,000 per women is also provided.

(ii)Working women hostels:- With a view to provide residential accommodation to the working women in towns and urban and rural townships the department constructed 12 working women hostels. These hostels were constructed by the voluntary organisations with the help of grant-in-aid @ 75 per cent from the Govt. of India and @ 25 percent from the State Govt.

(iii)Marriage grant to destitute girls: [illegible]der this programme, marriage grant upto Rs. 2,[illegible] is being given to the parents/guardians of the [illegible] or to the girl herself provided their annual inc[illegible] does not exceed Rs. 7,500. During 1990-91, a pro[illegible]n of Rs. 1.00 lakh has been kept for this purp[illegible] and about 40 girls are likely to be benefited.

(iv)Assistance for self-employment to women:- Under this programme assistance is given upto Rs. 1,000 to those women whose annual income does not exceed Rs 6,000 and possess knowledge of any particular trade or have got training/diploma in that particular trade During 1990-91, Rs.1.00 lakh has been provided for the purpose and about 100 women are likely to be assisted.

(v)Women Development .Corporation:- With a view to provide financial assistance to women for various trade purposes, a women development corporation has been set up in the Pradesh. During 1990-91,a sum of Rs.13.00 lakh has been provided to the Corporation.

Welfare of Handicapped

9.40 Under this programme, Rs. 0.55 lakh has been provided for the welfare of handicapped, under the scheme 'Artificial Limbs to Handicapped'. Besides, scholarships are also given to the handicapped persons. Further, vocational training is imparted to the handicapped persons with a view to train them in various trades to enable them to earn their livelihood. Marriage grant of Rs. 5,000 is given to those who marry handicapped persons and a provision of Rs. 50,000 has been provided for the current financial year for this purpose. Further, a sum of Rs. 55,000 has been provided under self employment for handicapped scheme.

Welfare of Backward Classes

9.41 Under this programme, the following schemes were implemented during 1990-91:-

(i)Technical scholarships:- Under this scheme, trainees of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes getting training in I.T.Is., R.I.T.Is. and cluster centres etc. are given technical scholarships @ Rs. 100 per month per trainee. During 1990-91, a sum of Rs. 14.10 lakh has been provided in the budget and 1,175 trainees will be benefited.

(ii)Follow-up programme:- Under this scheme,tools and equipments are given to the trainees who have qualified in various trades from I.T.Is or any other institution. Trained artisans are also covered under this scheme. About 1,070 persons are expected to be benefited with a provision of Rs. 5.35 lakh during 1990-91.

(iii)Award for inter-caste marriage:- With a view to remove the practice of untouchability,an award of Rs. 6,000 per couple is given where the girl belongs to

swarn caste and Rs. 5,000 per couple where the girl belongs to scheduled caste. During 1990-91, a sum of Rs. 2.25 lakh has been provided and about 42 couples are likely to be benefited.

(iv)Housing subsidy:- Under this scheme, the members of scheduled castes and scheduled tribes are given subsidy upto Rs. 5,000 per family in snowbound areas and upto Rs. 4,000 per family in other areas for house construction purposes. Further, 50 per cent of the aforesaid limit is granted to the members of this caste for the repair of houses. During 1990-91, an amount of Rs. 30.10 lakh has been provided and about 703 families are likely to be benefited.

(v)Drinking water supply scheme:- Under this scheme, small drinking water supply schemes were undertaken for both swarn and scheduled castes in the villages with concentration of scheduled castes and not covered by the schemes of Public Health department. During 1990-91, a sum of Rs. 8.50 lakh has been allocated and about 71 panchayats are likely to be benefited.

(vi)Proficiency in typing and shorthand:- Under this scheme, ex-trainees of scheduled castes and scheduled tribes are posted in various offices to enable them to maintain their proficiency in shorthand and typing. The list of such trainees is obtained from the employment exchanges and then some of these trainees are posted in different offices. These trainees are given stipend @ Rs. 300 per month for a period of one year or till they get suitable job. 20 trainees are likely to be benefited under this scheme with an amount of Rs. 0.70 lakh during 1990-91.

(vii)Compensation to victims of atrocities on scheduled castes families:- Under this scheme, monetary relief is granted to those scheduled castes families who become victims of atrocities committed by the members of other communities due to cast consideration. During 1990-91, a provision of Rs. 0.70 lakh has been made for this purpose.

(viii)Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation:- For the economic development of scheduled castes and scheduled tribes in the Pradesh, a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation has been set up. This Corporation undertakes various loaning programmes in collaboration with banks. During 1990-91,an amount of Rs. 35 lakh has been earmarked as State share.

(ix)Environment/improvement of harijan basties:- Under this scheme financial assistance is given to

the panchayats for providing pucca streets/drains etc. with a view to improving the living and environment conditions of the inhabitants of scheduled caste basties. During 1990-91, a provision of Rs.3.75 lakh has been made and 38 villages are likely to be covered.

Tribal and Scheduled Castes Development

9.42 An in-depth review of the tribal situation on the eve of the Fifth Plan revealed that the scheduled tribes by and large continued to remain socially and economically backward. Hence, the concept of tribal sub-plan was evolved for accelerated socio-economic development of tribal areas beginning 1974-75. The tribal sub-plan strategy comprised identification of development blocks with 50 per cent or more scheduled tribes population earmarking funds for the tribal sub-plan from the Central and State plan sectorial outlays and financial institutions and supplementation thereof from the Central pool of special central assistance and creation of appropriate administrative structures in tribal areas and adoption of appropriate personnel policies.

9.43 The tribal areas in the State are the districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti and Pangi and Bharmaur tehsils and sub-tehsil Holi of Chamba district. In the 6th Plan Modified Area Development Approach(MADA) was devised to cover the dispensed scheduled tribes population under sub plan treatment and two pockets of tribal concentration, viz. Chamba and Bhattiyat were identified. In the sixth plan, emphasis also shifted from welfare to family and beneficiary oriented development schemes within the general programmes. Together with tribal areas, 63 percent of the scheduled tribes population was covered under sub-plan treatment. For the 8th Plan, the basic premise continues to hold good. The State Plan flow to the Tribal Sub-Plan had been 8.62 percent for the 6th plan and that targeted for the 7th Plan is 9 percent and the actual achievement had been 8.78 per cent. During 1990-91, in the annual state plan size of Rs. 360.00 crore,the State Plan flow to the Tribal Sub-Plan was Rs. 32.40 crore and Special Central Assistance Supplementation was Rs.3.57 crore. The Special Central Assistance received for the tribal pockets was Rs. 0.099 crore.The highest priority was accorded to the Economic Services sector. The scheduled tribes outside the tribal areas and tribal pockets were brought under the sub-plan treatment for the first time in 1987-88 when special central assistance benefit was extended to them that received for 1990-91 was Rs. 0.154 crore.

Scheduled Castes Development

9.44 According to the 1981 census, 10.54 lakh were scheduled castes in the Pradesh. Unlike the Tribal Sub-Plan which is area based, scheduled caste population being highly

scattered, individual/family/habitat oriented schemes/ programmes which have been devised for the scheduled castes includes (i)to improve resource availability with them in order to improve productivity,(ii)to make these profession less disgraceful and (iii)to ensure the spread of education so that they could attain both vertical and horizontal mobility in employment and general improvement in their living environment and other socio-economic development. During the 7th Plan, against the all-India 8.27 percent State Plan investment under the Special Component Plan for Scheduled Castes, the actual achievement has been of the order of 11.19 per cent. These efforts have been supplemented by the Ministry of Home Affairs(now Welfare)by way of Special Central Assistance. For the Eighth Plan period State Plan earmarking has been reckoned at 11 percent of the overall State Plan size irrespective of its divisible' and 'indivisible', components. For 1990-91, the Special Component Plan size was Rs. 44.18 crore(State Plan Rs.42.05 crore and Special Central Assistance Rs.2.13 crore).

9.45 District level Implementation and Review Committees are constituted in each district(except Kinnaur and Lahaul Spiti) with the Deputy Commissioner as its chairman to periodically review and monitor the implementation of the Special Component Plan at the district level. In order to have an objective assessment evaluation studies have been got conducted from the Himachal Pradesh University, Shimla and the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur for taking corrective measures wherever required.

9.46 Under point 11 of the 20 point programme-1986, the target of assisting 17,206 scheduled castes and scheduled tribes families during 1990-91 was achieved to the extent of 13,252 upto December,1990.

10. TRADE AND COMMERCE

Commercial Banking

10.1 There was an increase of 8.5 percent in the number of banking offices of all scheduled commercial banks as their number was 657 and 713 as on June 1989 and June,1990 respectively. Kangra district accounted for 145 banks(20.3 per cent) followed by Shimla district 110 banks(15.4 per cent) in the State. The programme of expansion of branches in the rural and semi-urban areas was continued in 1990 and the number of branches in the rural areas stood at 635 which accounted for 89.1 per cent of the total banking offices in the State. When related to population the average population per bank office for the State has decreased to 6,937 in June,1990 from 7,407 in June,1989.

10.2 Aggregate deposits of the scheduled commercial banks in the Pradesh increased from Rs.1,049.94 crore in June,1989 to Rs. 1,218.25 crore in June,1990 or by about 16 per cent.Gross bank credits increased from Rs.369.83 crore in June,1989 to Rs.473.63 crore in June,1990 or by about 28.1 per cent. The credit deposit ratio for the state was 38.9 per cent in June,1989 as against 35.2 per cent in June,1989, though 89.1 percent of the bank offices in the state were located in rural areas. They accounted for 67.5 per cent credits and 69.8 per cent deposits. Kangra district accounted for 24.8 per cent of deposits and 13.1 per cent of credits and Shimla district accounted for 23.3 per cent of deposits and 25.5 per cent of credits of the scheduled commercial banks in the State in June,1990.

10.3 The outstanding credit of all scheduled commercial banks stood at Rs.285.63 crore at the end of June,1987 which is 15.2 per cent lower than that of June,1986 which was Rs.336.63 crore. Latest data on outstanding credits by scheduled commercial banks according to sectors is available for the period ending June,1986 and June,1987. Most sectors recorded decrease in outstanding credit between June,1986 and June,1987. Table below gives the data on outstanding credit to important sectors by scheduled commercial banks on last Friday of June,1986 and June,1987:-

Distribution of Outstanding Credit to Important Sectors by Scheduled Commercial Banks in Himachal Pradesh

(Rs. in crore)

Sector	Bank credit as on last Friday of				Percentage increase(+) or decrease(-) in 1987 over 1986
	June 1986		June 1987		
	Out standings	Percentage to total	Out standings	Percentage to total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Agriculture and Allied activities	56.59	16.81	56.78	19.88	0.34
2.Mining and Quarrying	4.24	1.26	0.56	0.20	(-)86.79
3.Manufacturing Industry	127.99	38.02	99.58	34.86	(-)22.20
4.Electricity	0.53	0.16	1.01	0.35	90.57
5.Construction	0.50	0.15	0.37	0.13	(-)26.00
6.Transport Operator	39.92	11.86	38.61	13.52	(-) 3.28
7.Personal and Professional Services	14.43	4.29	12.86	4.50	(-)10.88
8.Personal Loans	15.78	4.69	10.90	3.82	(-)30.97
9.Trade	56.27	16.71	42.98	15.05	(-)23.62
10.Others	20.38	6.05	21.98	7.69	7.85
Total Bank Credits	336.63	100.00	285.63	100.00	(-)15.15
Of which Small Scale Industry	64.72	19.23	45.86	16.06	(-)29.14

Co-operative Banks

10.4 The H.P. State Co-operative Bank also gives banking facilities to the public in the State. Branch offices including head office were 79 in June,1990. The estimated population per bank office (commercial and co-operative banks together) was 6,245 in June,1990. The

deposits of the Cooperative bank were Rs.13,284.56 lakh in June,1990 as against Rs.11,129.00 lakh in June,1989 showing an increase of 20 per cent.

11. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Roads

11.1 Economic and social development of Himachal Pradesh depends mostly on efficient system of communications. Roads are the life line of the people of the State as there are practically no other means of transport and communications. Therefore, very high priority has been accorded to the programmes of road construction. For the year 1990-91, an outlay of Rs. 33.25 crore including Rs 4.50 crore under Special Component Plan and Rs 4.00 crore for Tribal Sub Plan under State sector was approved for the construction of roads and bridges. The target fixed for 1990-91 and achievements made upto October,1990 has been given under:-

Item		Unit	Target for 1990-91	Achievement upto Oct., 1990
1.		2.	3.	4.
1.Motorable	..	Km.	230	135
2.Cross-drainage	..	-do-	100	30
3.Metalling and tarring	..	-do-	1[illegible]0	107
4.Bridges	..	No.	30	9
5.Jeepable	..	Km.	25	12

National Highways

11.2 A sum of Rs. 1100.00 lakh was allocated by the Government of India for the improvement of national highways comprising a total length of 724 Km. falling in Himachal Pradesh out of which Rs. 385.50 lakh were spent upto November,1990.The works under this scheme include widening of national highway 22 from Shimla to Wangtu, construction of Barog by-pass, initiation of works for upgradation of Pathankot-Chakki-Mandi road which has recently been designated as national highway 20. In addition, an amount of Rs. 436.23 lakh has also been made available by the Govt. of India for normal maintenance of national highways and restoration of flood/rain damages. Works [illegible] all these aspects are being made vigorously.

Strategic Roads

11.3 The Ministry of Transport, Gov[illegible] of India allocated a sum of Rs. 143.28 lakh for the [illegible]ion of Mukerian-Talwara-Nurpur road to [illegible] der the strategic roads programme during 1990-91.Up[illegible]ber,1990, a sum of Rs.116.84 lakh was [illegible]lised and [illegible] remaining

amount is likely to be spent by the end of year 1990-91. Under this scheme, double lane cutting in 100 Kms., single lane cutting in 3.5 Kms., barring in 9 Kms. double lane, metalling and tarring in 7 kms. and cross drainage in one Km. has been already been done. Besides construction work on bridges on Gurail khud and Chakki khud are in progress.

Buildings

11.4. The Public Works department executes the building construction programme of all the departments both under residential and non-residential sectors. The buildings which have been completed or are under construction include (i)State guest house premises,Shimla (ii)Bus stand,(iii)Civil Secretariat, Armsdale building,(iv)Udyog Bhawan,(v)Medical College, (vi)Regional hospital, Dharamshala, and (vii) Mini Secretariat at Mandi etc. Under the award of Nineth Finance Commission separate allocation for building construction has been made. Upto October,1990, 27 buildings have been constructed under this award. Every effort is being made to complete the construction work of the remaining buildings under this award before 31st March,1991. In addition, the department constructed 21 residential and 1 non-residential buildings upto October,1990.

Railways

11.5 The length of railway routes in the State remained at 209 km. as on 31st March,1990. There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka(96 km.)and Jogindernagar with Pathankot(113 km.). During 1990-91 Himachal Pradesh has been brought on the broad gauge net work of the Indian Railways in January,1991 with the commissioning of the 16 Kms. Nangal dam-Una railway line.

Civil Aviation

11.6 Prior to the Seventh plan there was only one airstrip in Himachal Pradesh at Bhuntar in Kullu valley. During Seventh plan period two airports namely Shimla at Jubbar-Hati and Kangra at Gaggal were taken in hand. The Shimla airport was made operational in May,1987 and Kangra airport in May, 1990. With the construction of the airports, Kangra and Shimla valleys have been connected by air with the rest of the country. Presently the helipads are available at Dodra Kawar, Kaza, Keylong, Killar, Rohru, Bankuffar, tabo, Chharabra, Rampur and the construction works at Bharmaur, Chamba, airstrip at Rangrik are in progress. The work of extension of runway of Shimla airport at Jubbar-Hati has almost been completed and it might be possible to land aircrafts of higher capacity at this airport.

Road Transport

11.7 In the absence of any other mechanised mode of transport such as railways, air and waterways which are almost negligible in the Pradesh,the Himachal Pradesh Road Transport Corporation(H.R.T.C.)was established with a view to provide coordinated, organised, efficient and effective road transport services throughout the Pradesh and also on joint routes with neighbouring States/Union Territories. The passenger transport in the State is mainly nationalised especially in areas constituting old Himachal.

11.8 There was a fleet strength of 1,503 buses with the H.R.T.C. on 31st March,1990 as compared to 1,379 buses in March,1989. The present strength of the H.R.T.C. is 1,528 buses. As on 31st March, 1990, the H.R.T.C. buses were operating on 1,342 routes as against 1,207 routes as on 31st March,1989.

Kilometrage Covered

11.9 As on 31st March,1990, 2.58 lakh operational kilometers per day were covered by the Corporation buses as compared to 2.34 lakh kilometers per day as on 31st March,1989.

11.10 There are 20 operating units and three Divisional level Offices functioning in the Pradesh. In addition two divisional workshops at Shimla and Mandi for the repair and maintenance of buses are functioning. Besides, an unique modern workshop is functioning at Jessore in Kangra District.

12. CO-OPERATIVE MOVEMENT

12.1 The number of Cooperative societies in the State has increased by 3 per cent as the number of cooperative societies increased to 3,956 during 1989-90 from 3,841 in 1988-89 and their paid-up share capital increased by 8 per cent as it increased to Rs. 3,966.17 lakh in 1989-90 from Rs. 3,671.86 lakh in 1988-89. The deposits of these societies increased to Rs. 28,250.83 lakh from Rs.21,688.48 lakh in 1988-89 i.e. by 30 per cent. The short-term and medium-term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits) during the year 1989-90 increased to Rs. 4,431.63 lakh from Rs. 4,380.93 lakh in 1988-89 thereby showing an increase of 1.2 per cent whereas long-term loans advanced decreased to Rs. 290.65 lakh upto 31.3.90 from Rs. 354.68 lakh upto 30.6.89. The increase in the working capital in 1989-90 over the earlier year i.e. 1988-89 was 16.7 per cent. The table below gives the progress of the co-operative movement in the Pradesh for the last two years:-

Progress of Co-operative Movement

(Rs. in lakh)

Sr. No.	Item	1988-89	1989-90	Percentage increase over 1988-89
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Number of Societies	3,841	3,956	3.0
2.	Membership(in lakh)	9.56	9.85	3.0
3.	Share capital	3,671.86	3,966.17	8.0
4.	Deposits	21,688.48	28,250.83	30.0
5.	Total short term and medium term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits)	4,380.93	4,431.63	1.2
6.	Long term loans advanced	354.68	290.65 (upto 31.3.90)	
7.	Value of agricultural produce marketed	2,026.27	3,575.90	76.5
8.	Retail distribution of:			
	(i)Consumer articles	7,025.42	7,109.87	1.2
	(ii)Agricultural inputs	1,065.54	1,200.79	12.7
9.	Coverage of rural population (percent)	97	100	3.0

A brief account of the important programmes of the co-operative societies is given below:-

Co-operative Credit

12.2 Long term finances are being provided by the Himachal Pradesh Agriculture Rural Development Bank Ltd.

Shimla and the Primary Agriculture Rural Development Bank Ltd., Dharamshala. These banks advance long-term loans to the farmers for various agricultural purposes.

Marketing

12.3 There exists auction system of co-operatives for marketing surpluses of cash crops like seed potato, tea, ginger, apple, etc. in the Pradesh.

Distribution of Consumer Goods

12.4 Primary co-operative societies function as an effective agency for the distribution of essential commodities of mass consumption in the Pradesh including the remote and tribal areas of the Pradesh.

Supply of Inputs

12.5 The co-operative societies are also engaged in the important task of supplying agricultural inputs viz. fertilizers, improved seeds, etc. to the farmers.

13. LOCAL BODIES

13.1 In a country like India which is wedded to the concept of democratic way of life, the Panchayats at the grass-root level have to play a vital role in shaping the rural economy. Strengthening of these grass-root level democratic institutions is, therefore, very essential. Maximum utilisation of human and material resources in rural areas is possible only if there is fuller and active involvement of Panchayati Raj Institutions in the process of both formulation and implementation of plans.

13.2 In Himachal Pradesh,three tier system of Panchayati Raj has been established under Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1968. Under this system, Gram Panchayats at the village level, Panchayat Samities at Block level and Zila Parishads at district level have been established. At present, there are 2,597 Gram Panchayats, 69 Panchayat Samities and 12 Zila Parishads in the Pradesh.

13.3 During 1990-91,schemes like (i)construction/repair of panchayat ghars, (ii)assistance to panchayat libraries, (iii)loans for creation of remunerative assets,(iv)grant-in-aid for municipal functions to panchayats (v)construction of panchayat training institute buildings, (vi)construction/repair of panchayat samiti/zila parishad buildings (vii)matching incentive grant equal to collection of house tax and (viii) honorarium to gram panchayat Pardhans/Uppardhans and Panchayat samiti Chairman/Vice Chairman were implemented

Municipal Bodies

13.4 At present there are 50 urban local bodies in the Pradesh including Municipal Corporation, Shimla. Due to limited sources of income of these urban local bodies, the Government has been sanctioning grant-in-aid every year to enable them to provide civic amenities to the public. During 1990-91, a sum of Rs. 176.10 lakh(Rs. 69.00 lakh under plan and Rs. 107.10 lakh under non-plan)has been provided in the budget which is being sanctioned as grant-in-aid to these urban local bodies for maintenance and upkeep of developmental works in the urban areas.

13.5 Due to abolition of octroi from April,1982, the Government has been giving grant-in-aid to the urban local bodies which have been deprived of their major source of income for sustaining their normal activities and to ensure normal functioning of local bodies. During 1990-91, an amount of Rs. 275.00 lakh has been provided for the purpose. Under the protection of Civil Rights Act,1955, a scheme namely conversion of dry latrines into hand flush system is being maintained under the centrally sponsored scheme in 13 towns of the Pradesh. This scheme was started in Municipal Corporation Shimla during 1983-84 which was

further extended to six more towns and in 1987-88 it was extended to five more towns. 50 per cent share of this scheme is given by the Central Govt. as subsidy and 50 per cent share is borne by the State Government as loan. During the year 1990-91, an amount of Rs. 30.00 lakh have been provided under the scheme and upto December,1990, 430 dry latrines have been converted into hand flush system. In addition, 3 scavengers have been liberated from this demeaning trade by incurring an expenditure of Rs. 5.21 lakh for their rehabilitation.

13.6 Urban Basic Services have been started in five towns of Una district with UNICEF assistance. 40 per cent share of this scheme is borne by the State Govt., 40 per cent by the UNICEF and 20 per cent by the Central Govt. The main objective of this scheme is to look after the health and all-round development of women and children in backward areas of these towns. Efforts are being made to provide employment to the un-employed youths in the urban areas under the Nehru Rojgar Yojna.

13.7 During 1990-91, the details of amount allocated as grant-in-aid to the urban local bodies for carrying out developmental activities are as per table given below:-

(Rs. in lakh)

Head of Account	Plan	Non-Plan	Total
1.	2.	3.	4.
3054-Roads and Bridges	10.00	45.00	55.00
2215-Water Supply	10.00	17.10	27.10
2217-Urban Development	49.00	45.00	94.00
Total	69.00	107.10	176.10

14. SPECIAL STUDY

14.1 The Third Economic Census was carried out throughout the country by the Govt. of India, in collaboration with the Directorates of Economics and Statistics of the States to provide information on both agricultural and non-agricultural sectors of the economy. Enterprises engaged in crop production and plantation were excluded from its purview.The field work of this census was synchronised with the houselisting operations of the 1991 population Census as it was considered economical and expedient to organise this census with population census. An enterprise for the purpose of Economic Census was defined as the one engaged in production and/or distribution of goods or services, not for the sole purpose of own consumption. The items of information collected in Third Economic Census included location of enterprise, nature of operation, type of ownership, social group of owner, power/fuel used for carrying on the activity and the total no. of workers including hired workers usually working in the enterprise.

Background

14.2 Three Economic Census have so far been conducted in Himachal Pradesh. The first covering non-agricultural establishments (enterprises engaging at least one hired worker on a fairly regular basis) was carried out in Himachal Pradesh during 1977. This was followed by two sample surveys, one in 1978-79 relating to unorganised manufacturing enterprises and the second in 1979-80 was devoted to trade, transport, hotels and restaurants, storage and warehousing and services.

14.3 Taking advantage of the field agencies deployed by the Registrar General of India(RGI) for houselisting operations, second Economic Census was conducted in 1980 alongwith the houselisting operations of 1981 population Census with increased scope and coverage. It covered all enterprises(own account enterprises and establishments) in agricultural and non agricultural sectors excluding those engaged in crop production and plantation.

14.4 The third Economic Census has now been conducted in the state during 1990 with the houselisting operations of the population census 1991.

Operations

14.5 The Registrar General and Census Commissioner of India, and the State Directors of Census Operations were responsible for the organisation and coordination of the field work. The overall responsibility for technical guidance and tabulation of Economic Census data rested with the Central Statistical Organisation, Govt. of India, in collaboration with the Directorates of Economics and

Statistics of the States. A common intensive training programme was carried out for houselisting operations of the population census and covering enterprise list of Economic Census at the State, District and Sub-Divisional levels jointly by the Directors of Census Operations and Directors of State Statistical Bureaus.

Quick results of Third Economic Census-1990

14.6 The quick results of the third Economic Census has revealed that there were about 1.80 lakh enterprises in the Pradesh engaged in different economic activities(other than crop production and plantation) providing employment to 4.58 lakh persons usually working in them, of which 4.02 lakh(87.8 per cent) were males and the rest 0.56 lakh(12.2 per cent) were females. Of the total enterprises, 1.45 lakh(80.2 per cent) were located in rural areas and the remaining 0.35 lakh(19.8 per cent) were in urban areas. There were 1.25 lakh(69.4 per cent) own account enterprises i.e. the enterprises owned and operated by household workers only. The remaining 0.55 lakh constituting 30.6 per cent were establishments i.e. enterprises which employed at least one hired worker on a regular basis.

14.7 It was also revealed that out of 1.45 lakh enterprises located in rural areas 1.36 lakh(93.8 per cent) belonged to non-agricultural sector and the remaining 0.09 lakh(6.2 per cent) to agricultural sector. Out of 1.45 lakh enterprises in the rural sector 1.04 lakh(71.7 per cent) were own account enterprises and the rest 0.41 lakh(28.3 per cent) were establishments which employed one or more workers.

14.8 In urban areas 99.0 per cent of the total enterprises were in non-agricultural sector and the remaining 1.0 per cent were in agricultural sector. Among 0.35 lakh enterprises 0.21 lakh(59.2 per cent) were own account enterprises and the rest 0.14 lakh(40.8 per cent) were establishments.

14.9 The average number of workers worked out to be 2.54 workers per enterprise. The enterprises located in rural areas provided employment to 65.5 per cent of the total workers. Similarly, in urban areas of the state, the percentage of workers engaged in agricultural and non-agricultural enterprises was 34.5.

14.10 Hired labour constituted a sizable percentage of the total number of persons working in the enterprises, they numbered about 2.82 lakh(61.6 per cent) of the total employment. Out of these 2.82 lakh hired workers 1.63 lakh were employed in rural enterprises and the remaining 1.19 lakh in the urban enterprises.

14.11 The summary of quick results of Economic

Census of Himachal Pradesh is given in the table-1.

Table-1

Summary of Provisional Results of Third Economic Census
Himachal Pradesh

(Number)

Items	Rural	Urban	Total
	2.	3.	4.
1. All enterprises			
(a)total	144735(80.23)	35674(19.77)	180409
(i)agricultural	8484(96.00)	353(4.00)	8837
(ii)non-agricultural	136251(79.41)	35321(20.59)	171572
(b)Persons usually working in enterprises			
(i)total	299781(65.49)	157980(34.51)	457761
(ii)male	263013(65.42)	139018(34.58)	402031
(iii)female	36768(65.98)	18962(34.02)	55730
2. Own account enterprises			
(a)total	103466(83.05)	21113(16.95)	124579
3.Establishments			
(a)total	41269(73.92)	14561(26.08)	55830
(b)hired workers			
(i)total	163003(57.87)	118686(42.13)	281689
(ii)male	139542(57.66)	102454(42.34)	241996
(iii)female	23461(59.11)	16232(40.89)	39693
4.Principal characteristics of all enterprises			
(i)operating without premises	12175(86.23)	1945(13.77)	14120
(ii)perennial	127113(78.49)	34831(21.51)	161944
(iii)owned by private	112983(78.86)	30287(21.14)	143270
(iv)working without power	95771(77.87)	27222(22.13)	122993

Note: Figures in brackets indicate percentages.

14.12 Out of the total of 1.80 lakh enterprises in rural and urban areas of the State,the number of perennially operating enterprises was 1.62 lakh (90.0 per cent), without premises 0.14 lakh(7.8 per cent), and 0.57 lakh(31.67 per cent) enterprises operated with power/fuel.

14.13 It was observed that there were 31 enterprises per 1,000 population in the State. The number of enterprises per 10 Sq. Kms. of area in the State was 32.

Comparison with Second Economic Census

14.14 The quick results of third Economic Census 1990 when compared with the results of second Economic Census 1980 bring out the position as under:-

Table-2
No. of enterprises and persons usually working
-Himachal Pradesh

All/ Rural/ Urban	No.of enterprises		Percentage increase	Number of persons usually working		Percentage increase
	1980	1990(P)		1980	1990(P)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
All	139342	180409	29.47	344333	457761	32.94
Rural	115426	144735	25.39	235841	299781	27.11
Urban	23916	35674	49.16	108492	157980	45.61

P=Provisional

14.15 The district-wise position about number of enterprises and the employment provided by them is depicted in the following table:-

Table-3
District-wise number of enterprises and persons usually working

State/ District	Number of enterprises		Persons usually working	
	1980	1990(P)	1980	1990(P)
1.	2.	3.	4.	5.
Himachal Pradesh	139342	180409	344333	457761
1.Chamba	12405	12724	29632	29475
2.Kangra	30999	39711	66974	87739
3.Hamirpur	9054	12914	18362	26169
4.Una	9795	13209	22002	33038
5.Bilaspur	6410	9911	15304	21736
6.Mandi	21238	25935	50383	53891
7.Kullu	8408	11340	16719	23417
8.Lahaul-Spiti	1305	1928	3225	4629
9.Shimla	17870	22820	58388	83755
10.Solan	10025	13134	29152	51514
11.Sirmaur	10523	12982	24984	32872
12.Kinnaur	1910	3801	9208	9526

P=Provisional

14.16 So, according to the provisional results of Third Economic Census,1990, there is an increase of 29.47 per cent of the number of enterprises over the decade. Similarly, the increase in the number of persons usually working in these enterprises in the State works out to 32.94 per cent(rural sector 27.11 and urban 45.61 per cent).

PART-II

STATISTICAL TABLES

CONTENTS

Table			Page
1.	Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh	..	2
2.	District-wise Area,Population, Density & Number of Households	..	2
3.	Distribution of Population by Workers and Non-Workers	..	3
4.	Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry and other Workers	..	3
5.	Handicapped Population of Himachal Pradesh	..	4
6.	Projected Population of Himachal Pradesh	..	4
7.	Production of Principal Crops	..	5
8.	Index Numbers of Area under Principal Crops	..	6
9.	Index Numbers of Agricultural Production of Principal Crops	..	7
10.	District-wise Number and Area of Operational Holdings,1985-86	..	8
11.	Livestock, Poultry and Agricultural Implements	..	8
12.	Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce	..	9
13.	Area under Forests	..	9
14.	Co-operation	..	10
15.	Generation and Consumption of Electricity	..	11
16.	Area under Fruits	..	12
17.	Production of Fruits	..	12
18.	Himachal Pradesh Government Employees	..	13
19.	Employment Exchange Statistics	..	13
20.	Education	..	14
21.	Medical and Public Health	..	15
22.	Roads	..	16
23.	Nationalised Road Transport	..	16
24.	Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh	..	17
25.	All-India Index Numbers of Wholesale Prices	..	18
26.	Plan Outlays	..	19
27.	Incidence of Crimes	..	25

Units of measurements and symbols used in the brochure

Metric unit		Equivalent to old unit
One kilometre	..	0.62137 mile
One hectare	..	2.4710? acres
One litre	..	0.22102 gallon
One quintal	..	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	..	0.98420 ton
One cubic metre	..	35.37319 cubic feet

Symbols used-

.. Not available

\- Nil or negligible

P Provisional

R Revised

TABLE-1

SALIENT FEATURES OF POPULATION CENSUS IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per Sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951 ..	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961 ..	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971 ..	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981 ..	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6

Source:-(i)General Population Tables-IIA,Census of India,1971
(ii)Census of India,1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

TABLE-2

DISTRICT-WISE AREA,POPULATION,DENSITY AND NUMBER OF HOUSEHOLDS 1981 CENSUS

District	Area (Sq.Kilometres)	Population	Density per Sq. kilometre	Number of house-holds
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur ..	1,167 (2.10)	2,47,368(5.78)	212	42,886
Chamba ..	6,528 (11.72)	3,11,147(7.27)	48	59,883
Hamirpur ..	1,118 (2.01)	3,17,751(7.42)	284	58,151
Kangra ..	5,739 (10.31)	9,90,758(23.14)	173	1,77,622
Kinnaur ..	6.401 (11.50)	59,547(1.39)	9	12,457
Kullu ..	5,503 (9.88)	2,38,734(5.58)	43	46,495
Lahaul-Spiti ..	13,835 (24.85)	32,100(0.75)	2	6,446
Mandi ..	3,950 (7.09)	6,44,827(15.06)	163	1,16,487
Shimla ..	5,131 (9.22)	5,10,932(11.94)	100	95,609
Sirmaur ..	2,825 (5.07)	3,06,952(7.17)	109	53,603
Solan ..	1,936 (3.48)	3,03,280(7.08)	157	55,761
Una ..	1,540 (2.77)	3,17,422(7.42)	206	58,394
Himachal Pradesh ..	55,673(100.00)	42,80,818(100.00)	77	7,83,794

Note- Figures in brackets indicate percentage to total
Source:-(i)Census of India,1981 Series 7,H.P.Part-IIB Primary Census Abstract.
(ii)Census of India,1981,Final Population Totals,H.P.

TABLE-3

DISTRIBUTION OF POPULATION BY WORKERS AND NON-WORKERS -1981 CENSUS

District	Total population	Total main workers	Marginal workers	Non-Workers	Percentage of main workers to total pop.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur ..	2,47,368	78,662	24,374	1,44,332	31.80
Chamba ..	3,11,147	1,09,269	42,319	1,59,559	35.12
Hamirpur ..	3,17,751	78,542	39,409	1,99,800	24.72
Kangra ..	9,90,758	2,64,240	76,024	6,50,494	26.67
Kinnaur ..	59,547	32,552	1,545	25,450	54.67
Kullu ..	2,38,734	1,07,645	17,196	1,13,893	45.09
L & Spiti ..	32,100	18,967	2,487	10,646	59.09
Mandi ..	6,44,827	2,41,340	56,819	3,46,668	37.43
Shimla ..	5,10,932	2,37,102	26,527	2,47,303	46.41
Sirmaur ..	3,06,952	1,23,454	18,801	1,64,697	40.22
Solan ..	3,03,280	1,04,688	23,092	1,75,500	34.52
Una ..	3,17,422	74,564	14,381	2,28,477	23.49
H.P ..	42,80,818	14,71,025	3,42,974	24,66,819	34.36

Source:-Census of India,1981, Series-7, India, Part-II B(i) -Primary Census Abstract, General Population.

TABLE-4

DISTRIBUTION OF MAIN WORKERS BY CULTIVATORS,AGRICULTURAL LABOURERS,HOUSEHOLD INDUSTRY AND OTHER WORKERS-1981 CENSUS

District	Total Main Workers	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	78,662	58,867	1,106	1,944	16,745
Chamba	1,09,269	75,039	691	1,196	32,343
Hamirpur	78,542	54,246	1,661	2,495	20,140
Kangra	2,64,240	1,49,232	13,611	7,243	94,154
Kinnaur	32,552	20,174	1,727	766	9,885
Kullu	1,07,645	86,703	1,869	961	18,112
L & Spiti	18,967	9,558	450	44	8,915
Mandi	2,41,340	1,85,543	2,107	4,265	49,425
Shimla	2,37,102	1,58,120	7,017	1,752	70,213
Sirmaur	1,23,454	90,236	2,628	2,177	28,413
Solan	1,04,688	68,559	2,486	1,985	31,658
Una	74,564	45,252	4,719	2,178	22,415
H.P	14,71,025	10,01,529	40,072	27,006	4,02,418

Source:-Census of India,1981 Series-7, India, Part-II B(i)- Primary Cenus Abstract, General Population.

TABLE-5

HANDICAPPED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH-1981 CENSUS

District		Totally blind	Totally crippled	Dumb	Total
1.		2.	3.	4.	5.
Bilaspur	..	179	194	202	575
Chamba	..	268	229	354	851
Hamirpur	..	209	203	253	665
Kangra	..	519	510	671	1,700
Kinnaur	..	189	24	277	490
Kullu	..	234	117	412	763
Lahaul-Spiti	..	32	16	26	74
Mandi	..	685	549	665	1,899
Shimla	..	645	300	553	1,498
Sirmaur	..	432	180	288	900
Solan	..	240	206	219	665
Una	..	292	167	175	634
Himachal Pradesh	..	3,924	2,695	4,095	10,714

Source:-Census of India, 1981, Series 7, Himachal Pradesh
Part-V tables on Houses and Disabled Population.

TABLE-6

PROJECTED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH

Period	Projected population ('00 persons)	Period	Projected population ('000 persons)
1.	2.	3.	4.
Ist March,			
1981	42,808	1991	51,039
1982	43,669	1992	51,813
1983	44,521	1993	52,575
1984	45,363	1994	53,325
1985	46,199	1995	54,061
1986	47,029	1996	54,781
1987	47,850	1997	55,484
1988	48,662	1998	56,166
1989	49,463	1999	56,826
1990	50,255	2000	57,460
		2001	58,067

Source:-Report of the Expert Committee on Population
Projection set up by the Planning Commission.

TABLE-7

PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(in '000 tonnes)

Crops	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD GRAINS					
A. Cereals:					
1. Rice	125.40	105.55	76.12	89.83	94.55
2. Maize	521.07	562.99	414.98	483.27	669.20
3. Ragi	4.02	4.19	1.63	2.46	4.36
4. Small Millets	8.28	6.95	4.54	4.29	9.00
5. Wheat	492.02	451.39	351.97	513.19	543.69
6. Barley	37.28	35.37	32.64	35.28	37.10
Total-Cereals	1,188.07	1,166.44	881.88	1,128.32	1,357.90
B. Pulses:					
7. Gram	4.21	2.95	0.97	2.87	1.62
8. Other Pulses	8.55	7.49	4.19	5.37	9.05
Total pulses	12.76	10.44	5.16	8.24	10.67
Total-Foodgrains	1,200.83	1,176.88	887.04	1,136.56	1,368.57

Source:- Directorate of Land Records Himachal Pradesh.

TABLE-8

INDEX NUMBERS OF AREA UNDER PRINCIPAL CROPS

(Base=Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89(P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. FOOD CROPS					
A.Cereals:					
(1)Kharif:					
Rice	102.48	98.15	103.76	97.52	102.51
Maize	109.19	106.32	107.71	106.51	111.86
Ragi	67.11	56.95	68.11	59.81	50.35
Millets & others	86.96	88.98	80.07	87.99	84.36
Total-Kharif	105.18	102.06	104.09	102.07	106.40
(2)Rabi:					
Wheat	108.77	106.31	104.84	105.79	105.22
Barley	90.70	95.14	91.53	87.60	80.86
Total-Rabi	107.10	105.28	103.61	104.10	102.98
Total-Cereals	106.12	103.64	103.86	103.06	104.73
B. Pulses:					
Gram	25.52	45.19	61.01	49.60	37.57
Mash	100.73	89.65	83.66	73.84	85.02
Other Pulses	82.79	81.35	94.82	98.52	93.03
Total-Pulses	74.91	75.16	81.43	75.72	75.21
Total-Food Crops	104.00	101.70	102.34	101.21	102.72
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	59.62	70.23	74.07	58.12	26.14
Sesamum	115.39	89.60	103.06	120.33	108.66
Rape & Mustard	96.36	109.21	127.62	113.29	105.76
Linseed	93.84	93.47	92.50	95.37	81.66
Total-Oil Seeds	99.69	95.47	105.91	107.03	94.70
B. Miscellaneous:					
Potato	86.67	92.42	97.33	94.27	97.80
Sugarcane	109.88	88.55	89.34	97.87	97.61
Ginger	95.95	103.82	109.91	95.39	76.45
Tea	94.89	95.41	99.51	95.50	43.87
Total-Miscellaneous	91.51	93.34	97.73	94.98	88.68
Total-Non-food crops	95.22	94.31	101.44	100.45	91.41
Total-Crops	103.57	101.34	102.29	101.45	102.17

Source:-Economics & Statistics Department,H.P.

TABLE-9

INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(Base: Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89(P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. FOOD CROPS					
A. Cereals:					
(i)Kharif:					
Rice	126.63	135.46	114.02	88.22	97.03
Maize	121.30	110.57	119.47	88.06	102.55
Ragi	75.73	53.74	56.04	21.82	32.88
Millets & Others	65.17	61.65	51.61	33.79	32.01
Total-Kharif	120.97	114.16	116.61	85.32	99.57
(ii)Rabi:					
Wheat	69.53	126.95	116.47	90.81	132.41
Barley	64.72	88.50	83.97	77.49	83.76
Total- Rabi	69.08	123.38	113.45	89.57	127.89
Total-Cereals	98.92	118.08	115.27	87.13	111.61
B. Pulses:					
Gram	7.26	71.45	49.94	16.46	48.69
Mash	44.77	40.83	34.76	21.73	23.57
Other Pulses	66.10	83.45	74.30	38.98	54.66
Total-Pulses	40.17	63.51	51.81	25.58	40.96
Total-Food Crops	96.57	115.90	112.74	84.67	108.79
2.NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	75.62	80.48	38.56	3.01	10.61
Sesamum	61.58	68.32	18.74	49.00	41.19
Rape & Mustard	30.65	103.17	65.81	54.40	130.71
Linseed	66.85	98.32	82.53	60.28	119.86
Total-Oil Seeds	55.82	86.02	48.05	47.18	79.27
B. Miscellaneous:					
Potato	78.02	67.30	82.11	58.75	185.49*
Sugarcane	100.46	56.43	54.95	42.01	39.72
Ginger	75.65	71.47	43.98	16.66	33.70
Tea	58.90	118.26	115.07	129.34	84.70
Total-Miscellaneous	79.80	67.98	69.81	47.28	127.13
Total-Non-food crops	74.12	72.25	64.65	47.25	101.68
Total-Crops	94.98	112.80	109.33	88.02	108.28

Source:-Economics & Statistics Department,H.P.

*For 1988-89, data of Agri. Deptt. has been taken into account.

TABLE-10

DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS-1985-86

District	Number	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	41,266	54,881
Chamba	60,187	58,381
Hamirpur	59,905	73,501
Kangra	1,90,196	2,10,081
Kinnaur	10,009	13,810
Kullu	46,368	42,552
Lahaul & Spiti	4,074	6,092
Mandi	1,15,099	1,23,456
Shimla	74,498	1,13,356
Sirmaur	41,265	1,02,053
Solan	45,091	91,587
Una	64,924	90,490
Himachal Pradesh	7,52,882	9,80,240

Source: Directorate of Agricultural Census,H.P.

TABLE-11

LIVESTOCK, POULTRY AND AGRICULTURAL IMPLEMENTS

(In thousands)

Category		1972	1977	1982
A. Livestock:				
1. Cattle	..	21,75	21,06	21,73
2. Buffaloes	..	5,44	5,60	6,16
3. Sheep	..	10,40	10,55	10,90
4. Goats	..	9,06	10,35	10,60
5. Horses and ponies	..	16	15	17
6. Mules and donkeys	..	12	14	19
7. Pigs	..	3	5	8
8. Other livestock	..	6	5	6
Total-Livestock	..	47,02	47,95	49,89
B. Poultry	..	1,89	3,30	4,61
C. Agricultural implements:				
1. Ploughs	..	5,02	[illegible]	6,24
2. Carts	..	3		3
3. Cane crushers	..	3	4	3
4. Ghanies	..	1		..

Source:-Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

TABLE-12

OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce (Value in '000 Rs.)		
	Timber (Standing Volume '000 cu. metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other Pro-duce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1985-86	531.5	8,675	18,516	649	4,411
1986-87	548.1	29,392	15,432	1,955	4,924
1987-88	365.0	10,438	17,917	683	10,236
1988-89	456.5	18,295	15,737	606	29,896

*Firewood extracted/collected includes charcoal extracted also.

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh.

TABLE-13

AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the cont-rol of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1985-86	1,896	33,454	910	493	948	37,701
1986-87	1,896	33,471	893	493	948	37,701
1987-88	1,896	33,482	872	493	948	37,691
1988-89	1,896	33,350	868	529	948	37,591

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh.

TABLE-14

CO-OPERATION

Item	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1.	2.	3.	4.	5.
I.Societies(No):				
Agricultural	2,111	2,104	2,110	2,116
Non-Agricultural	1,392	1,536	1,655	1,763
Urban banks	2	7	7	7
State and Central banks	4	4	4	4
Other secondary societies	63	65	65	66
TOTAL	3,578	3,716	3,841	3,956
II.Membership('000):				
Agricultural societies	731.0	750.0	773.0	790.0
Non-Agricultural Societies	126.0	133.0	143.0	155.0
Urban banks	5.0	5.0	6.0	6.0
State and Central banks	17.0	17.0	19.0	20.0
Other secondary societies	15.0	15.0	15.0	14.0
TOTAL	894.0	920.0	956.0	985.0
III.Working Capital(lakh Rs.)				
Agricultural Societies	6785.13	7952.23	9092.71	10217.43
Non-Agricultural Societies	2823.19	3399.52	4261.52	2884.92
Urban banks	435.09	554.35	740.87	946.28
State & Central banks	14529.30	17368.92	24269.33	30420.87
Other secondary societies	2849.05	3013.65	3730.47	46,55.02
TOTAL	27421.73	32288.67	42094.90	49124.52
IV.Loans Advanced(lakh Rs.):				
Agricultural societies	1644.58	1950.78	2265.32	16,74.60
Non-Agricultural societies	225.07	234.29	264.60	510.21
Urban banks	665.09	306.64	375.62	487.02
Primary Land Mortgage Banks & State & Central Banks	16683.46	28360.99	38375.71	36517.20
V.Loans outstanding(lakh Rs.)				
Agricultural societies	3028.24	3499.62	4118.09	4575.58
Non-Agricultural societies	246.88	310.90	383.56	523.72
Urban banks	108.34	153.68	260.03	339.64
Primary Land Mortgage Banks & State & Central Banks	6796.06	9661.39	15050.70	12083.49

Source:-Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-15

GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(In million kwh)

Item	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1939-90
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Electricity generated	596.8	614.3	517.8	698.8	935.5
2.Electricity purchased from BMB etc.	392.1	505.2	875.6	802.0	887.6
3.Electricity consumed:					
(a)Domestic consumption	113.3	137.0	153.4	170.2	197.6
(b)Commercial light,public water works & sewage pumping	49.0	57.8	62.3	65.0	73.6
(c)Industrial power	339.0	413.0	476.5	476.9	530.9
(d)Street lighting	2.7	2.6	3.6	3.5	3.5
(e)Irrigation & agriculture	21.0	22.7	23.5	23.3	25.6
(f)Others	38.3	46.6	49.7	56.3	65.7
Total Consumption	563.3	679.7	769.0	795.2	897.1
4.Electricity sold outside the State	223.9	202.7	322.4	416.7	580.9
5. Percentage of villages electrified to total No. of villages	90.5	95.4	100.0	100.0	100.0

Source:State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-16

AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other Sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1983-84	48,292	22,184	9,009	21,926	12,640	1,14,051
1984-85	49,840	23,649	9,804	23,802	13,485	1,20,580
1985-86	51,103	24,944	10,455	27,365	14,903	1,28,770
1986-87	52,399	25,959	10,930	29,589	16,108	1,34,985
1987-88	54,912	26,726	11,628	31,226	17,559	1,42,051
1988-89	57,447	27,328	12,061	32,995	19,453	1,49,284
1989-90	59,988	27,956	12,559	34,863	21,103	1,56,469

Source:-Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-17

PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other Sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1983-84	257.91	21.86	2.21	12.08	10.22	304.28
1984-85	170.63	26.41	2.22	3.95	12.71	215.92
1985-86	174.62	21.14	1.74	4.72	5.52	207.74
1986-87	359.32	12.43	2.80	11.92	14.04	400.51
1987-88	259.28	26.86	2.72	10.87	8.96	308.69
1988-89	165.16	11.52	2.63	8.48	9.57	197.36
1989-90	394.87	39.63	3.41	12.32	9.76	459.99

Source:-Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-18

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

Date of Census	Regular	Contingent paid	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
31st March,				
1982 ..	87,269	3,664	5,345	93,087
1983 ..	89,588	3,768	5,616	70,962
1984 ..	91,391	3,865	5,097	82,978
1985 ..	94,724	3,507	5,221	80,355
1986 ..	96,936	4,725	5,189	83,726
1987 ..	1,01,395	5,971	6,521	86,753
1988 ..	1,03,211	6,023	5,707	85,438

Source:-Economics & Statistics Department, H.P.

TABLE-19

EMPLOYMENT EXCHANGE STATISTICS

Year	Number of candi dates re- gistered	Number of place- ments	Number of vacancies notified	Number on live register
1.	2.	3.	4.	5.
1983	83,063	6,893	11,626	1,86,161
1984	79,724	6,005	10,798	2,58,004
1985	74,263	6,930	9,730	3,16,281
1986	81,265	7,142	11,668	3,45,895
1987	84,546	7,676	10,146	3,49,276
1988	85,697	7,439	9,174	3,67,959
1989	1,19,204	7,804	11,643	4,27,866
1990(upto Oct,90)	76,338	5,426	4,787	4,46,965

Source:-Directorate of Labour & Employment,H.P.

TABLE-20

EDUCATION

Item	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Primary/Junior Basic Schools:					
1.Institutions	6,639	6,802	6,904	7,074	7,288
2.Students(Stage I-V) 6-11 years('000)	620	629	644	645	672
3.Teachers(No.)	16,024	15,968	16,571	17,008	17,576
Middle/Senior Basic Schools:					
1.Institutions	1,057	982	1,020	1,068	1,108
2.Students(Stage Vi-VIII) 11-14 years ('000)	264	286	301	325	378
3.Teachers(No.)	5,821	5,411	5,632	5,995	6,496
High/Higher Secondary Schools/10+2:					
1.Institutions(No.)	787	885	920	932	1,019
2.Students(Stage IX-XII) 14-17 years('000)	109	109	113	129	147
3.Teachers(No.)	10,094	10,785	10,908	12,144	12,937
Colleges of General Education:					
1.Institutions	32	34	37	38	40
2.Students('000)	27	28	27	24	26
3.Teachers(No.)	833	853	885	972	1,018

Source:-Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE-21

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	Unit	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (31.12.90)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Allopathic institutions:					
(a)Hospitals	No.	57	57	57	57
(b)Primary Health Centres	"	177	185	200	225
(c)Dispensaries	"	221	218	215	213
TOTAL	"	455	460	472	495
2.Beds available	"	6514	6996	7213	7424
3.Ayurvedic institutions:					
(a)Hospitals*	"	11	11	12	12
(b)Dispensaries	"	427	427	452	522
(c)Ayurvedic Pharmacies	"	2	2	2	2
(d)Research Institutions	"	1	1	1	1
TOTAL	"	441	441	467	537
4.Beds availbale	"	432	534	534	534

Source:-Directory of Medical,Public-Health & Ayurvedic institutions in H.P., issued by the Directorate of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh.

*includes wards also

TABLE-22

ROADS

(In Kilometre)

Type of road	As on 31st March					
	1985	1986	1987	1988	1989	1990
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Motorble double lane	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994
2.Motorble single lane	12,669	13,009	13,354	14,219	14,574	14,889
3.Jeepable	409	363	321	694	709	835
4.Less than jeepable	4,641	4,672	4,610	4,238	4,308	4,240
TOTAL	19,713	20,038	20,279	21,145	21,585	29,958

Note-Figures include National Highways also.
Source:-Public Works Department,Himachal Pradesh.

TABLE-23

NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles				No. of routes under operation	Distance covered ('000 kilometres
	Buses	Trucks	Others	Total		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1984-85	1,238	11	48	1,297	950	74,432
1985-86	1,259	11	46	1,316	1,016	80,298
1986-87	1,300	8	48	1,356	1,093	83,300
1987-88	1,334	7	52	1,393	1,125	87,900
1988-89	1,376	7	51	1,434	1,207	85,200
1989-90	1,503	6	60	1,569	1,272	86,400

Source:-Himachal Road Transport Corporation,Shimla.

TABLE-24

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base:1965=100		For Urban non-manual Employees Shimla Centre Base:1960=100
	General Index	Food Index	
1.	2.	3.	4.
1983	382	386	438
1984	414	420	475
1985	440	439	511
1986	478	467	536
1987	495	484	573
1988	567	547	133**
1989*	165	169	147
1990			
January	169	169	150
February	169	169	149
March	172	173	153
April	175	179	155
May	177	179	156
June	179	181	158
July	186	192	161
August	186	190	163
September	190	196	164
October	192	200	165
November	193	201	167
December	192	198	167

Source:-Labour Bureau, Government of India.

*Based on revised series with base 1982=100(Linking factor=3.75)

**Based on revised series with 1984-85=100(Linking factor=5.32)

TABLE-25

ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

(Base: 1981-82=100)

Items	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
All Commodities	104.9	112.9	120.1	125.4	132.7	143.6	154.3	165.7
I. Primary Article	106.7	118.2	125.5	125.7	137.2	152.6	160.1	163.6
A.Food articles	111.1	126.6	131.8	134.1	147.8	161.1	177.1	179.3
B.Non-food articles	100.8	112.4	124.6	120.5	134.1	163.0	160.2	166.0
C.Minerals	103.3	100.4	105.1	106.5	104.2	100.5	98.6	102.2
II.Fuel,Power,light & lubricaants	106.6	112.5	117.3	129.9	138.6	143.3	151.2	156.6
III.Manufactured Products	103.5	109.8	117.5	124.5	129.2	138.5	151.6	168.6
A.Food products	97.4	107.8	113.9	117.2	129.1	140.5	147.8	166.4
B.Beverages,tobacco and tobacco products	100.2	106.7	111.1	123.2	133.0	155.0	180.7	207.7
C.Textiles	104.8	109.5	120.0	119.5	116.0	126.6	139.6	158.2
D.Wood and wood products	113.4	122.5	125.0	146.0	149.0	154.7	156.6	157.7
E.Paper & paper products	108.5	118.3	131.4	144.1	154.3	170.3	180.9	208.4
F.Leather & leather products	100.4	108.3	115.4	128.1	134.2	142.9	168.4	185.7
G.Rubber & plastic products	108.4	109.7	115.6	125.6	132.8	143.5	155.3	159.4
H.Chemimal & chemical products	103.5	107.3	112.0	118.3	124.6	131.9	135.8	140.0
I.Non-metallic mineral products	114.5	127.7	138.6	141.1	142.5	147.9	152.4	167.0
J.Basic metals, alloys & metal products	104.5	111.7	123.1	139.7	141.3	149.7	176.4	205.6
K.Machinery & machine tools including electrical machinery	102.8	106.7	112.2	121.4	127.3	132.3	150.8	166.2
L.Transport Equipment and parts	103.6	105.7	111.9	123.1	129.1	135.5	148.9	166.2
M.Other miscellaneous (manufacturing Industries)	101.8	101.6	101.5	99.3	107.0	109.8	113.1	117.2

Source:- Ministry of Industries,Govt. of India,
R.B.I. Bulletin October,1990-Supplement
New Series on Wholesale Price Index Nos.
(Base:1981-82=100)
Monthly Abstract of Statistics August,1990, CSO.

TABLE-26

PLAN OUTLAYS

(Rs. in lakh)

Sector/Head of Development	Provisions for Annual Plan (1991-92)
1.	2.
A. Economic Services:	
I. Agriculture and Allied Services :	
1. Crop Husbandry:	
(a)Agriculture	1,279.00
(b)Horticulutre	696.00
(c)Dry Land Farming	25.00
Sub-total-(1)	2,000.00
2. Soil and Water Conservation:	
(a)Agriculture	220.00
(b)Forests	140.00
Sub-total(2)	360.00
3. Animal Husbandry	282.00
4. Dairy Development	105.00
5. Fisheries	140.00
6. Forests and Wild Life:	
(a)Forestry	3,135.00
(b)Wild Life	125.00
Sub-total-(6)	3,260.00
7. Agriculture, Research and Education:	
(a)Agriculture	151.00
(b)Horticulture	140.00
(c)Animal Husbandry	98.00
(d)Forests	105.00
(e)Fisheries	6.00
Sub-total-(7)	500.00
8. Investment in Agricultural Financial Institutions	133.00
9. Marketing and Quality Control:	
(a) Agriculture	35.00
(b) Horticulture	465.00
Sub total-(9)	500.00
10. Loans to Cultivators other than Horticulture	1.00
11. Co-operation	215.00
TOTAL-I	**7,496.00**

TABLE-26-Cont'd..

(Rs. in lakh)

1.	2.
II. Rural Development:	
1. Special Programme for Rural Development:	
(a)Integrated Rural Development (IRDP)	136.00
(b)Antodaya	124.00
(c)Integrated Rural Energy Programme(IREP)	80.00
Sub-total-(1)	340.00
2. (a)Special Employment Programme	254.00
(b)Jowahar Rojgar Yojna	246.00
Sub-total-(2)	500.00
3. Land Reforms:	
(a)Cadastral Survey and Records of Rights	276.00
(b)Supporting Services	1.00
(c)Consolidation of Holdings	153.00
(d)Strengthening of L R A	102.00
(e)Revenue Housing	5.00
(f)Forest Settlement	34.00
Sub-total-(3)	571.00
4. Community Development	127.00
5. Panchayats	93.00
TOTAL-II	**1,631.00**
III. Speical Area Programme:	
IV. Irrigation and Flood Control:	
1. Major and Medium Irrigation	307.00
2. Minor Irrigation(IPH)	3,025.00
3. Rural Development Department	25.00
4. Command Area Development	46.00
5. Flood Control	100.00
TOTAL-IV	**3,503.00**
V. Energy:	
1. Power:	
A. Generation:	
(i) Thirot	385.00
(ii) Baner	100.00
(iii)Gaj	100.00
(iv) Bhaba Augmentation	35.00
(v) Killar	60.00
(vi) Nathpa Jhakhri/Kol	5,500.00
(vii) Other Projects	25.00
Sub-total-(A)	6,205.00

TABLE-26-Contd..

(Rs. in lakh)

1.	2.
(B) Trnsmission and Distribution:	
(i) World Bank T & D Project	460.00
(ii)State T & D	250.00
Sub-total-(B)	710.00
(C) Rural Electrification	
(i) State Plan	25.00
(ii) REC Funded Scheme including system Improvement	800.00
(iii)MNP Scheme	
Sub-total(C)	825.00
D. Survey and Investigation	40.00
E. Board's Buildings	10.00
F. Renovation and Modernisation of Power Houses	10.00
Sub-total-(1)	7,800.00
2. Bio-gas Development	85.00
3. Non-Conventional Energy Sources Development of New and Renewable Source of Energy	15.00
TOTAL-V	**7,900.00**
VI. Industry and Minerals:	
1. Village and Small Industries	709.00
2. Large and Medium Industries	450.00
3. Mining	45.00
4.Weights and Measures	8.00
TOTAL-VI	**1,212.00**
VII. Transport:	
1. Civil Aviation(Helipads & Helicopter Organisation)	25.00
2. Roads and Bridges	4,290.00
3. Road Transport	890.00
4. Inland and Water Transport	2.00
5. Other Transport Services:	
(a)Ropeways/Cable ways	25.00
(b)Tele-Communication	50.00
(c)I.M.T. Studies	5.00
Sub-total-(5)	80.00
TOTAL-VII	**5,287.00**

TABLE-26-Contd..

(Rs. in lakh)

1.	2.
VIII.Science, Technology and Environment:	
1. Scientific Research including S&T	25.00
2. Ecology and Environment	5.00
3. Water and Air Pollution Prevention	20.00
TOTAL-VIII	**50.00**
IX. General Economic Services:	
1.Sectt. Economic Services	64.00
2.Excise and Taxation	6.00
3.Tourism	260.00
4.Survey & Statistics	17.00
5.Civil Supplies	364.00
6.Other General Services:	
(a)Institutional Finance	6.00
(b)District Planning	769.00
Sub-total-(6)	775.00
TOTAL-IX	**1,486.00**
TOTAL-A-Economic Services	**28,565.00**
B. Social Services:	
X. Education Sports,Art and Culture:	
1. Primary Education	628.00
2. General and University Education	2,972.00
3. Technical Education	544.00
4. Art and Culture	105.00
5. Sports and Youth Services	71.00
6. Others:	
(a)Mountaineering and Allied Sports	45.00
(b)Gazetteer	9.00
Sub-total-(6)	54.00
TOTAL-X	**4,374.00**
XI.Health:	
1. Allopathy	1,070.00
2. Ayurveda and Other ISMs	230.00
3. Medical Education	250.00
TOTAL-XI	**1,550.00**

TABLE-26-Contd..

(Rs. in lakh)

1.	2.
XII. Water Supply,Housing & Urban Development and Sanitation:	
1. Water Supply:	
(a)Urban Water Supply	900.00
(b)Rural Water Supply	2,855.00
Sub-total-(1)	3,755.00
2. Sewerage and Sanitation:	
(a)Sewerage	100.00
(b)Rural Sanitation	25.00
(C)Low Cost Sanitation	20.00
Sub-total-(2)	145.00
3. Housing including Police Housing	
(a)Pooled Government Housing	235.00
(b)Police Housing	15.00
(c)Loans to Government Employees	200.00
(d)Housing Department	180.00
(e)Rural Housing	20.00
Sub-total-(3)	650.00
4.Urban Development:	
(a)Town and Country Planning	65.00
(b)Environment Improvement of Slums	48.00
(c)Grant-in-aid to Local Bodies and Directorate of Urban Local Bodies	107.00
(d)Urban Development Authority	260.00
Sub-total-(4)	480.00
TOTAL-XII	**5,030.00**
XIII. Information and Publicity:	**105.00**
XIV. Welfare of SC/ST/OBCs:	
(1)Welfare of Backward Classes	179.00
(2)Scheduled Caste/Tribe Development Corporation	40.00
TOTAL-XIV	**219.00**
XV. Labour and Labour Welfare:	**50.00**
XVI.Social Welfare:	
(1)Social Welfare	205.00
(b)S.N.P. including ICDS	225.00
TOTAL-XVI	**430.00**
TOTAL-B-Social Services	**11,758.00**

TABLE-26-Concld..

(Rs. in lakh)

1.	2.
C.General Services:	
1. Stationery and Printing	70.00
2. Pooled in non-residential Government Building	475.00
3. Others:	
(a)HIPA	40.00
(b)Nucleus Budget for Tribal Areas	52.50
(c)Tribal Development Machinery	7.50
(d)Equity of Ex-Servicemen Corporation including PEXSEM	32.00
Sub-total-(3)	132.00
TOTAL-C-General Services	**677.00**
TOTAL(All Sectors A+B+C)	**41,000.00**

Source: Planning Department, Himachal Pradesh.

TABLE-27

INCIDENCE OF CRIMES

District	1986	1987	1988	1989	1990
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	635	657	659	629	548
Chamba	576	682	599	610	691
Hamirpur	321	331	330	381	427
Kangra	2,033	2,118	2,214	2,464	2,794
Kinnaur	236	227	225	256	257
Kullu	633	550	660	664	815
Lahaul-Spiti	68	67	141	153	175
Mandi	1,508	1,623	1,837	1,867	1,871
Shimla	1,585	1,839	2,016	2,205	2,741
Sirmaur	989	883	896	930	810
Solan	759	885	824	846	966
Una	493	609	746	752	675
Railway & Traffic	9	15	10	9	16
Himachal Pradesh	9,845	10,486	11,157	11,766	12,786

Source:-Police Department, Himachal Pradesh.

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
Doc. No. D-6052
Date 29/4/91

NIEPA DC
D06052